छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **दशम् सत्र**

मंगलवार, दिनांक 09 मार्च, 2021

(फाल्गुन 18, शक सम्वत् 1942)

[अंक 12]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2021

(फाल्गुन 18, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

जन्मदिन की बधाई

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपका जैकेट जोरदार है।

अध्यक्ष महोदय:- आज माननीय सदस्य श्री धनेन्द्र साहू का 09 मार्च को जन्मदिवस है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रायगढ़ जिले में प्रदूषण उत्सर्जित उद्योगों पर कार्यवाही

1. (*क्र. 1379) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कौन-कौन से उद्योग/संयंत्र प्रदूषण उत्सर्जन प्रवृत्ति की श्रेणी में है? (ख) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किन-किन उद्योगों/संयंत्रों की पर्यावरणीय नियमों के पालन करने संबंधी जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गयी? जांच में किन-किन उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया? (ग) प्रश्नांक "ख" अनुसार उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही के क्या प्रावधान है? प्रावधान के अनुरूप उद्योगों/संयंत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "एक" के अनुसार है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में उद्योग/संयंत्रों के पर्यावरणीय नियमों के पालन के संबंधी जांच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "दो" के अनुसार है. जिन उद्योगों में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन होना पाया गया, उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "तीन" के अनुसार है. (ग) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत् नोटिस जारी करने, नोटिस के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही न किये जाने पर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन कराये जाने, सक्षम न्यायालय में परिवार प्रस्तुत करने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है. प्रश्नाधीन अवधि में उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्ताकलय में रखे परिशिष्ट "तीन" के स्तंभ क्रमांक 03 में दर्शित है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रायगढ़ जिले में प्रदूषण को लेकर प्रश्न किया था। जवाब में आया है कि रायगढ़ जिले में 333 से अधिक उद्योग हैं जो कि प्रदूषण उत्सर्जक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इन 333 में से मात्र 128 उद्योगों की जांच की गई है और शेष की जांच नहीं की गई है, तो बाकी की जांच क्यों नहीं की गई यह मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्सर्जन वाले उद्योग हैं उनकी परिशिष्ट एक में पूरी जानकारी है, जिनमें जांच की गई परिशिष्ट-2 में उनकी पूरी जानकारी है और जिसमें कार्रवाई की गई वह परिशिष्ट-3 में है। स्पेशिफिक यदि किसी उद्योग की बात हो तो आप बता दें तो मैं आपको जवाब दे देता हूं।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रायगढ़ में भारत सरकार द्वारा 03 प्रदूषण मापक यंत्रक डिस्प्ले लगाने का निर्देश है जिसको यह कहकर प्रदूषण मापक डिस्प्ले नहीं लगाया जा रहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसकी देख रेख कौन करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिला एक उद्योगों से भरा जिला है और रायगढ़ जिले के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अगर डिस्प्ले लगे जो कि भारत सरकार का निर्देश है तो लोग जानेंगे कि कितना प्रदूषण है और लोगों में जागरूकता भी रहेगी और जो उद्योग हैं उन पर नियंत्रण भी रहेगा कि हमारे उद्योग का प्रदूषण डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए आप निर्देश देने का कष्ट करेंगे क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :-:- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण पूरा नियंत्रण में है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वह भी सामान्य पाई गई है और माननीय सदस्य जो चिंता कर रहे हैं उस बारे में भी मैं दिखवा लेता हूं।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में उद्योगों में जो ई.एस.पी. (प्रदूषण नियंत्रण यंत्र) लगा रहता है उसके लिए जिले में एक नियंत्रण कक्ष होता है जिसके माध्यम से वहां ई.एस.पी. लगा है या नहीं लगा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। इस प्रकार का एक प्रदूषण नियंत्रण कक्ष रायगढ़ जिले में लगाने के लिए अधिकारियों को निद्रेश देने का कष्ट करेंगे क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थापित किया जा रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गारे-पेल्मा (3) खदान से कोयला उत्खनन एवं परिवहन

2. (*क्र. 839) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गारे पेल्मा (3) खदान से किस प्रकार कोयला उत्खनन का कार्य विद्युत मंडल द्वारा कराया जा रहा है? (ख) कोयला परिवहनकर्त्ता ठेकेदार कौन है? (ग) परिवहनकर्त्ता ठेकेदार को कोयला परिवहन हेतु निविदा कब स्वीकृत की गई थी तथा कोयला परिवहन की कितनी मात्रा निर्धारित की गई थी? (घ) निविदाकार को निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिवहन कार्य हेतु कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में परिवहन का कार्य विस्तारित किया गया तथा परिवहन अवधि में वृद्धि कर, उसी ठेकेदार को परिवहन का कार्य देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) गारे पेलमा सेक्टर-3 खदान का आवंटन कोयला मंत्रालय, भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को वेस्टिंग आर्डर दिनांक 14-09-2015 द्वारा आवंटित किया गया. खदान के विकास एवं संचालन हेतु प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई. तदोपरांत न्यूनतम दरों पर चयनित माईन डेवलपर कम आपरेटर से 16-11-2017 को कोल माईन सर्विस एग्रीमेंट संपादित करने के उपरांत कोयला उत्खनन का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा माईन डेवलपर कम आपरेटर मेसर्स गारे पेलमा-III कोलयरीज लिमिटेड के माध्यम से करवाया जा रहा है. (ख) कोयला खदान से निर्दिष्ट रेलवे साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन का ठेका मेसर्स जय अम्बे रोड लाइन्स, रायपुर को माईन डेवलपर कम आपरेटर मेसर्स गारे पेलमा-III कोलयरीज लिमिटेड के माध्यम से प्रदान किया गया है. इस ठेके का अनुबंध माईन डेवलपर कम आपरेटर मेसर्स गारे पेलमा-III कोलयरीज लिमिटेड एवं मेसर्स जय अम्बे रोड लाइन्स, रायपुर के मध्य निष्पादित किया गया. (ग) परिवहनकर्त्ता ठेकेदार को कोयला परिवहन हेतु निविदा दिनांक 01-01-2020 को स्वीकृत की गई थी तथा मेसर्स गारे पेलमा-III कोयलरीज लिमिटेड को न्यूनतम निविदाकार के साथ आशय पत्र एवं अनुबंध निष्पादन हेतु सूचित किया गया था इसमें 5 लाख टन कोयले की मात्रा निर्धारित थी. (घ) खदान में एकत्रित कोयले को आग लगने से बचाने के लिये तथा 2&500 मेगावाट. अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा को आवश्यक कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु परिवहन कर्त्ता ठेकेदार को दिनांक 29-08-2020 को 3 लाख टन, दिनांक 13-10-2020 को 2 लाख टन एवं दिनांक 28-11-2020 को 3.6 लाख टन अतिक्ति मात्रा का परिवहन, दरें नेगोशियेट कर न्यून दरों पर कराया गया.

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोयला उत्खनन और परिवहन से संबंधित प्रश्न था, उसमें मेरा एक प्रश्न यह है कि निविदा कब बुलाई गई, उसकी तारीख क्या है? कितनी एजेंसियों ने

भाग लिया, किस-किस दर पर निविदा डाली और निविदा में स्वीकृत मात्रा 5 लाख टन थी तो और कितनी मात्रा में अतिरिक्त स्वीकृति उसी टेंडर के आधार पर अलग-अलग तारीखों में कितनी दी गई?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आमंत्रित निविदा है उसमें मेसर्स जय अंबे रोड लाईंस एवं मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड की दरें खोली गईं और उसमें रिवर्स बिडिंग के उपरांत जो दर तय हुई वह 665 रूपये और 522 रूपये प्रति मीट्रिक टन 80 किलोमीटर की दूरी पर किया गया और तारीख 01.01.2020 को दिया गया और जो समय वृद्धि की गई वह अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत ताप गृह में लगातार कोयले की निर्बाध रूप से पूर्ति हो सके और दूसरी बात यह है कि वहां चूंकि कोयला खनन का कार्य शुरू हो चुका था और 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक संग्रहित हो गए थे और आग लगने की आशंका थी इस कारण से इसको भारत सरकार के जो नियम हैं उनके अनुरूप ही उसे समय वृद्धि की गई।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत साफ है कि 3 बार मात्रा बढ़ायी गई और मात्रा बढ़ाकर दिनांक 29.08.2020, 13.10.2020, 28.11.2020 को 3 लाख, 5 लाख के अतिरिक्त 3 लाख टन, 2 लाख टन और 3.6 लाख टन, इस प्रकार 8.6 लाख मीट्रिक टन। टेण्डर 5 लाख का हुआ और 5 लाख के टेण्डर के बाद यह 8 लाख अतिरिक्त दे दिया गया। इसमें मूल प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने जय अम्बे को परिवहन की मात्रा बढ़ाते-बढ़ाते 8, 5, तेरह लाख कर दिया। तो क्या इस मात्रा बढ़ाने का प्रावधान निविदा प्रपत्र में था यह मेरा पहला प्रश्न है? या यह अधिकार अध्यक्ष को है? या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के एम.डी. को है? या स्टेट जनरेशन कंपनी को अधिकार है? यह किसको अधिकार है? और किस अधिकार के तहत यह क्वांटिटी जितना टेण्डर था, उससे दुगुने क्वांटिटी में इसको दिया गया और यह किसके अधिकार में था? क्या टेण्डर दस्तावेज जो बने थे उसमें यह लिखा गया था कि हम जब चाहें, जितना चाहें मात्रा बढ़ाते जाएंगे, क्या एम.डी. या चेयरमेन को यह अधिकार है? 3 अलग-अलग तारीखों में 5 लाख के अगेन्स्ट में 8 लाख और 10 लाख के क्वांटिटी उनको बढ़ाते जाए?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 3 बार समय में वृद्धि की गई और मात्रा भी दी गई, जिसमें दिनांक 29.08.2020 को प्रथम वृद्धि और मात्रा 3 लाख, दिनांक 13.10.2020 को 2 लाख मीट्रिक टन और 28.11.2020 को 3.6 लाख मीट्रिक टन।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय दिया था वह पहली बार 665 रूपया था, उसमें दो बार निगोसियेशन हुआ 620 रूपये में परिवहन करना शुरू किये। उसके बाद जो परिस्थिति बनी जिसमें निर्बाध रूप से कोयला की पूर्ति हो सके और दूसरा वहां आग न लगे इसलिए उसे परिवहन करना आवश्यक था और इसलिए उसे फिर से निगोसियेट किया गया और जो 620 रूपया जो दर था उसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पहली बार जब निगोसियेट किया तो 607 रूपया, 60 पैसे प्रति टन के हिसाब से और दूसरी भी 607 रूपया, 60 पैसे और जब तीसरी बार हुआ तो 604 रूपया 60 पैसे की दर पर निगोसियेट हुआ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, यह विशेष परिस्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी लिमिटेड को यह अधिकार है कि विशेष परिस्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही उद्भुत होता है कि विशेष परिस्थिति कैसे बनी? मड़वा पॉवर प्लांट का एक यूनिट एक साल तक पूरी उस अवधि में फरवरी, 2020 से जनवरी 2021 तक वेल के समान में खराबी आने की वजह से एक यूनिट बंद है। कोयले की आपूर्ति कम है, आग लगने का कारण बताया जा रहा है तो क्या टेण्डर के प्रोसेस में क्या यह अधिकार एम.डी. को है कि 300 गुना ज्यादा मात्रा को बढ़ाया जा सकता है? क्या यह अधिकार चेयरमेन को है? किस अधिकार के तहत इन्होंने इतनी क्वांटिटी बढ़ायी और क्यों बढ़ायी? पहले इस प्रश्न का जवाब आ जाये क्या अधिकार स्पेसिफिक किसको है ? और टेण्डर दस्तावेज के कागजात में इस बात का जिक्र है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को क्लियर करें?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सदस्य जी, पहली बात तो जो कह रहे हैं वह असत्य है कि वहां एक ही यूनिट चालू है। वहां दोनों यूनिट चालू है दो गुना 500 मेगावाट की विद्युत उत्पादन निरंतर चालू है। दूसरी बात यह है कि यह अनुबंध मेसर्स गारे-पेल्मा एवं ठेकेदार के मध्य है तीसरा चेयरमेन को फाईनेंशियल एवं एम.डी. की सहमति से मात्रा में वृद्धि करने का अधिकार है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह विशेष परिस्थिति क्या पैदा हो गई? जिसमें लगातार तीन बार...।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष परिस्थिति आग लगने की संभावना थी।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह क्या विशेष परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें ये लगातार एक बार, दो बार नहीं तीन बार 5 लाख के अगेन्स्ट में क्या टेन्डर करके कोयले की आपूर्ति की जा सकती थी? इसका संतुष्टिदायक जवाब ही नहीं आया। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या विशेष परिस्थिति निर्मित हो गई जिसमें इनको आनन-फानन में तीन बार उसी शेम रेट में उनको negotitation किया गया। negotitation में बोर्ड को कितना नुकसान और कितना लाभ हुआ, इसके बारे में जानकारी दें। तीसरा विषय है कि वर्तमान में कोयला परिवहन हेतु नई निविदा जारी गई है। यह कार्य किस कंपनी को और किस दर में दिया गया है? फिर से नया खेल शुरू हो गया। इसकी जानकारी होगी तो पुराने का काम भी समझ में आयेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले ही बताया चेयरमेन को फाइनेन्शियल और एम.डी. की सहमति से मात्रा में वृद्धि का अधिकार है। दूसरी बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोयले की निर्बाध रूप से आपूर्ति हो इसके लिए और दूसरा वहां लगातार यदि स्टॉक

बढ़ता जायेगा तो आग लगने की आशंका बनी रहती है। और जो नई निविदा आई है, वह इससे अधिक है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 607 रुपये और 604 रुपये है, उससे बढ़कर अभी जो निविदा आई है, वह अधिक राशि की है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। और बच गया है ?

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल विषय यही है पहली तो मैंने जो जानकारी दी उसको आप दुरूस्त करा लें कि फरवरी 2020 से जनवरी 2021 तक एक यूनिट किसी कारणों से बंद थी, यह बिल्कुल सही जानकारी है। दूसरा वहां कभी आग लगने की घटना नहीं हुई, आग लगने की वजह से एक ही परिवहनकर्ता को बार-बार उपकृत किया जाये। तीसरा यह जो नया रेट आया है और पुराना रेट है, यदि negotitation करके, negotitation का रेट और वर्तमान रेट की तुलना की जाये तो बड़ा स्पष्ट हो जायेगा कि यदि आप negotitation करने का पूरा अधिकार चेयरमेन को दे रहे हो तो फिर negotitation करके नये टेन्डर रेट में 685 रुपये के हायर रेट में लेने की क्या जरूरत थी ? जब लोवर रेट में कोई काम करने को तैयार हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को पॉवर जनरेशन के लिए कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा ? वह कॉस्ट उपभोक्ता के ऊपर जाती है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि जो परिस्थिति बनी है, वह सबके सामने है। उसको भी मैंने स्पष्ट कर दिया। दूसरा भारत सरकार की गाईडलाईन के आधार पर ये विशेष परिस्थिति में समय वृद्धि करने का अधिकार है। उसको भी मैंने बता दिया कि कौन-कौन, किसको अधिकार है। तीसरा जो नया रेट आया है, वह 670 रुपये प्रति टन आया है। जो 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो 604 रुपये में करा रहे हैं तो घाटा कहां हो रहा है, नुकसान कहां हो रहा है वह तो बचत ही हुआ। अभी जो फायनल रेट आया है, वह 670 रुपये प्रति टन आया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये पूछिये, शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डॉ. साहब ने पूछा कि किन परिस्थितियों में बढ़ाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है कि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाने का अधिकार है। पूरा सदन जानना चाहता है कि यह विशेष परिस्थितियां कौन सीं थीं ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में आप कहां पड़ गये हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- आग लगना बता दिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- आग नहीं लगी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो बता दिया। विशेष परिस्थिति यह है कि निर्बाध रूप से कोयले की आपूर्ति हो। वैसे ही अध्यक्ष महोदय, 2022 के बाद जो एस.ई.सी.एल. से हम लोगों को कोयला मिल रहा है और हमको खदान मिली है तो उसमें पेपर्ड का पालन किया गया है। उसमें

हर साल उसकी मात्रा घटाई जा रही है और उसकी पूर्ति हमको वहां से करनी है और 2022 में हमको मिलना बंद हो जायेगा तो सारा कोयला यहां से मिलना शुरू होगा। जो रेलवे साईडिंग है, वह शुरू नहीं हो पाया है। जैसे ही रेलवे साईडिंग शुरू होगा, वह 20 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। जो एम.डी.ओ. होगा, उसके साथ शर्त में है कि उसे 20 किलोमीटर तक के खुद को परिवहन करके देना है। अब चूंकि वह रेलवे साईडिंग शुरू हो जायेगा तो यह सब काम बंद हो जायेगा।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष परिस्थिति बता रहे हैं इसलिए मुझे एक प्रश्न करना पड़ा। मड़वा के लिए आंशिक आपूर्ति एस.ई.सी.एल के अतिरिक्त गारे पेलमा सेक्टर- 3 से की गई है। यदि आंशिक पूर्ति की गई, यदि एस.ई.सी.एल के माईन्स से वहां पर आपूर्ति की जाती है तो उसको आंशिक क्यों, पूरे के पूरे एस.ई.सी.एल. से गारे पेलमा सेक्टर-3 से क्यों नहीं किया जा सकता था ? जबरदस्ती के इसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि हमारा एस.ई.सी.एल. का माईन्स है और वह चीपर है। इस टेन्डर के रेट से यदि उसका रेट कंपेयर करेंगे तो एस.ई.सी.एल. से जो हमको कोल मिलेगा, वह सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ती पैदा होगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा काम इनके कार्यकाल में हुआ । एम.डी.ओ. भी इनके कार्यकाल में हुआ, भारत सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, जो खदान एलाटमेंट हुआ वह भी इनके कार्यकाल में हुआ है । वह नियम भी बना है कि हर साल उसकी मात्रा घटायी जायेगी, वह भी तय है, हमने तो केवल क्रियान्वित किया है । अब चूंकि जैसे-जैसे मात्रा कम होती जायेगी, हमको गारे पेलमा से कोयले की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी । रेल्वे साइडिंग भी इनके शासनकाल में शुरू हुआ है अब सवाल इस बात का है कि वह जितनी जल्दी शुरू होगा, जो कि मार्च 2021 तक बनना था, संभवत: नहीं बन पायेगा, दिसंबर तक के बनेगा और जैसे ही वह बनेगा, ट्रांसपोर्टिंग का काम अपने आप समाप्त हो जायेगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । चूंकि डॉ. साहब बार-बार पूछ रहे हैं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता जी, अब ऐमा का बाच गे हे ?

श्री भूपेश बघेल :- डॉ. साहब बहुत सक्षम हैं भई ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब बार-बार पूछ रहे हैं कि यह कौन सी विशेष परिस्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय :- अब आप उस समय का पूछ रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष परिस्थिति कौन सी है ? माननीय मुख्यमंत्री जी से यही तो जानना चाहते हैं कि उपकृत करने के लिये आपके सामने कौन सी विशेष परिस्थिति आयी ? और वह कौन सी विशेष परिस्थिति आयी जिसके कारण आपको बार-बार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बढ़ाना पड़ रहा है ? वह विशेष परिस्थिति क्या है ? एक्चुअल में विशेष परिस्थिति कुछ नहीं है । केवल किसी को उपकृत किया जाना है और उपकृत करने के लिये विशेष पिरस्थिति की बात हो रही है तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई, कौन सा संकट आ गया कि जिसके कारण बिना कुछ किये उनको बढ़ाना पड़ रहा है और उसको एक प्रकार से उपकृत किया जाना, लाभ दिया जाना, इसके पीछे का भाव है इसलिए विशेष परिस्थिति को हम लोग जानना चाहते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- विशेष परिस्थिति इस शासन में बन गई, बाकी सब परिस्थिति डॉ. रमन सिंह जी के शासन में बन गई ।

श्री शैलेश पाण्डे :- अब तो 15 साल हो गये, कोयला छोड़ दो । अभी भी आप कोयला पकड़े हुए हो, आप लोग कैसा कर रहे हैं ? ऐसा मत करो । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- श्री अजय जी, क्या आप कुछ प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, पूरी परिस्थिति भाजपा शासन में बनी और विशेष परिस्थिति आपके शासन में बनी । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- बिना प्रश्न के आपको खड़ा होना जरूरी था । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, हम लोगों का खड़ा होना तो बंद है । (व्यवधान) हम लोगों की कोई औकात नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- आप बैठिए न, मैं नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- एक झन खड़े हुए तो दूसरे और तीसरे को भी पूछना जरूरी है । (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- आप लोगों ने 15 सालों तक कोयला नहीं छोडा, आप लोग अभी भी कोयला नहीं छोड़ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि रेल्वे साइडिंग शुरू हो जाती तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । दूसरा लगातार उसकी आपूर्ति बनी रहे, वहां उत्पादन प्रभावित न हो, जो हिंदुस्तान का सबसे महंगा ताप विद्युत गृह है, जो आपके जिले में स्थापित है इससे ज्यादा महंगा और कुछ नहीं है, जो हम लोगों को मिला है । उसकी पूर्ति बराबर बनी रहे, इसके लिये यह जरूरी था और दूसरा मैंने कहा कि यदि कोयले का ज्यादा स्टॉक हो जाता तो आग लगने की आशंका थी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री धरमलाल जी आप अपने प्रश्न पर आ जाईये । दोनों मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं, अपनी-अपनी समझ से समझ चुके हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जन घोषणा पत्र 2018 को सरकार द्वारा आत्मसात कर उसकी घोषणाएं पूर्ण करने संबंधी

3. (क्र. 1802) श्री धरमलाल कौशिक :- क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ द्वारा बजट सत्र 2019 को अभिभाषण में जन घोषणा पत्र 2018 को सरकार द्वारा आत्मसात करने का उल्लेख किया गया था ? (ख) यदि हां, तो उसमें कुल कितनी घोषणाएं की गई थी ? (ग) कितनी घोषणाएं पूर्ण हो गई है व कितनी घोषणा अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण घोषणाओं को कब तक पूर्ण किया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. (ख) छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनघोषणा पत्र जारी किया था. (ग) कुल घोषणाओं में 14 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी है, तथा 22 घोषणाएं अपूर्ण है. अपूर्ण घोषणाओं के पूर्ण होने का समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका जो घोषणा पत्र है और उसको जो आत्मसात किया गया है और आत्मसात करने के बाद में घोषणा पत्र को पूरा किये हैं । इसी हाऊस में उस दिन मुख्यमंत्री जी का आया था कि हमने 25 पूरा किया है फिर पी.सी.सी. अध्यक्ष का आया था कि हमने 24 पूरा किया है, फिर उसके बाद में समिति के अध्यक्ष का घोषणा पत्र आया था कि हमने 13 पूरा किया है तो यह बताने की स्थिति में कोई नहीं है कि कितना पूरा हुआ और आज जो जवाब आया है तो उसमें हमने 14 पूरा किया तो मैं देख रहा था कि इसमें कोई परिशिष्ट होगा, आपने 14 कौन-कौन से घोषणा पत्र पूरे किये हैं लेकिन इसमें कोई परिशिष्ट नहीं लगा है कि वह 14 कौन-कौन से हैं ? तो एक तो वह 14 कौन से हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी दे दें तब उसमें प्रश्न पूछना पड़ेगा और बिना उनके 14 दिये, मैं उनसे कौन से प्रश्न पूछूं ? दूसरा, इसमें आपने 36 का आत्मसात किया, उसके पीछे आपका यह जो पूरा 250 का अलग है जो इसी के साथ में लगा हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह बता दें कि वह 36 है और 36 के साथ में यह जो 250 है उसको भी आत्मसात किया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 सालों के कुशासन से प्रदेश की जनता त्रस्त थी और इसलिए जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए किसान, मजदूर, आदिवासी, अनुसूचित जाति, महिला, बेरोजगार, व्यापारी सभी लोग त्रस्त हो गये थे, उनकी भावना को देखते हुए यह जन घोषणा पत्र बनाया गया था और जन घोषणा पत्र बनाने का यह था कि इन वर्षों में गरीब और गरीब होते जा रहे थे, किसान लगातार खेती से विमुख होते जा रहे थे, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही थी, इस कारण जन भावनाओं के अनुरूप यह जन घोषणा पत्र बनाया गया । उसमें हमको आशीर्वाद मिला और हमने इसे आत्मसात किया । आपके जैसे नहीं, आपने वचन पत्र दिया था, यह हमारा वायदा नहीं है यह संकल्प है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्न का उत्तर तो आ रही नहीं रहा है अध्यक्ष जी ।

श्री भूपेश बघेल :- लेकिन वह कभी पूरा हुआ नहीं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेताजी, खड़े होकर बोलो । ओ नेता जी, बोलो कि राजनीतिक भाषण मत दो ।

श्री भूपेश बघेल :- बैठे, बैठे तो न बोलें । माईक बंद कर लीजिए, आप तो सीनियर सदस्य हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन था ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी उत्तर कहां आया है जो निवेदन कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उत्तर तो आ ही नहीं रहा है ना, वे तो भाषण दे रहे हैं, कौन सी 14 घोषणाएं पूरी कीं, यह बता दें ।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, आप बोलें तो वह प्रश्न है और हम बोलें तो भाषण है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता प्रतिपक्ष जी ने निवेदन किया है कि आपने कौन-कौन सी 14 घोषणाएं पूरी की, यह बताएं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं नेता जी के सवाल का ही जवाब दे रहा हूं ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- नेता इतना कमजोर हो गया कि आपको बार-बार खड़ा होना पड़ रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका उल्लेख करवाया । उसके अनुरूप हम लोग चल रहे हैं और हम लोगों ने बड़े-बड़े काम किये । हमने कहा था कि 10 दिन के भीतर ऋण माफी करेंगे लेकिन हमने 2 घंटे के भीतर किसानों का ऋण माफ किया (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इन 14 घोषणाओं के विषय में बता दें ।

श्री भूपेश बघेल :- उत्तर कैसे दूंगा, इसके लिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते । आप प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने आत्मसात किया । आपका जवाब नहीं आ रहा है आप केवल भाषण दे रहे हैं । आपका जवाब नहीं आ रहा है इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- जवाब दे रहा हूं ना । मैं तो बैठा नहीं हूं । अध्यक्ष महोदय, पहले दो घंटे में हमने 18 लाख किसानों का ऋण माफ किया (मेजो की थपथपाहट), हमने घोषणा की थी कि 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदेंगे, हमने खरीदा (मेजो की थपथपाहट), हमने कहा था कि आदिवासियों की जमीन जो टाटा के लिए ली गई थी, हम वापस करेंगे, हमने एक महीने के भीतर वह जमीन वापस की (मेजो की थपथपाहट), हमने आदिवासियों को जो कि जल, जंगल, ज़मीन के लिए हमेशा लड़ते रहे, वनाधिकार पत्र देंगे, हमने दिया और वह अभी तक जारी है (मेजो की थपथपाहट), आज तक सामुदायिक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दावे के नाम से कोई ज़मीन नहीं दी जाती थी केवल धरसा और शमशान घाट के नाम से सामुदायिक दावे की ज़मीन दी जाती थी हमने 4 हजार से अधिक दावे को निराकृत करते हुए 25 लाख हेक्टेयर से अधिक ज़मीन आदिवासियों को दी (मेजो की थपथपाहट) । लघु वनोपज पहले 7 थे, उनको बढ़ाकर 52 किया और समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी की व्यवस्था की (मेजो की थपथपाहट) हमने बिजली बिल आधा करने का वायदा किया था, 38 लाख परिवारों को 400 यूनिट आधा किया और 12 सौ करोड़ रूपए से लाभान्वित किया (मेजो की थपथपाहट), अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोग काम करते जा रहे हैं, जो जन घोषणा पत्र है, उसी के अनुरूप चलते जा रहे हैं । ये 18 हजार करोड़ रूपया केन्द्र शासन से लेने में आप सहायता कर दीजिए, बाकी की घोषणाएं भी बहुत तेजी से पूरी कर देंगे (मेजो की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शांति से सुन रहा था । बहुत विस्तार से और पूरे सदस्यों से ताली बजवाने के बाद भी 7 घोषणाओं तक भी नहीं पहुंचे । पांच में ही अटक गए । आप तो मुझे केवल 14 घोषणाएं लिखकर दे दीजिए कि आपने कौन सी घोषणाएं पूरी कीं । जो 36 घोषणाओं की बात आपने की है, उन्हें तो आप पूरी कर ही नहीं सकते । 2500 रूपए आपने कहा कि धान की कीमत देंगे, आपने कहा 5 मार्च को देंगे, 5 मार्च निकल गया आज 10 मार्च हो गया लेकिन अभी तक 2500 रूपए खाते में नहीं आए ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं गिना देता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं अभी प्रश्न कर रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, हां, मैं उत्तर दे रहा हूं ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बैठिये ना ।

श्री भूपेश बघेल :- बोलिए ना, आप पूछिये ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बैठेंगे तब तो पूछूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- पूछिये, पूछिये, मैं सुन रहा हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नही नहीं, फिर मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- चलिए, पूछिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- भई, आप बैठेंगे तो मैं पूछूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, हां बैठ गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने यह जो 36 के साथ में ढाई सौ जो है, उसको आपने आत्मसात किया या नहीं किया । इसको आप बता दीजिए तो फिर मैं प्रश्न करता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- सभी को किया है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभी को किया है तो मैं..।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अब आपने प्रश्न किया है तो मुझे उत्तर देने दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- एक बार में एक ही प्रश्न पूछेंगे ना । एक प्रश्न पूछ लीजिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूं । बैठिये आप, आपसे आग्रह है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने बता दिया, अब आप बैठ जाइए ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने कहा कि मैंने 7 घोषणाएं बताईं, मैं आपको 14 घोषणाएं बता रहा हूं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- दोनों खड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा। आप बैठिए न। (हंसी)
आप बैठ जाओ। नेता जी आप बैठ जाओ। दोनों एक साथ खड़े रहोगे तो कैसे चलेगा?

श्री अमरजीत भगत :- जनादेश तो 5 साल का है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके जनादेश में आ रहा हूं। कल आपके जनादेश को देखा और कितने सत्यवादी हैं, उसे भी देखा। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपने 15 साल में इन्होंने घोषणा किया है, क्या उसे पूरा किया? इसीलिए ये 14 सीटों पर सिमट गये हैं। ये इनके तीनों घोषणा पत्र हैं। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अभी दो साल बाकी है।

अध्यक्ष महोदय :- मोहन जी, आप बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- अमरजीत जी, कल आप कितने सत्यवादी हो, मंत्री ने जवाब में बता दिया। आप तो 25 बोल रहे थे या तो आप असत्य बोल रहे हो या मुख्यमंत्री असत्य बोल रहे हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। बाकी तो शराबबंदी उन्होंने कर दिया। मैं एक-एक पढ़ते जाउं कि उन्होंने शराबबंदी पूरा कर दिया। अब मैं पढ़ते जाता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आदिवासियों का तेंदूपत्ता 2500 से 4000 कर दिया।

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष जी, ये शराबबंदी की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए जो घोषणा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसे हमने पूरी की।

श्री भूपेश बघेल :- ये प्रश्न ही नहीं कर पा रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- चलिए, मैं पढ़ते जा रहा हूं। जैसे मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं वैसे ही प्रश्न करूंगा। मैं तो प्रश्न कर रहा हूं कि आपने शराबबंदी कब किया?

श्री अमितेश शुक्ल :- धीरे-धीरे होगा। 5 साल में सब होगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने 2 साल का बोनस दे दिया। आपने बरोजगारी भत्ता दे दिया? (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अभी कार्यकाल कम्प्लीट नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, प्लीज।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, ये 2003 का, 2008 का, 2013 का जो घोषणा किये हैं, उसे तो पूरा कर नहीं पाये। ये लोग हमसे किस मुंह से पूछते हैं? क्या इन्होंने घोषणा पूरा कर दिया? मोहन मरकाम जी को जस्टिफाई किये हो क्या? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने दो साल का बोनस दे दिया ? आपने बेरोजगारी भत्ता दे दिया? (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, ये इनके तीनों घोषणा पत्र हैं, जिसे इन्होंने 15 साल में पूरा किया? (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप 15 साल में अपनी घोषणा तो पूरी नहीं किये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता दोनों को निपटने दीजिए। आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं?

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन नहीं खड़ा होगा, बोल दीजिए। हम लोग भी खड़ा नहीं होंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप तो 10 बार खड़े हो जाते हो न। अपने प्रश्न को छोड़कर बाकी में खड़े होते हो।

अध्यक्ष महोदय :- पहले 14 का लेंगे जवाब या..।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, ये 14 का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- दिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, ये देने की स्थिति में भी नहीं हैं। मैं तो उसे गिना रहा था कि 1 जुलाई से ऊपर से क्या आपने शराबबंदी कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने शराबबंदी कर दिया न?

श्री भूपेश बघेल :- मैं दे रहा हूं न। मैं दे रहा हूं न जवाब।

अध्यक्ष महोदय :- पहले 14 का तो जवाब ले लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूं। मैं इसलिए बोला, क्योंकि आपने आत्मसात किया। इसमें सामुदायिक कृषि लिखा हुआ है और इस सामुदायिक कृषि में 10 से 100 हेक्टेयर के बीच सरकारी भूमि, कृषि क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। किसानों को सामुदायिक कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि उपकरणों का बेहतर उपयोग किया जा सके। मंडी शुल्क समाप्त किया जायेगा। यह कब करेंगे, मैं यह माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 14 के बारे में पूछा।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं..।

श्री भूपेश बघेल :- पहला प्रश्न तो आपका वही था। उसके बाद तो आपने भाषण देना शुरू किया।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, भाषण आपने देना शुरू किया।

श्री भूपेश बघेल :- हां, मैं जवाब दे रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- आप मंडी शुल्क की बात करते हैं और घोषणा पत्र में बंद करने की बात करते हैं और यहां पर आप मंडी शुक्ल बढ़ाते हैं। (शेम-शेम की आवाज) तो यह आपका घोषणा पत्र है। आपके घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है, आपने आत्मसात किया। आपने महामहिम से बोलवा लिया तो मंडी शुल्क कृपया आप कब समाप्त कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें मैंने आपको कोई समय-सीमा तो नहीं बताया कि हम इस तारीख को बंद कर दें। इस तारीख तो करेंगे, यह भी हमने कहा और जिसमें यह था कि हम 10 दिन के भीतर में..।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि मंडी शुल्क समाप्त किया जायेगा।

श्री भूपेश बघेल :- आप सुनिए तो भाई। आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो पूरा बोलने दे रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- आप कहां बोलने दे रहे हैं। आप खड़े हो रहे हैं। आपसे अनुमति भी नहीं लिये हैं और ये खड़े हो गये हैं।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। आप उत्तर ही पूरा नहीं सुन रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अपने घोषणा पत्र को हाथ में रखिए और कितने-कितने पूरा किये, यह बताइए। उसके बाद जो हमारा घोषणा पत्र दिखायें, जो आप दिखा रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 14 गिना रहे हैं। मैं पूरा गिना देता हूं। पहला हमने कहा था कि ऋण माफ करेंगे। हमने किया। (मेजों की थपथपाहट) हमने कहा था कि जलकर माफ करेंगे। जलकर माफ हुआ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- अल्पकालीन ऋण माफ हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, सुनो भाई। आप बैठे-बैठे डायरेक्टर मत दीजिए। है न। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आप कम से कम बैठे-बैठे मत बोलें।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह स्थिति है। (शेम-शेम की आवाज)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हमने जलकर माफ किया। हमने कहा था कि आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा करेंगे। हमने किया। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने यही कहा है कि घोषणा पत्र में कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे। आपने यह नहीं लिखा है कि (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- जवाब तो सुनो भई। आप सुनना नहीं चाहते (व्यवधान)

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- नेता जी, आप सुन तो लीजिए कि आदरणीय क्या-क्या बोल रहे हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, सुनो तो। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आपको सुनना चाहिए। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- सुनने की हिम्मत रखिए। (व्यवधान)

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- जवाब तो आप सुन लिया करो। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप तो सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप कोप भवन में बैठकर रोते रहिए। आप कुछ मत करिए। (व्यवधान) जनता हमें इसलिए पसंद करती है। चाहे शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र के हो। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि कर्ज माफ करेंगे, जो कर्ज माफी का वादा किया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जनता से वादा किया था और इसीलिए जनता से वादा किया था, जनता हमसे प्रसन्न है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वादा किया था कि कर्ज माफ करेंगे, लेकिन हर जगह कर्ज माफ नहीं हुआ है । आपने कर्ज माफ की बात की थी तो कर्ज माफ करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इसी कारण से नगर निगम में इनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, जिला पंचायतों में इनका सुपड़ा साफ हुआ, तीन उपचुनाव हुए, उसमें इनका सुपडा साफ हुआ । (मेजों की थपथपाहट) ये लोग अपनी सीट भी नहीं बचा पाये । कांग्रेस सरकार पर जनता का प्रेम है । हमारी सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है, जनता से किए गए वायदों को पूरा करेंगे और आज 18 हजार करोड़ रूपये केन्द्र सरकार ने रोका है, उसको वापस दिलायें, यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं । वह 18 हजार करोड़ मिल जाएगा तो हम और अच्छे से, तेजी से छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरम लाल कौशिक :- आपने डर के मारे डायरेक्ट चुनाव करवाया और अपने अधिकारों का हनन किया गया । आपको मालूम था कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो आपने अधिकारों का हनन किया । जो निगमों के चुनाव हुए, उसमें आपने वहां की जनता को ओबिलाईज़ करने का काम किया और निगमों का डायरेक्ट चुनाव करवाया (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- आप इनकी पार्टी का घोषणा-पत्र तो सुनाओ (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 का इनका घोषणा-पत्र है । यह न तो घोषणा है, न ही वादा । यह संकल्प जिसे भारतीय जनता पार्टी हर दिन, हर पल और हर क्षण पूरा करेगी । 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन्होंने क्या किया है ?

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी, यह प्रश्न आपके प्रश्न से उद्भूत नहीं होता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा अधिकार में प्रत्येक परिवार को 35 किलो चांवल प्रति माह एक रूपए में देने का वादा आपके जन घोषणा-पत्र में था या नहीं, और दूसरा प्रश्न, 10 लाख युवाओं को राजीव मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास और समाजसेवी गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रति माह ढाई हजार रूपए प्रदान किया जाएगा, इन दोनों वादों को कब तक पूरा करने वाले हैं, बता दीजिए ।

श्री अमितेश शुक्ल :- इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, पर पहले आप गाय का बताईए । आपने गाय डोनेट किया या नहीं ? वह आपने पूरा किया या नहीं? पहले उसका जवाब दो ।

श्री शिवरतन शर्मा:- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं, वे जवाब देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यूनिवर्सल पी.डी.एस. सिस्टम लागू किया, सारे राशन कार्ड के फिर से नवीनीकरण किया गया, आधार कार्ड से लिंक किया गया और 56 लाख परिवारों को 35 किलो के हिसाब में हम राशन दे रहे हैं (मेजों की थपथपाहट) जहां तक 10 लाख युवाओं देने की बात है ...।

(श्री शिवरतन शर्मा के खड़े होने पर)

श्री भूपेश बघेल :- बैठ तो जाओ, इतना अधीर क्यों हो रहे हैं भई ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, अधीर इसलिए हो रहा हूं । आप सदन को गुमराह कर रहे हैं इसलिए मैं अधीर हो रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- क्या गुमराह कर रहा हूं ? आप बोल रहे हैं, वह सही है? आपने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, सुनने की हिम्मत नहीं है । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, सुनने की ताकत नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- क्या गुमराह कर रहा हूं ? सुनने का हौसला रखिए। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां-कहां से ले आते हैं (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- ये लोग सदन का समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान) अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सदन को गुमराह कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- पहले जो प्रश्न पूछे हो, उसका उत्तर तो सुनो । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- सदन का कोई गुमराह नहीं कर रहा है । अभी ढाई साल हुआ है, अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है । आप अपने 15 साल को देखिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया इशारा, हो गया इशारा । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहले उत्तर सुन लो, उसके बाद बात करो । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- झूठ बोलने का तो इन्होंने ठेका ले लिया है । झूठ बोलकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । हमने एक रूपये में 35 किलो चांवल दिया है । कोई शिकायत नहीं किया है (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ये जिंदा आदमी को मुर्दा बताते हैं (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गयी इशारों में बात, हो गया इशारा । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- सब काम हो जाएगा । कांग्रेस जो वादी करती है, वह पूरा होता है । आपके जैसे नहीं हैं कि वादा किये और भूल गए (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- हमने 35 किलो चांवल एक रूपये प्रति किलो में दिया । वह दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी मित्र योजना के अंतर्गत जो वादा किया है, उसे कब तक पूरा करेंगे । वह भी जल्दी ही करेंगे । पहला साल चुनाव में निकला, दूसरा साल कोरोना काल में निकला और 18 हजार करोड़ रूपये नहीं रोकते तो इसी बजट में उसको शामिल करते, लेकिन हमने जनता से जो वादा किया है, उसे पूरा करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, कितने परिवारों को आपने एक रूपये किलो में चावल दिया । मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है । बेरोजगारों के लिए जो वादा किया गया था, उसे कब तक पूरा करेंगे (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- इन्होंने लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं किया । आपने जो वादा किया था, उसे कभी पूरा नहीं किया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, सब शांति से बैठिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने क्या किया (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया है ।

श्री मोहन मरकाम :- आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उसे पूरा नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण बैठ जाएं । आप सब लोग बैठ जाएं, अब दूसरा पूरक प्रश्न अजय चन्द्राकर करेंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, धनेन्द्र भैया अभी आईस एक बेर अऊ बधाई दे देव।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है तो अमूमन भाषण में आता नहीं है। यदि वह अभिभाषण में आ गया, वह राज्यपाल के मुंह से हो गया तो सरकारी दस्तावेज हो गया। जिस किसी भी, उसका उल्लेख किसी के द्वारा हो रहा है तो राज्यपाल के अभिभाषण से कभी नहीं कहलवाया गया कि हमने उसको आत्मसात किया है, उसको आत्मसात किया है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झूठ बोलने का काम किये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि...।

अध्यक्ष महोदय :- जी, पूछिये।

श्री अजय चंद्राकर :- जिस घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया है। उसमें पूर्ण सारे ऋण का माफ था कि अल्पकालिक ऋण माफ की घोषणा थी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कलई खुली। ये लोग जो जनता से कहते हैं वह अलग है, सत्ता में आने के बाद कहते हैं, वह अलग है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, ये कोई स्पेस्फिक उत्तर नहीं है। छोटा सा प्रश्न है।

श्री भूपेश बघेल :- सुनिये न, छोटा सा प्रश्न नहीं है, बहुत विस्तारित प्रश्न है।
आपने कहा था कि दो करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। वह भी केवल.. ।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप दिल्ली में मत जाईये। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- यहीं बात कर रहे हैं। यहीं जवाब दे रहे हैं। मैं यही का बात कर रहा हूं। सारे आदिवासियों की हर परिवार को नौकरी मिल गयी। (व्यवधान) आपने कहा था कि सबको जर्सी गाय दूंगा। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह विधानसभा का प्रश्न है। (व्यवधान) वह आप दिल्ली का पूछवाईये, आपके पास सांसद है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अनुसूचित जाति के लोगों को तीन एकड़ जमीन दूंगा बोले थे। आपने दिया ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपके पास सांसद है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- जो जन घोषणा पत्र है उसी के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है और उसे हम पूरा करेंगे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमको पांच साल के लिये जनादेश मिला है। हम उसको पूरा करते जा रहे हैं। लगातार पूरा करते जा रहे हैं। ये लोग अड़ंगा नहीं डालते तो (व्यवधान) बहुत कुछ पूरा हो जाता।

श्री अजय चंद्राकर :- दिल्ली में पूछवाईये। (व्यवधान) यहां जो आत्मसात है, वह आपका डाक्यूमेंट है....।(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- केन्द्र सरकार के विषय पर यहां कोई बात न हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सारे ऋण माफी की घोषणा हुई थी, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग बैठिये।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जो दस्तावेज आपने ...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने कहा कि मंडी शुल्क को समाप्त किया जायेगा, यहां मंडी शुल्क बढ़ा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का उत्तर जरूर आ जायेगा पहले आदिवासियों को (व्यवधान) महंगाई भत्ता दे दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जरूर उत्तर देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये-बैठिये। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वन विभाग से था...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट रूक जाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाएं।

श्री धरमलाल कौशिक :- समाप्त कब किया। मैं यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- छत्तीसगढ़ से दिल्ली चले गये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जवाब नहीं है, भाजपा के 15 साल के अलावा इनके पास जवाब नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने किसानों को ठगा है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- नियत को छोड़ दीजिए। यह इनके घोषणा पत्र में है। इसको पढ़ों और मुख्यमंत्री जी को बताओ। समाप्त करने की बात कही है। यह आपका घोषणा पत्र है। वादाखिलाफी करते हो। ये पूरा वादाखिलाफी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, चलिये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को अंतिम रूप से संतुष्ट कर दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल संतुष्ट कर देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंडी शुल्क को समाप्त किया जायेगा, यह लिखा हुआ है। (व्यवधान) एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि संतुष्ट हो जाये। (व्यवधान) आप संतुष्ट हो और मैं भी हूं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र जारी किये, आज घोषणा पत्र में कहते हैं कि...।(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आप तो मुझे आदेश दिये। आपने मुझे आदेश दिया है और मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये 25 पूरा किये हैं। 14 पूरा नहीं किये हैं। (व्यवधान) केवल राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। असत्य बोलना इनका परमो धरम अधिकार बन गया है। इससे असंतुष्ट होकर हम लोग बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:39 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जाओ, जाओ, इसके अलावा कोई काम नहीं है। (व्यवधान) शर्म करो।

श्री रामकुमार यादव :- इही असली रिहिस हे।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

श्री भूपेश बघेल :- किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किये थे। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा चावल नहीं खरीद रहे हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार अड़ंगा डाला जा रहा है। 60 लाख मीट्रिक टन चावल की सहमति बनी, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं। एफ.सी.आई. में चावल जमा करना है, वह उसको भी जमा करने नहीं दे रहे हैं। नये बारदाने, पुराने बारदाने की बात चल रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल का विषय नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- आप तो बहिर्गमन करके चले गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह प्रश्नकाल का विषय नहीं है। प्रश्नकाल में किसी तरह का भाषण नहीं होता है। प्रश्नकाल में प्रश्न होता है। आप मुझे संसदीय प्रक्रिया सीखा रहे थे कि बैठे-बैठे नहीं बोला जाता। (व्यवधान) प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- आप हमारा 18 हजार करोड़ रूपया रोक लिए हो। आप 18 हजार करोड़ रूपया दिलवा दो। अगर हमको 18 हजार करोड़ रूपया मिलता तो हम वे सारे वादे निश्चित रूप से पूरा करते। लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि कैसे अड़ंगा डाला जाये। जो लोग सब धान बेचे हैं, उनका उसका भी पैसा मिला है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी पैसा मिला है और 31 मार्च के पहले उनको चौथा किश्त भी मिलेगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने के लिए कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मुझे सीखा रहे थे कि बैठे-बैठे बात मत करो। आप कौन सी प्रक्रिया में भाषण कर रहे हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- प्रश्न किए हो तो सुनने की ताकत रखो।

अध्यक्ष महोदय :- लक्ष्मी ध्रुव, आप अपना प्रश्न करें।

सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वन सुरक्षा समिति को स्वीकृत राशि

4. (*क्र. 524) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वि. खं. नगरी एवं मगरलोड में स्थित वन परिक्षेत्रों के ग्रामों में वन सुरक्षा समिति में 01-01-2019 से जनवरी, 2021 तक कितनी-कितनी राशि जमा एवं खर्च की गई तथा विभिन्न मदों एवं कैम्पा मद से केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2019 से 01 जनवरी, 2021 तक कौन-कौन से कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब एवं कहां-कहां के लिए स्वीकृत की गई है? (ख) उक्त कार्यों की मदवार, वर्षवार, स्वीकृत एवं खर्च की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड नगरी एवं मगरलोड के वन परिक्षेत्रों की वन प्रबंधन समितियों में 01-01-2019 से जनवरी 2021 तक वर्षवार जमा राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(रु. लाख में)

क्र.	विकासखण्ड	परिक्षेत्र	समितियों की संख्या जिनमें राशि जमा/व्यय की गई	जनवरी से दिसम्बर 2019		जनवरी से दिसम्बर 2020		जनवरी, 2021	
				जमा	व्यय	जमा	व्यय	जमा	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	मगरलोड	उत्तर सिंगपुर	13	7.12	7.78	26.07	10.76	0.00	0.19
		दक्षिण सिंगपुर	19	1.75	12.14	2.07	8.83	0.00	0.00
2.	नगरी	नगरी	26	4.66	14.37	7.52	19.03	0.00	0.00
		केरेगांव	38	9.98	14.43	41.70	34.81	11.26	0.07
		दुगली	9	1.23	60.62	1.75	41.13	0.00	0.00
		बिरगुडी	20	15.46	11.80	5.40	9.79	1.90	0.00
		संकरा	5	0.00	3.75	0.00	1.73	0.00	0.15
		योग	130	40.20	124.89	84.51	126.08	13.16	0.41

वर्ष अंतर्गत जमा राशि से अतिरिक्त राशि का व्यय पूर्व वर्षों की जमा राशि से किया गया है. जनवरी, 2019 से 01 जनवरी, 2021 तक विभिन्न मदों में स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, स्वीकृति दिनांक एवं कार्य स्थल की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-1, 2 एवं 3" में दर्शित है. (ख) उक्त कार्यों हेतु मदवार, वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-1, 2 एवं 3" में दर्शित है.

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वन विभाग से था। मैंने इसमें वन सुरक्षा समिति के आय-व्यय और कैम्पा मद के कार्यों के बारे में पूछा था। माननीय मंत्री जी ने संपूर्ण उत्तर पूरे विस्तार से दिया है। मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद, आप बैठ जाईये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- लेकिन मेरा यह पूरक प्रश्न है कि 2017 में दुगली परिक्षेत्र के मोनईकेरा में कैम्पा मद से काम हुआ है, उसके बारे में जांच करायेंगे क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी सूची उपलब्ध करा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- कोई एक विशेष गांव के बारे पूछ रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 373 कार्यों की सूची उपलब्ध करा दी गई है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं 2017 के कार्यों की बात कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- यदि कोई छूट गया हो तो बाद में बता दीजियेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी दे दी गई है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो बता दीजियेगा, आप जो चाहती हैं, मैं वह कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- उनका कैम्पा मद का प्रश्न है, जिससे वह असंतुष्ट हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जी, मंत्री जी धन्यवाद।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्री जी से यह चाहती हूं कि क्या वन सुरक्षा समिति में कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अध्यक्ष बन सकती है ? साथ ही साथ क्या वन पट्टा शासकीय नौकरी एवं जिनको शासकीय पेंशन मिलता है, उनको वन पट्टा मिल सकता है ? क्या फारेस्ट के तहत डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनती है, वहां बिना रायल्टी के मुरूम डाल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- एक साथ 3 प्रश्न जोड़ दिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन पट्टा के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कोई नौकरी में है तो उसको वन पट्टा नहीं दिया जा सकता, उसको दिया जा सकता है। जहां तक मुरूम का सवाल है तो बिना रायल्टी के मुरूम नहीं डाला जा सकता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बस्तर के युवाओं और बेरोजगारों हेतु कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन

5. (*क्र. 1584) श्री मोहन मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बस्तर के युवाओं और बेरोजगारों के लिए बस्तर में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? (ख) कंडिका "क" के अनुसार क्या कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन कर लिया गया है? यदि हां तो कब? यदि नहीं, तो किन कारणों से गठन नहीं हुआ है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां, दिनांक 30-05-2019 को. (ख) जी हॉ, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 04-09-2019 द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बस्तर संभाग में कनिष्ट कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित प्रश्न था। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आ गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरक प्रश्न है कि कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड में किन-किन पदों के लिए भर्ती होना है और बस्तर संभाग में कितने पद खाली हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सत्ता में आते ही कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया, जिसमें बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर में जहां अनुसूचित क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, उसके लिए व्यवस्था की गई है। यह कार्यशील है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसमें किन-किन पदों का चयन होना है तो इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भर्ती कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होगी।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-6 अरूण वोरा की जगह मोहन मरकाम जी।

प्रदेश में सड़क किनारे वृक्षारोपण पर व्यय राशि

6. (*क्र. 1778) श्री अरूण वोरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सड़क किनारे वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 31 जनवरी, 2021 तक वृक्षारोपण हेतु कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस मद/योजना में स्वीकृत की गई? (ख) कुल कितने-कितने पौधे का रोपण किया जाना था तथा कुल कितने-कितने पौधे रोपित किए गए तथा कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्री जी से कहना चाह रहा था कि परिशिष्ट में बातें आ गई है। हम लोग जो वृक्षारोपण करते हैं, उसमें लगभग कितने प्रतिशत पौधे

[1] परिशिष्ट "एक"

जीवित रहते हैं। क्योंकि हम लोग हर साल पौध रोपण करते हैं तो जीवित पौधे का प्रतिशत बहुत कम रहता है। तो कितने प्रतिशत पौधे जीवित बचते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश तो यह रहती है कि 100 प्रतिशत पौधे जीवित रहें। लेकिन जो प्रश्न से संबंधित मामला है, उसमें 90 प्रतिशत पौधे जीवित पाये गये हैं।

<u>राज्य में संचालित ताप विद्युत संयंत्र एवं उत्पादित विद्युत</u>

7. (*क्र. 99) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कहां-कहां पर कितनी क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र संचालित हैं? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक में कितने मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है? प्रतिमाह कितना उत्पादन हुआ है, और कितने कोयले की खपत हुई है? (ग) उपरोक्त कोयले की आपूर्ति किस एजेंसी से हुई है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के संचालित ताप विद्युत संयंत्रों के नाम, स्थान एवं उनकी क्षमता की जानकारी निम्नानुसार है :—

संयंत्रों के नाम	स्थान	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	कोरबा शहर, जिला – कोरबा	इकाई 01 – 250 इकाई 02 – 250 कुल – 500
हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	ग्राम – दर्री, जिला – कोरबा	ईकाई 01 – 210 ईकाई 02 – 210 ईकाई 03 – 210 ईकाई 04 – 210 कुल – 840
कोरबा पश्चिम विस्तार	ग्राम – दर्री, जिला – कोरबा	ईकाई 01 – 500 कुल – 500
अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा	ग्राम– मड़वा-तेंदुभाठा, जिला –जांजगीर-चांपा	इकाई 01 – 500 इकाई 02 – 500 कुल – 1000

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में 18212.34 मिलियन यूनिट एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक की स्थिति में 15609.15 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ. प्रतिमाह विद्युत उत्पादन एवं कोयले की खपत नीचे तालिका में दर्शित है.

माह	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21	
	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	कोयला खपत (मैट्रिक टन)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	कोयला खपत (मैट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अप्रैल	1628.745	1132003	1542.352	1146988
मई	1461.025	1062251	1559.848	1223391
जून	1554.875	1123354	1493.056	1117772
जुलाई	1789.973	1227453	1700.296	1288481
अगस्त	1684.418	1163307	1686.319	1277704
सितम्बर	1471.235	1010743	1556.600	1095631
अक्टूबर	1407.611	1038022	1531.638	1131953
नवम्बर	1366.109	1024370	1585.561	1154478
दिसम्बर	1699.098	1292952	1590.263	1152348
जनवरी	1461.016	1100086	1363.221	966316
फरवरी	1265.951	908080	—	—
मार्च	1422.286	1024538	—	—
कुल	18212.34	13107159	15609.15	11555062

(ग) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति एस.ई.सी.एल. द्वारा की जाती है. प्रश्नाधीन अवधि में केवल अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा में कोयले की आंशिक आपूर्ति एस.ई.सी.एल. के अतिरिक्त जनरेशन कंपनी को आबंटित कोल ब्लॉक-गारे पेलमा सेक्टर-3 खदान से भी की गई है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ताप विद्युत संयंत्रों के बारे में जानकारी दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एस.ई.सी.एल. से जो कोयला आता है, वह सस्ता पड़ता है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दोनों दरें हैं वह अलग-अलग खदानों की अलग-अलग दरें हैं। प्रायवेट में भी आप देंगे, जो दूसरे राज्य को हमने आवंटित किया है तो उसमें रायल्टी भर लगती है लेकिन जो प्रायवेट खदानें खुद के लिए खरीदे हैं उन अलग-अलग खदानों की अलग-अलग दर हैं। यहां चूंकि विद्युत ताप गृह कोरबा में है कहीं से कन्वेयर बेल्ट से जा रहा है, कहीं ट्रेन से जा रहा है। यदि कन्वेयर बेल्ट से जायेगा तो सबसे सस्ता पड़ेगा। खदान से निकला, कन्वेयर बेल्ट में डाला और सीधे ताप विद्युत गृह में गया और उससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। दूसरा यदि रेल्वे से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो उससे थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन यदि सड़क मार्ग से ले जायेंगे तो वह ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये सारे खदान एस.ई.सी.एल. भारत सरकार के हैं, गारे पेलमा जो खदान है वह राज्य विद्युत बोर्ड का है और उसके खनन के लिए जो राशि लगती है अब भारत सरकार से हमने पूछा नहीं है कि उसके उत्खनन में कितना लगता है अन्यथा यहां जितनी खदानें हैं उससे एम.ओ.यू. के माध्यम से किया गया है। आप चाहेंगे तो मैं उसकी अलग से जानकारी दे दूंगा।

श्री सौरभ सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक साधारण प्रश्न पूछा कि सस्ता कौन सा पड़ता है जिसमें राज्य सरकार का पैसा बचे। मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि हमारे छत्तीसगढ़ ताप विद्युत संयंत्रों की कोरबा और जांजगीर जिला मिलाकर जो स्थापित कैपेसिटी है वह 2840 मेगावॉट की है। परंतु वर्ष 2019-20 में किसी महीने में यदि अधिकतम उत्पादन हुआ तो 1779 मेगावॉट और वर्ष 2020-21 में अधिकतम जो उत्पादन हुआ वह 1700 मेगावॉट हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतना कम उत्पादन क्यों हो रहा है? अगर मड़वा का जो 500 मेगावॉट खराब है उसे भी यदि काट देते हैं तब भी 2340 मेगावॉट की स्थापित कैपेसिटी है तो उनसे 1700 मेगावॉट का उत्पादन क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत गृहों का जो उत्पादन है उसे भारत सरकार ने जनवरी में सबसे बढ़िया उत्पादन कहा है अर्थात उसका पी.एल.एफ. सबसे बढ़िया रहा है और वह प्रथम स्थान पर रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- इस जनवरी में?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जनवरी तक। छः महीने तक हम लगातार टॉप में रहे। भारत सरकार की जो रैकिंग हुई है उसमें हमारा उत्पादन सबसे अच्छा रहा है। यदि भारत सरकार की आप जानकारी देखेंगे तो उसमें आपको दिख जायेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्लांट लोड फैक्टर 92 प्रतिशत की जानकारी विभागीय प्रतिवेदन में दी है। मैं उधर जाना नहीं चाहता। वह प्लांट लोड फैक्टर एक प्लांट का है या कितने प्लांटों का है? मैं तो आपके जवाब की जानकारी में बोल रहा हूं कि किसी महीने में अधिकतम 1700 मेगावॉट ही प्रोडक्सन हुआ है और आपकी स्थापित क्षमता 2840 है। उसमें यदि हम मानते हैं कि 500 मेगावॉट मड़वा का नहीं चल रहा था और बंद था चाहे वह जिस भी कारण से बंद था उसके बाद भी 2340 मेगावॉट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में आया है कि हमने तेलंगाना से जो 1000 मेगावॉट का पी.पी.ए. किया है वह 4.62 का है। थर्मल पॉवर प्लांट के लिए 4.62 बहुत अच्छा रेट होता है तो इस दर पर हमने जो पी.पी.ए. किया है उसको भी हम जो अधिकतम दे पाये हैं वह सिर्फ 432 से 436 मेगावॉट दे पाये हैं। यदि हम हमारे प्लांट का प्रोडक्सन बढ़ायेंगे और हम उसे तेलंगाना को 1000 मेगावॉट देंगे तो उससे सरकार को फायदा होगा, मैं यही जानना चाहता हूं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तर में थोड़ा संशोधन करूंगा कि दिसंबर तक हम प्रथम स्थान पर थे और जनवरी से हम लोग द्वितीय स्थान पर थे। और हमारा पूरा उत्पादन 70 पी.एल.एफ. का रहा है तो देश में हम हमेशा नंबर एक या नंबर दो में रहे हैं। जहां तक आपने मड़वा की बात कही है और ऐसा गले की फांस है कि न उसे निगलते बनता है न उसे उगलते बनता है। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके..। मैंने पहले ही उनके उत्तर में कहा कि हिन्दुस्तान में सबसे महंगा पॉवर प्लांट कहीं है तो वह हमारा अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको आपने जांजगीर में ही क्यों शिफ्ट करवा दिया महाराज?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो वहीं स्थापित हो गया।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि क्यों हम अपना प्रोडक्सन नहीं कर पा रहे हैं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हॉ-हॉ, मैं उत्तर दे रहा हूं। वह तो तेलंगाना के साथ एग्रीमेंट हो गया। उस दर में हिन्दुस्तान में कोई बिजली खरीदने वाला नहीं है, वह एग्रीमेंट हो गया इस कारण से उसको दे रहे हैं। लेकिन वह हमारी इस बाध्यता को जानते हैं और इसी कारण से तेलंगाना का जो विद्युत मंडल है उससे दो हजार करोड़ रूपये लेना बाकी है। हम उसकी पूर्ति बंद भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस दर पर कोई दूसरा खरीददार नहीं है। दूसरा वह भी जानते हैं इस कारण से हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। केवल ब्याज और उसका पैसा दे देते हैं और पैसा जितना 2 हजार करोड़ रूपया उतना का उतना ही है। हम उसी को देखकर, जितनी उसकी डिमाण्ड है, जितना वह पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे महंगा यदि ताप विद्युत गृह है तो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना कि भारत का सबसे अच्छा पॉवर परचेस एग्रीमेंट हुआ है। 4.62 या सबसे अच्छा, वह उसी चीज को बोल रहे हैं कि भारत का सबसे अच्छा पॉवर परचेस एग्रीमेंट है तो यह भारत का सबसे अच्छा पॉवर परचेस एग्रीमेंट हुआ है तो हम अपने प्रोड्क्शन को बढ़ाकर दें, पॉवर परचेस एग्रीमेंट ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पैसा नहीं दे रहे हैं उनसे 2 हजार करोड़ रूपया लेना है। आप थोड़ी मदद कर दीजिए। 2 हजार करोड़ रूपया, मैं तो बोल रहा हूँ। आप 2 हजार करोड़ रूपया दे दीजिए, हम पूरा (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो आपने नहीं बताया था कि आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना में तो कोई भाजपा की सरकार भी नहीं है कि तेलंगाना मदद करेगा। आपके पड़ोसी हैं आप उनसे बात कर लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,हां, हम तो मांग ही रहे हैं। आप भी थोड़ा मदद करिये और हमको थोड़ा सा दिलवा दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सहयोगी पार्टी है। यह जनहित का मामला है। 1700 मेगावाट का प्रोड्क्शन ही नहीं कर पा रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अगर तेलंगाना 1 हजार किलोवॉट मेगावाट लेने के लिए तैयार है तो क्या हम उसको देंगे ? और 2 हजार करोड़ रूपया बहुत बड़ी राशि नहीं है। यह बहुत बड़ी राशि नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दादा, उतना दे ही नहीं रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वह ज्यादा पॉवर लेने के लिए तैयार हैं तो क्या हम अपना पॉवर बेचकर उससे हमको अर्निंग हो सकती है। इसलिए हम हमारा प्रोड्क्शन बढ़ाकर 1000 मेगावाट हम दें ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल। वह तो लगातार बात होती रहती है। वहां एम.डी. लेवल के दोनों राज्यों के बीच में लगातार बात होती रहती है और उसके हिसाब से दिया जाता है वह ज्यादा लेना चाहेंगे तो हम देने के लिए तैयार रहेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पर 1000 मेगावाट का हमारा एग्रीमेंट है तो1000 मेगावाट हम देंगे तो वहां पर उनको लेना पड़ेगा और इसलिए हमको देना चाहिए, उससे हमारे राज्य को फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, धन्यवाद्।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत नरवा विकास योजना के तहत् व्यय राशि

8. (∗क्र. 53) श्री गुलाब कमरो : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत जनवरी, 2019 से 27-01-2021 तक नरवा विकास योजना के तहत् कितने नालों का उपचार किया गया तथा इस मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है, तथा किन-किन नालों के उपचार में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? (ख) उपचार किये नालों का नाम, स्थल एवं उपचार हेतु किये गये कार्य तथा कार्यवार व्यय राशि की जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत जनवरी 2019 से 27-01-2021 तक नरवा विकास योजना के तहत् 43 नालों का उपचार किया गया है. इस मद में राशि रु. 1887.220 लाख प्राप्त हुई. व्यय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जानकारी [2]† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नरवा विकास योजना के तहत् मुझे जानकारी मिल गई है और मैं जानकारी से संतुष्ट हूँ।

बस्तर संभागातंर्गत पर्यटन स्थलों का रख-रखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

9. (∗क्र. 1830) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागांतर्गत कौन-कौन से पर्यटन स्थल विभाग के नियंत्रणाधीन हैं? (ख) इन स्थलों के रख-रखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने विगत 02 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर संभागांतर्गत तिरथगढ़ जलप्रताप, कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा, दण्डक गुफा एवं कांगेर धारा, लामनी पार्क, आसना पार्क, बेतझरना, फूलोंवाली पहाड़ी, तुगल बांध, गमनातराई, नेसलसनार, टाटामारी पर्यटन स्थल है जो विभाग के नियंत्रणाधीन है. (ख) इन स्थलों के रखरखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विगत 02 वर्षों में राशि रुपये 858.53 लाख का व्यय किया गया है.

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बस्तर संभागातंर्गत पर्यटन स्थलों का रख-रखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा बस्तर संभागांतर्गत तिरथगढ़ जलप्रताप, कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा, दण्डक गुफा एवं कांगेर धारा, लामनी पार्क, आसना पार्क, बेतझरना, फूलोंवाली पहाड़ी, तुगल बांध, गमनातराई, नेसलसनार, टाटामारी पर्यटन स्थल है, यह आपके नियंत्रण अधीन है एक पर्यटन विभाग

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के सूची में शामिल है या नहीं ? और इन स्थलों में आपके द्वारा विगत 02 वर्षों में राशि रुपये 858.53 लाख का व्यय किया गया है. कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए व्यय की गई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जानकारी मांगी गई है आसना पार्क सुरक्षा रख रखाव, मूलभुत सुविधा, सौन्दर्यीकरण, पुर्नोद्धार, लामनी पार्क, शासकीय क्रीड़ा केन्द्र निर्माण एवं ट्रेक्टर्स, पौधों का क्रय, लामनी पार्क में कैफेटेरिया पार्किंग, निर्माण कार्य, बर्डसेन्टर, वॉक थ्रो, इवियारी, चित्रकूट नेचर ट्रेड निर्माण कार्य, नेसलनार डवेलपमेंट एण्ड इको हॉट स्पॉट, तीरथगढ़ नेचर ट्रेल, कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा, दण्डक गुफा, कांगेर पुलिया निर्माण कार्य। यह सब कार्यों पर व्यय की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य महोदय, प्रश्न कुछ लम्बा भी है और क्लिष्ट भी है। आप कक्ष में जाईये और इनसे कुछ बात कर लेंगे।

<u>जिला महासमुंद सामान्य वन मण्डल में "लैण्टाना उन्मूलन" कार्यक्रम के तहत व्यय राशि</u>

10. (*क्र. 1461) श्री किस्मतलाल नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य वन मण्डल महासमुन्द, जिला महासमुन्द अंतर्गत लैण्टाना उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत माह अप्रैल 2018 से माह मार्च, 2021 तक कितनी राशि प्रावधानित की गई थी? परिक्षेत्र अनुसार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" में प्रावधानित राशि से कितनी राशि उक्त कार्य हेतु व्यय की गई है, परिक्षेत्र एवं परिक्षेत्र के कक्ष अनुसार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश "क" के अनुसार च्च्लैण्टाना उन्मूलनज्ज् में कार्य एवं व्यय राशि में अनियमितता की शिकायत की गई है? यदि हां, तो जांच कार्यवाही का परिणाम क्या रहा?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) सामान्य वन मण्डल महासमुन्द, जिला महासमुन्द अंतर्गत लेण्टाना उन्मूलन कार्य हेतु माह अप्रैल 2018 से माह मार्च 2021 तक वन परिक्षेत्र बागबाहरा हेतु रु. 99.48 लाख का प्रावधान है. (ख) जानकारी [3]† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री किस्मतलाल नन्द :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वन मंत्री जी से यह पूछा है कि सामान्य वन मण्डल महासमुन्द, जिला महासमुन्द अंतर्गत लैण्टाना उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत माह अप्रैल 2018 से माह मार्च, 2021 तक कितनी राशि प्रावधानित की गई थी? और इस संबंध में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि केवल बागबाहरा परिक्षेत्र को 99.48 लाख की राशि दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उससे ज्यादा हमारे सरायपाली क्षेत्र में और महासमुंद

[3] परिशिष्ट "तीन"

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

विधान सभा क्षेत्र के पटेवा में उससे ज्यादा वनों से अच्छादित जगह है वहां पर वह राशि क्यों नहीं दी गई ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां लेण्टाना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पहले निरीक्षण होता है और निरीक्षण के बाद में उसको तय किया जाता है। माननीय सदस्य ने यदि जानकारी दी है कि इनके क्षेत्र में भी है तो मैं वहां पर भी दिखवा लूंगा।

श्री किस्मतलाल नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है इसमें किसी प्रकार की अनियिमतता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसमें अनियमितता हुई है। इस अनियमितता की शिकायत जो इस सदन में वर्तमान में संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चन्द्राकर जी उपस्थित हैं, उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन आज तक उस शिकायत के बारे में विभाग के द्वारा उनको कोई जानकारी से अवगत नहीं कराया गया है। यह करप्शन के लिए Who is responsible authority for that corruption?

अध्यक्ष महोदय :- very good.

श्री किस्मतलाल नंद :- उसके लिए कौन जवाबदार है ? क्या इसकी जांच माननीय विधायक विनोद सेवनलाल चन्द्राकर वर्तमान संसदीय सचिव के समक्ष करायेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि वह शिकायत की प्रति उपलब्ध करायेंगे तो हम उसमें कार्यवाही करेंगे।

<u>बिलासपुर शहर अंतर्गत बिजली के रखरखाव के संपादित कार्य</u>

11. (*क्र. 182) श्री शैलेश पाण्डे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर शहर के लिये बिजली के रखरखाव के लिये विगत 2 वित्तीय वर्षों में बजट में कितनी राशि का प्रावधान था? (ख) विगत 2 वर्षों में रखरखाव के क्या-क्या कार्य किये गये है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर शहर के विद्युत लाईनों ट्रांसफार्मर एवं सब स्टेशन के रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विगत दो वर्षों में प्रावधानित राशि निम्न तालिका अनुसार है :—

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कंपनी का नाम	वर्ष वार प्रावधानित राशि (रुपये लाख में)		कुल राशि (रुपये लाख में)
	2019-20	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	154.41		
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	899.50	1082.92	1982.42
कुल राशि	1053.91		

(ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बिलासपुर शहर के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में विद्युत के रखरखाव के लिये किये गये कार्य की जानकारी क्रमशः †† संलग्न[4] प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में दर्शित है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बिलासपुर शहर में निरंतर विद्युत प्रदाय बनाये रखने के लिए उपरोक्त के अलावा आंधी तुफान एवं बरसात के कारण टूटे खंभों को बदलने, टूटे तारों को जोड़कर पुनः खींचने, वितरण ट्रांसफार्मर के नये केबल बदलने एवं ब्रीदर के सिलिका-जेल बदलने का कार्य किया गया है.

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल में माननीय मुख्यमंत्री जी से पहली बार प्रश्न करने का अवसर आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी संतुष्ट होकर बैठ जाईये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो साल से संतुष्ट ही हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी छोटी सी मांग है चूंकि बिलासपुर एक बड़ा नगर निगम बन गया है और मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। चूंकि बिलासपुर बड़ा नगर निगम हो गया है, रायपुर को साढ़े तीन, चार करोड़ रुपये मिलता है, मेरा अनुरोध है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण में बिलासपुर की राशि बढ़ायेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि की कोई कमी नहीं है। जब-जब जरूरत पड़ती है, उस समय वह राशि तुरंत ही रिलीज की जाती है। आपके बिलासपुर नगर निगम में राशि की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप जाकर कक्ष में निवेदन करिये, राशि बढ़ा दी जायेगी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

[4] परिशिष्ट "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रश्न संख्या : 12 XX XX

प्रश्न संख्या : 13 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 14 श्री धनेन्द्र साहू जी। आपको हैपी बर्थडे पहले भी कहा था, आप गायब थे, अभी आपको हैपी बर्थडे कह रहे हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आपको बधाई हो।

श्री धनेन्द्र साहू :- आपको धन्यवाद। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आज तो आप मांग लीजिए, जो कुछ मांगना है। मोहम्मद अकबर जी देने को तैयार हैं।

श्री अमरजीत भगत :- धनेन्द्र भैया, आप कितने साल के हो गये हैं ?

श्री धनेन्द्र साहू :- कृपया प्रश्न करने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

<u>नई राजधानी निर्माण हेतु किया गया शिलान्यास</u>

14. (*क्र. 1253) श्री धनेन्द्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजधानी निर्माण हेतु शिलान्यास कब किसके द्वारा किया गया था? (ख) जिस भूमि पर शिलान्यास किया गया था क्या उक्त भूमि को नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी संस्थान को बिक्री कर हस्तांतरण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब हस्तांतरण किया गया है? (ग) छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन द्वारा उक्त शिलान्यास की गई भूमि को वापस लेकर सुरक्षित करने एवं सौन्र्यीकरण करने हेतु क्या-क्या प्रयास कब-कब किया गया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजधानी निर्माण हेतु शिलान्यास दिनांक 08-03-2003 को श्रीमती सोनिया गांधी जी, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के द्वारा किया गया था. (ख) शिलान्यास स्थल की भूमि का विक्रय नहीं किया गया है. अपितु उक्त भूखण्ड वर्तमान में आई.आई.एम. को शर्तों के तहत आवंटन एवं कब्जे में दिये गये 200 एकड़ भूखण्ड का हिस्सा है, जिसके ले-आऊट में उक्त भूखण्ड "स्थापित स्मारक" के रूप में चिन्हांकित है. उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 9-11-2011 को आई.आई.एम. को प्रदान किया गया है. (ग) प्रश्नाधीन भूमि को शासन द्वारा वापस लेने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई है. स्थल की सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य वर्ष 2015-16 तक नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यानिकी विभाग, कार्यालय रायपुर के माध्यम से कराया गया. इसके उपरांत शिलान्यास का रखरखाव दिनांक 30-09-2018 तक उद्यानिकी विभाग द्वारा आई.

आई. एम. के सहयोग से किया गया. दिनांक 01-10-2018 से रखरखाव एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य आई.आई.एम. द्वारा किया जा रहा है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सोनिया गांधी जी के द्वारा नई राजधानी का शिलान्यास किया गया था। उसको गलत तरीके से आवंटन किया गया, उस समय अधिकारी के ऊपर कार्यवाही भी हुई। लेकिन अभी तक वह शिलान्यास स्थान मुक्त नहीं किया गया है, जबकि उस समय भी स्थल निरीक्षण में मैं माननीय मंत्री जी के साथ था। उन्होंने यह निर्णय लेकर कहा था कि उसका आने-जाने का रास्ता स्वतंत्र करेंगे। आपने उत्तर में दिया है कि उसको अलग करने के लिए अभी तक शासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, मेरा निवेदन है कि आई.आई.एम. से उस जगह को अलग करिये तो आप कब तक अलग कर देंगे ? उससे हम लोगों की आस्थायें जुड़ी हैं ताकि हम लोग वहां आना-जाना कर सकें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिलान्यास स्थल के बारे में उसको आई.आई.एम. को आवंटित कर दिया गया था, यह बात सही है और दो विकल्पों पर विचार चल रहा है। पहला तो यह कि वह शिलान्यास स्थल से जो पत्थर है उसको नये स्थान पर लाकर स्थापित किया जाये, उसके लिए एक्सपर्ट बुलवाये गये थे। लेकिन उनका ये कहना है कि ये पत्थर बहुत वजनी है और बहुत पुराना हो गया है यिद इसको लेकर जायेंगे तो पूरे क्रैक्स आ जायेंगे। दूसरा यह कि अलग मार्ग करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। अभी अंतिम रूप से वह तय नहीं हो पाया है कि उसको शिफ्ट करना है, इस कारण उसमें विलंब हो रहा है।

श्री धनेन्द्र साहू :- आप कब तक करेंगे ? हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। माननीय सोनिया गांधी जी का सवाल है। उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है। आज हम लोग वहां पर जा नहीं सकते। पूरा आई.आई.एम. का कब्जा है। कृपया उसको अतिशीघ्र ही उनसे मुक्त करायें, उतने हिस्से के आवंटन को निरस्त करें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विलंब का कारण केवल यह है कि उसको दो टाईप का विचार है। वह शिलान्यास स्थल को उस पत्थर को शिफ्ट करके नई राजधानी में मंत्रालय के आसपास के किसी क्षेत्र में स्थापित करना है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिफ्ट करना उचित नहीं है, शिफ्ट करने में हम लोग सहमत नहीं हैं। वहां जहां सोनिया गांधी जी ने शिलान्यास किया है और राज्य सरकार के अधीन है। जब आपने आवंटन किया है तो आवंटन रद्द भी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 पटल पर रखता हूं ।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 तथा 2019-20

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 पटल पर रखता हूं ।

(4) छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 पटल पर रखती हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:01 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है । कल भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल बठेना गया था और वहां की जो घटना है इतनी लोमहर्षक घटना है, शायद हम उसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते कि एक ही परिवार के 5 सदस्य जिसमें 2 लड़कियां, एक मां और बाप-बेटे पांचों की हत्या कर दी गई, वहां की घटना देखने के बाद जो तीनों महिलाओं, दोनों लड़कियों और उसकी माता जी को जलाया गया है वहां पर उनकी चिता सजायी गई, चिता सजाकर उनको तारों से बांधा गया । तारों से बांधकर उनको जला दिया गया और बाद में पिता और बेटे को फांसी पर ऐसे लटका दिया गया, छत्तीसगढ़ में कभी भी कोई किसान अपनी लड़कियों को, अपनी पत्नी और अपनी मां को चिता सजाकर जला दे यह कभी संभव नहीं होता । छत्तीसगढ़ में कभी इस भावना के लोग नहीं होते । चूंकि वह लड़कियां जवान थीं, उसमें एक एंगल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद में उस दुष्कर्म को चूंकि उसके बाप-बेटे और मॉ ने देख लिया था इसलिए पांचों को मार दिया गया, यह बहुत लोमहर्षक घटना है । छत्तीसगढ़ में कभी ऐसी घटनायें घटित नहीं हुईं और एक दिन पहले तक इन पांचों घटनाओं के बारे में कभी कोई बातचीत नहीं की गई परंतु दूसरे दिन यह बता दिया गया कि 9 पन्नों का सुसाईडल नोट मिला है । पुलिस इस घटना को डायवर्ट करना चाहती है, उसको आत्महत्या की घटना बताना चाहती है, यह दुर्भाग्यजनक है । मैं तो मंत्रिमण्डल और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जरा पता कर लें कि दो जवान लड़कियां थीं कि नहीं थीं ? उन दोनों जवान लड़कियों को, उनकी मॉ को तार से बांधकर चिता में सजाया गया, कंडे लगाये गये, लकड़ी लगायी गयी, उनको जलाया गया । आप सब लोग बैठे हैं, क्या कभी छत्तीसगढ़ में, क्या छत्तीसगढ़ का कोई किसान कभी ऐसा कर सकता है कि अपनी लड़की को, अपनी मां को, अपनी पत्नी को चिता जलाकर सजा देगा ? छत्तीसगढ़ का कोई किसान इतना निष्ठुर नहीं होता, हमारा आपसे यह आग्रह है कि यह बहुत लोमहर्षक घटना है, शायद देश के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई होगी, इसको गंभीरता से लेना चाहिए । इसके बहुत सारे एंगल हैं । जब इस घटना की जांच नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पुलिस कह देती है कि प्रारंभिक एंगल ऐसा आ रहा है कि आत्महत्या हुई है, पुलिस उनके लड़के के बारे में यह कह देती है कि वह जुआंरी-शराबी था, यह दुर्भाग्यजनक है । यह परंपरा बंद होनी चाहिए । हम जांच की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, कल हमारे पूरे सदस्य वहां गये थे । इतना दुर्भाग्यजनक है। उनके रिश्तेदार आये हुए हैं, उनके रहने के लिये, खाने के लिये व्यवस्था नहीं है । जिस परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई, कम से कम उनके परिवार के लोगों को तहसीलदार, एस.डी.एम. को बोलकर जो

उसकी बहन और भांजा आया हुआ है, उसका भाई आया हुआ है, उनके बच्चे हैं, उनके पास पीने के लिये दूध तक नहीं था । कल जब हम लोग वहां गये तो हमने कुछ सहायता की कि आप लोग इससे ले लें । इतना दुर्भाग्यजनक है । उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, जो रिश्तेदार आये हुए हैं वे कहां रहें ? वे क्रियाकर्म कहां करें ? आज वे तीसरे दिन दशगात्र करने वाले हैं । शासन से कोई सहायता.., अरे शासन तो छोड़ो मुख्यमंत्री जी का विधान सभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत् रूप से क्रियाकर्म करने के लिए उनको सहायता पहुंचवा देते । ये स्थिति भी नहीं है । बहुत ही लोमहर्षक घटना है, हृदय विदारक घटना है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी घटना कभी नहीं घटी है इसलिए हम चाहेंगे कि इस विषय को स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करवाएं ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम बठेना में यह लोमहर्षक घटना हुई है । समाचार पत्रों में लगातार पुलिस के बयान आ रहे हैं कि मृतकों ने आत्महत्या की है और वहां 9 पेज का एक नोट भी जप्त करने की बात की जा रही है । उपाध्यक्ष जी, हम सभी लोग कल उस स्थान पर गए थे और जब वहां सारा घटना स्थल देखने के बाद हमने विवेचना अधिकारी से बातचीत की । विवेचना अधिकारी का कथन था कि बाप-बेटे जो फांसी पर लटके हुए थे, दोनों के पैर जले हुए थे, दोनों के हाथ में फफोले थे, एक के पेट का भी कुछ हिस्सा जला हुआ था । पुलिस यह कहानी बता रही है कि पहले मां-बेटियों को मारा गया और उनका दाह संस्कार किया गया । दाह संस्कार करने के पश्चात् बाप-बेटे ने आत्महत्या कर ली । अगर बाप-बेटे को आत्म हत्या करनी होती और उन्होंने नियमानुसार दाह संस्कार किया होता तो उनके पैर कैसे जल गये ? उनके हाथों कैसे फफोले पड़ गये ? उनके पेट में जलने के निशान कैसे हैं ? ये परिस्थितियां संदेह पैदा करती हैं कि वास्तव में ये हत्या की घटना है और हत्या की घटना को आत्महत्या के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दो-ढाई महीने पहले खुड़मुड़ा की घटना हुई । उस घटना में एक मुश्त पांच लोगों की हत्या हुई और आज तक हत्यारे गिरफ्त से बाहर हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ही ग्राम मर्रा में एक युवती का दुष्कर्म हुआ और वह भी आज तक पकड़ से बाहर है । उपाध्यक्ष जी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, वास्तव में छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में गढ़ा गया है क्या ? क्या छत्तीसगढ़ सब प्रकार के अपराधों का गढ़ बन चुका है ? हमने इस विषय पर स्थगन दिया है, आपसे निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके चर्चा कराएं, हम चर्चा में बहुत से तथ्य रखेंगे ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों 6 मार्च को ग्राम बठेना में जिस प्रकार की हृदय विदारक घटना हुई जिसमें 5-5 लोग एक साथ पूरा परिवार नही रहा, वह हत्या है या आत्महत्या है । उस हत्या को आत्महत्या के रूप में परिवर्तित करने की योजना है । उपाध्यक्ष महोदय, हम पहले इस तरह की घटनाएं सुना करते थे लेकिन आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस

प्रकार की घटनाओं को खुले रूप से अंजाम दिया जा रहा है । ये अत्यंत ही गंभीर किस्म की घटना है और नये किस्म की घटना है । इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और छत्तीसगढ़ में आम जनता को यह लगना चाहिए कि इस प्रदेश में कानून का राज है । लेकिन लगातार अपराधी कानून की गिरफ्त से बाहर होते जा रहे हैं । खुले आम घूम रहे हैं और नित् नये किस्म की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं । कल हमारा पूरा विधायक दल घटना स्थल पर गया था, हमने उनके परिवार से बातचीत की। घटना स्थल का मुआयना किया और इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करवाएं ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाटन विधान सभा क्षेत्र बहुत जाता हूं और बहुत जाता था । राजनीतिक रूप से किसी कार्यक्रम में बहुत दिन बाद गया । कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था लेकिन मेरा यह मानना है कि पाटन विधान सभा क्षेत्र या छत्तीसगढ़ में सामूहिक आत्महत्या या हत्याएं क्यों हो रही हैं ? इन दोनों घटनाओं के पहले अभनपुर में ऐसी घटना हुई थी । उस पूरे घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे तो कहीं से नहीं लगता और आसपास के लोगों से बयान लेंगे तो, उस परिसर के चारों तरफ नगद फसल लगी हुई थी । यानी बहुत सारी फसलें थीं, ऐसा नहीं था कि आदमी भूखो मर रहा हो । आसपास देखेंगे तो वही स्थल हरा-भरा था । अब हो यह रहा है कि 9 पत्ते का यदि सोसाइड नोट है तो उसके परिवार के किसी को पढ़ने नहीं दिया गया, न बताया गया। कौन लिखा है? कौन क्या किया है? उसका भाई बोलता है कि मैं उस लिखावट को पहचान सकता हूं कि भतीजे ने लिखा है या भाई ने लिखा है। कौन लिखा है, मैं यह पहचान सकता हूं। पूरी बात रात भर वह अपने भाइयों को, अपने लोगों को फांसी में टंगे नहीं देखे हैं। उसे सुबह देखने के लिए दिया गया। दिया गया या नहीं दिया गया, यह किसी तरह की जानकारी छिपाने की कोशिश हो रही है और दूसरी बात यह है कि उनकी बातों को किसी भी तरह से उस परिवार को अवगत नहीं कराया जा रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे गंभीर बात यह है कि पाटन क्षेत्र, दुर्ग जिला और छत्तीसगढ़ में। क्या छत्तीसगढ़ अवसादग्रस्त हो रहा है, जिसके कारण यह घटना हो रही है। छत्तीसगढ़ में लोग अपराध के तरीके बदल रहे हैं। इसलिए यह हत्या हो रही है और एक एरिया विशेष में वह घटना क्यों घट रही है ? क्योंकि अभनपुर भी वहां से थोड़ी दूर ही है। वहां से ज्यादा दूर नहीं है, जिस गांव में घटना घटी।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो इन कारणों की जांच करना और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक मृतक परिवार के चरित्र को दूसरे ढंग से घटना को बिना जांच के निष्कर्ष में पहुंचने की कोशिश। जांच अधिकारी उसे कर रहा है या किसी के द्वारा उसे करवाया जा रहा है। यह बहुत दुखद है कि 5 लोगों का पूरा कुल खत्म हो गया। वे जुआड़ी थे या कर्जिले थे या कौन थे, क्या थे, तमाम चरित्र हत्या उस मृतक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की, की जा रही है और क्या थे, उसे बताने के लिए गांव वाले तैयार नहीं हैं, क्योंकि गांव वाले सरंपच महोदया भी थी, एक आदमी परिवार के चार में से हम एक आदमी को पहचानते थे, क्योंकि वह दुकान में कुछ लेने देने आता था, उसकी चरित्र हत्या। तीसरा एंगल, पूरे गांव वाले जो एकत्र थे, मुझे उस बात को कहना नहीं चाहिए कि वो जो लड़कियां हैं, दो लड़कियां, उन लड़कियों के साथ जिस बात को इंगित किया, यदि आप जांच करेंगे या कोई चर्चा होगी तो विस्तार से भी बता सकते हैं। मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता कि दुष्कर्म की भी एक बड़ी आशंका है। यह लोगों ने आशंका व्यक्त की और उसके कारण भी बताये कि इन कारणों से यह दुष्कर्म हो सकता है। पर आप जब ग्राह्य करेंगे और अनुमति देंगे तब ही उस बात को बोल सकते हैं, अन्यथा वह इतनी गंभीर बात है कि उसे यहां पर नहीं बोला जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. बांधी जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समय कि हमें रोकना चाहिए, जानना चाहिए और जांच करनी चाहिए। भविष्य में ऐसी दुर्घटना न घटे, उन कारणों तक ही जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं पहली बार इन दो सालों में घट रही हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राम बृज गायकवाड़ परिवार के साथ जो घटना घटी है, वह बहुत ही वीभत्स घटना घटी है। मैं ऐसा सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध के तरीके हैं, उसकी काम करने की प्रवृत्तियां हैं, बड़ा वीभत्स होता चला जा रहा है और ये जो गायकवाड़ परिवार है, वह अनुसूचित जाति का है और उस अनुसूचित जाति के साथ वीभत्स अत्याचार किये हैं और फिर क्या हुआ ? जो वहां circumstances हैं, जो वातावरण है, उसे कह नहीं सकते कि उस वातावरण में आत्महत्या की प्रवृत्तियां होंगी। आत्महत्या की टेंडेंसी होगी। ऐसी उसकी कोई टेंडेंसी वहां पर परिलक्षित नहीं होती, लेकिन जिस तरीके के पुलिस के बयान आ रहे हैं। पुलिस जो कथन कह रही है, वह संदेहास्पद है। कथन यह कहती है कि कर्ज है। तो कर्ज लिये हैं तो उनकी जो परिस्थितियां हैं, वहां के फसलों की जो स्थिति है, फसलों को रेघा में बोते हैं, वह छूटने के लायक है, लेकिन कर्ज देने वाला अगर अत्याचार किया होगा तो भी तो वह अपराध की श्रेणी में है। तब भी तो हत्या होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह तथ्य आयेंगे। तो यह निश्चित होगा और उस हत्या को आत्महत्या करने के लिए पूरी योजना रचना बना रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं तो वे आत्महत्या कैसे करेंगे ? यह किस तरह से आत्महत्या की प्रवृत्तियां हैं ? आत्महत्या की ऐसी दूषित प्रवृत्तियां हो ही नहीं सकतीं ? अगर वहां पर आत्महत्या करनी है, तो उनके लिए वहां पर शार्टकट तरीका है। हमने वहां पर देखा कि कृषि के जो पेस्टीसाइड हैं, वहां पर आर्गनो फास्फोरस कम्पाउंड्स हैं, उसे पीकर तुरंत निपट जाते। उनके बहुत शार्टकट तरीके हैं। यह तरीका अपनाया जाता। लेकिन यह वीभत्स तरीका आत्महत्या करने में अपनाना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसलिए चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं भी सभी विधायकों के साथ गया था। गायकवाड़ परिवार में आत्महत्या हुई, उसे देखकर हम सबका सिर झुक गया। पहले हमने जाकर देखा तो जहां तीन लोगों को चिता में जलाकर राख हुआ देखे, उसमें हड्डी मात्र बचे थे और मात्र खोपड़ी थी। मतलब, कुछ भी नहीं था । उसमें पैर के पास लोहे भी पाये गए । इससे सिद्ध होता है कि हत्यारे ने उसको बांधकर चिता में जलाया । अगर परिवार के लोग किसी प्रकार की घटना में जलाते तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती । ये अनुसूचित जाति परिवार के हैं, दो लोगों को फांसी के फंदे में लटकाया गया । उनके शरीर में, पेट में निशान भी थे । पुलिस के द्वारा हमको जानकारी दी गई । हाथ में भी निशान थे, काले धब्बे थे तो इससे स्वत: सिद्ध होता है कि अगर वह फांसी लगाकर मरा है तो निशान कैसे होगा । जो दो घटना हुई है, उसकी दूरी कम से कम 50 मीटर है । इससे साबित हो रहा है कि हत्यारे ने बहुत भारी षडयंत्रपूर्वक हत्या किया, हत्या करके एक तरफ चिता में जलाया और दूसरे को फांसी के फंदे में लटकाया। इनको 9 पृष्ठ की चिट्ठी भी मिली है । उनके परिवार में उनकी बहन भी आई थी, उनका भांजा आया था । उनको पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं हुई । वे बाहर मे रहे । घर को ताले से बंद कर दिया गया । हमने कहा कि ताला क्यों नहीं खोलते, वे कहां रहेंगे ? खाने-पीने की व्यवस्था तो दूर है । मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, पर मैं कहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत थी । उनके खाने-पीने की व्यवस्था करे और उसके परिवार को दे । साथ ही उनके परिवार के लिए मुआवजा की भी घोषणा करे और जांच की घोषणा करे । मैं चाहता हूं कि इस गंभीर मामले में औचित्य के प्रश्न पर चर्चा में हम भाग ले रहे हैं, इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये, जिससे हम और अन्य तथ्य सामने लाएंगे, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल पूरा विधायक दल बठेना गया था और यह एक घटना है, इसके पहले दो और घटना हुई है । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं । ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और ये कहीं न कहीं एक बड़े षड़यंत्र की तरफ इंगित करता है । एक घटना हुई, जिसमें अपराधी आजतक नहीं पकड़े गए । इससे जो अपराधी हैं और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है । पुलिस का खौफ होना चाहिए, वर्दी का खौफ होना चाहिए । वहां वर्दी का खौफ खतम हो गया है । यह जो परिवार हैं, उस परिवार के जितने सदस्य वहां पर रहते थे, वे सारे इस दुनिया में नहीं है और आज तीसरे दिन का कार्यक्रम होने के बाद सारे सदस्य चले जाएंगे । निश्चित तौर पर अगर फिर लीपापोती का प्रयास किया गया तो हम एक बड़ी घटना और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति की एक लिखावट लिख रहे हैं । हमने आपको स्थगन दिया है, आप इसे अग्राहय करके चर्चा कराएं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जैसा कि हम सब बठेना गए थे और मृतक के भाई जो बाहर रहते थे, वे घटना के पश्चात् अभी दो-तीन से आये हैं । उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले दो-तीन से लगातार उनसे परिवार वालों से बात हो रही थी और बातचीत में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वे ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल सामान्य बातचीत हो रही थी और वे सभी प्रकार से सामान्य लग रहे थे । दूसरी बात, जहां पर पिता और पुत्र को फांसी लगाया गया है, वहां एक लोहे का पाईप है और एक ही लंबी रस्सी दोनों के गले में फंसा हुआ था । यदि वहां पर जाकर देखेंगे तो एक का वजन बहुत था, दूसरे का वजन कम था । एक टेबल रखी गई थी, वह देखने से प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि वहां पर दो व्यक्ति एक ही रस्सी से एक ही पाईप में चिपककर आत्महत्या कर लें । पूरा मामला बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, वीभत्स है और दर्दनाक है । हमने इसमें स्थगन दिया है, आपसे आग्रह है कि इस स्थगन को स्वीकार करके चर्चा कराने की कृपा करें ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल हम लोग ग्राम बठेना गए और मृतक राजबृज गायकवाड़ के परिवार और उनके परिवार की जो स्थिति देखी, उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियों को खेत में लिटाकर तार से बांध कर ऊपर पैरा और छेना डालकर ऐसा जलाया गया कि उनकी हड्डी भी जलकर राख हो गयी और मुझे लगता है कि जब इसको विभाग एक लाईन में यह मानकर चल रही है कि आत्महत्या की है तो क्या छत्तीसगढ़ में कोई पिता अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को मारकर या उसको बेहाश करके तार से बांधकर उसको जलाने का प्रयास करेगा या जलायेगा ? यह छत्तीसगढ़ की परिस्थिति और छत्तीसगढ़ की मानसिकता नहीं है कि इस तरीके से कोई घटना हो । इसमें कहीं न कहीं बड़ी साजिश इसलिए नजर आती है कि जब मृतक को फांसी से लटकाकर उतारा गया, यह एक्सपर्ट का काम है, फारेंसिक विशेषज्ञ इसको और बारीकी से देखेंगे । उसके पिता और बेटे के हाथ जले हैं, पैर जले हैं, पेट में जलने के निशान हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई जलाने का प्रयास हुआ, इन्होंने बुझाने का प्रयास किया। बाद में इनको वहां पर लटका दिया गया। ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हो गयी कि पांच के पांच परिवार को, 3 लोगों को मारने की बात कह रहे हैं, इसका 8 पेज का सोसाईडल नोट लगा हुआ है। उसको अभी तक यह नहीं मालूम कि किसने लिखा है, क्या लिखा है ? ऐसी क्या परिस्थिति हो गयी कि अपनी पत्नी, बेटी को उसने मारा, जलाया या जो अन्य शंका गांव वाले व्यक्त कर रहे हैं ? इसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश लगती है, इनको मारा गया है, मारने के बाद आत्महत्या का स्वरूप दिया गया है। ऐसे विभत्स तरीके से कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है, इसकी कल्पना देखने के बाद तो नहीं होता। कोई दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है इसलिए इस विषय में जब चर्चा होगी, व्यापक रूप से बातें आयेगी तो मुझे लगता है कि और तथ्य सामने आयेंगे। बहुत गंभीर मुद्दा, मसला है। यहां आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। इसके पहले खुरमुड़ा गांव में भी पांच लोगों ने

आत्हत्या की और उसका आज तक खुरमूड़ा में कोई जानकारी नही आई। यह छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। ऐसी क्या परिस्थिति बनती जा रही है कि किसान पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने के लिये मानसिकता में बदलाव आया है। ऐसी क्या परिस्थिति किसानों के ऊपर आ गयी है कि वह आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहा है। यह निश्चित रूप से गंभीर विषय है, इसमें चर्चा होगी तो बहुत सारे तथ्य सामने आयेंगे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, विगत दो वर्षों में देखें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश लगातार अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐसी घटनाएं होने से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 6 तारीख की जो दर्दनाक घटना माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में हुई और उसके पहले दिसंबर में जब खुड़मुड़ा की बहुत बड़ी घटना हुई। यह सारी घटनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में हो रही है। इसीलिए चूंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमें चिंता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ऐसी घटना एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार घटनाएं हो रही है। जिस प्रकार से हम सब विधायक दल बठेना ग्राम में पहुंचे थे, जिस प्रकार दो महिलाओं की सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी गयी। छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि हम पैरा और छेना को एक स्थान पर नहीं रखते लेकिन वहां पर दोनों महिलाओं को बांधकर रखा गया, पेरा और छेना को एक स्थान पर रखा गया। वहां जले हुए पैरा और छेना एक ही स्थान में रखा गया था, कहीं न कहीं यह एक हत्या की ओर इशारा कर रहा है। बहुत गंभीर विषय में हमने स्थगन दिया है, कृपया स्थगन को स्वीकार करियेगा।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। हमारे मुख्यमंत्री जी के पाटन क्षेत्र में ग्राम बठेना है। यह बड़ा दुखद विषय है। वहां जो पांच परिवार को दो लड़के और उसके पिता जी ने फांसी लगाई, लड़की और उसकी मां को जलाया गया। कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल गये थे, हम लोगों ने पूरा देखा। महोदय जी, हमको देखने में दुख लगता है। एक झोपड़ी टाईप का घर है, उसमें फांसी लगाने का नहीं है, सामने पाईप का डंडा है। उसमें फांसी लगाई गयी थी। जहां पर पैरा और छेना था, उसमें जलाया गया है। यह पाटन क्षेत्र की बड़ी विचित और दुखद घटना है। हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। हम लोग स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, उसको तत्काल ग्राह्य करके चर्चा करायें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना की गंभीरता देखिए। जिस प्रकार से प्रदेश में पता नहीं क्या स्थिति हो गयी है कि आप देख रहे हैं, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अनाचार की घटनाएं घट रही है। खुड़मुड़ा की घटना अभी शांत नहीं हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद वहां से चार किलोमीटर दूर, यह बहुत दूर की घटना नहीं है। दलित का मामला है, आज पूरे प्रदेश में दलित असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं हैं, लगातार घटनाएं घट रही है। जिस प्रकार से यहां बोलते हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। आखिर उनको कैसे बचाया जा सके। मामला आत्महत्या या हत्या है। यदि एक बार यह मान भी लिया जाये कि आत्महत्या की गई है तो आखिर कौन सी परिस्थिति आई कि पूरे परिवार को आत्महत्या करना पड़ी। मैंने अपने जीवन में ऐसी आत्महत्या की घटना न देखा और न सुना है। मुझे लगता है कि पूरे हिन्दुस्तान में इस तरह की घटनाएं नहीं घटी है। यदि आत्महत्या मान भी लिया जाये तो पति अपनी पत्नि को मारे, बेटियों को मारे, मारकर तार में बांधे, तार में बांधकर लिटाये, लिटाकर उसको जलाये और जलाने के बाद आत्महत्या की बात करे, आखिर यह प्रदेश कौन से संस्कृति की ओर जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। यहां पर जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, वह झकझोरने वाली है और पुलिस आज तक किसी परिणाम में नहीं पहुंची है। सुसाइड नोट मिला है, यह बता रहे हैं। घर वाले को सुसाइड नोट के बारे में नहीं बताया गया है। उनकी जो बहन आई हुई है, उनके परिवार के लोग आये हुए हैं, उनके भाई लोग आए हुए हैं, लेकिन उनको आज तक यह भी नहीं बताया गया है कि किस तरह से घटना घटी है। यह तीन लोगों को जलाना, क्योंकि उसके पास गाय नहीं था तब कहां से इतना कंडा इकट्ठा कर लिए, कहां से इतना छेना ले आये ? उनके पास खुद का पैरा नहीं था, कहां से पैरा ले आये थे? यह आत्महत्या नहीं, बल्कि यह घटना हत्या को ओर इंगित कर रही है। वहां पर लगातार चौकसी हुई है, वहां देखा गया है, षड़यंत्र रचा गया है। षड़यंत्र रचने के बाद उनको जलाना, तार लेकर आना, तार में बांधना, उसके बाद उसको फांसी पर लटकाना, यह बहुत ही गंभीर घटना है। यह दलित का मामला है। हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन दिया है। इसमें बोलने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं। हम लोग इसमें बहुत सारी बातें रखेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार करें, इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। आप मुझे आप यह बतायें कि यदि प्रदेश की ऐसी घटनाओं पर, स्थगन पर चर्चा नहीं होगी तो कौन से विषय पर चर्चा होगी? इससे और गंभीर विषय कोई हो सकता है ? चोरियां हो जाती है, डकैती हो जाती है, गाड़ियां लूट ली जाती है। लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं है। यह बहुत ही गंभीर घटना है और नई संस्कृति को जन्म देने वाली घटना है। यह दलित परिवार की घटना है, पूरे परिवार के समाप्त हो जाने की घटना है। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार किया जाये। आज की सारी कार्यवाही को रोककर उस पर तत्काल चर्चा कराई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना अग्राहय कर दी गई है।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी और क्या घटना हो सकती है ? (व्यवधान)

समय :
12:28 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 19 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

पहले क्रमांक-1 से 2 तक की सूचनाएं ली जावेगी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इससे भाग रही है। क्या जवाब देने के लायक भी सरकार नहीं बची है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तीन लोगों के कंगाल मिलना, साक्ष्य को छुपाने जैसा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सरकार इसका सामना करने लायक भी नहीं बची है।(व्यवधान) आखिर सरकार क्यों जवाब नहीं देना चाहती है ? (व्यवधान) यह बहुत ही गंभीर है। यदि इतनी बड़ी घटना पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी ?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

समय :
12.30 बजे

<u>नियम 250 (1) के तहत गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयंमेव निलंबन</u>

उपाध्यक्ष महोदय:- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयंमेव निलंबित हो गये हैं :-

<u>भारतीय जनता पार्टी</u>

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री पुन्नूलाल मोहले
5. श्री अजय चंद्राकर
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री शिवरतन शर्मा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
9. श्री सौरभ सिंह
10. श्री डमरूधर पुजारी
11. श्री विद्यारतन भसीन
12. श्री रजनीश कुमार सिंह
13. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(12.31 से 12.46 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:46 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

(समस्त निलंबित सदस्य गर्भगृह में मौजूद थे)

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी के नियमावली के नियम 250 (1) के तहत माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर, गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी की जय हो। आप चर्चा करायें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने निलंबन समाप्त किया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन खुड़मुड़ा की घटना इतनी बड़ी है कि आपसे आग्रह है कि उसमें सारे कार्य रोककर चर्चा करायी जाये। दुर्ग जिला आतंक के साये में है। पाटन आतंक के साये में है। प्रदेश में दहशत है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा प्रशासन चल रहा है पुलिस का कोई डर नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पुलिस का भय खत्म हो गया है। यह किसी प्रदेश में नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पुलिस का कोई डर नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण की सूचना। माननीय शिवरतन शर्मा जी। कृपया अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, यह निलंबित हो गये हैं। इनका रास्ता रूकवाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इतनी बड़ी घटना में चर्चा नहीं होगी तो किसमें चर्चा होगी ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्वाचन क्षेत्र में लगातार हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं हत्या की घटनाओं को आत्महत्या में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब का इसमें स्थगन है आप स्थगन पर चर्चा करायें हम आपसे निवेदन करते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

(माननीय सदस्य द्वारा सदन में उपस्थित होने के बाद भी, उनके द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना (1) नहीं पढ़ी गई)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वह घटना इतनी लोमहर्षक है कि तीन महिलाओं को जलाने के बाद उनका कंकाल मिल रहा है, उनकी हड्डियां मिल रही हैं और शायद उनके साथ में कोई दुराचार हुआ है। सबूत को मिटाने के लिए कंकाल बना दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें चर्चा करवाएं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हत्या की घटनाओं के सबूत को मिटाया गया है।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ सिंह, कुलदीप जुनेजा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, तीन शरीरों को (व्यवधान) बना दिया गया। आप इसमें चर्चा करवाएं।

सभापति महोदय :- फिर वही बात कह रहे हैं। वह अग्राहय हो चुका है। फिर आप लोग गर्भगृह में आ गये। (व्यवधान) आप अपनी सीट में जाएं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह दुबारा निलंबित हो गए हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पुन: गर्भगृह में आएं)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) प्रदेश में राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में अनियमितता किया जाना.

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत भारी अनियमितता व्याप्त है। राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक मु.स.का/8059, दिनांक 30.01.2018 तथा क्रमांक 864/मु.स.का./2019, दिनांक 11.10.2019 में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साफ-साफ निर्देश जारी किये गये हैं कि शासन के समस्त विभाग, उपक्रम, निगम मंडल, विश्वविद्यालय तथा आयोगों द्वारा समस्त प्रकाशन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं प्रचार-प्रसार सामग्री के डिजाईन, फिल्म तथा वृत्तचित्र का निर्माण आदि कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराया जाए, परन्तु राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिए संचालक द्वारा करोड़ों रूपयों का कार्य निजी संस्था को दे दिया गया है, जबकि यह कार्य आधे दर पर ही छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराया जा सकता था। अपने चहेते फर्म को करोड़ों रूपये का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विगत अनेक वर्षों से, मात्र 3-4 फर्मों को शासन के नियमों की अनदेखी कर कार्य दिए जा रहे हैं। संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन की इस कार्यशैली के खिलाफ प्रदेश में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

समय :
12:50 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

सभापति महोदय :- विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबत हो गये हैं :-

01. श्री धरमलाल कौशिक
02. श्री बृजमोहन अग्रवाल
03. श्री पुन्नूलाल मोहले
04. श्री अजय चन्द्राकर
05. श्री नारायण चंदेल
06. श्री शिवरतन शर्मा
07. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
08. श्री सौरभ सिंह
09. श्री डमरूधर पुजारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

10. श्री विद्यारतन भसीन

11. श्री रजनीश कुमार सिंह

12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा। कृपया निलंबन की अवधि में बाहर जायें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर नारे लगाये गये)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, यह कथन सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत भारी अनियमितता व्याप्त है। यह कहना भी सही नहीं है कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के लिये संचालक द्वारा करोड़ों रुपये का कार्य निजी संस्था को दिया गया है। सच यह है कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत मुद्रण का कार्य केवल छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम एवं शासकीय मुद्रणालय से कराया गया है। दोनों ही संस्थान शासकीय हैं। यह कहना भी सही नहीं है कि यह कार्य छ.ग. संवाद से आधे दर पर कराया जा सकता था, बल्कि सच यह है कि शासकीय मुद्रणालय को सूचित किया गया है कि शासकीय मुद्रण कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के मध्य न्यूनतम दर पर ही मुद्रण कार्य हेतु मुद्रणालय को भुगतान किया जा सकेगा।

यद्यपि यह सही है कि शासन के परिपत्र क्रमांक मु.स.का./8059, दिनांक 30.01.2018 तथा क्रमांक 864/मु.स.का./2019, दिनांक 11.10.2019 में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि शासन के समस्त विभाग द्वारा समस्त प्रकाशन, प्रचार सामग्री, पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं प्रचार-प्रसार सामग्री के डिजाईन, फिल्म तथा वृत्तचित्र का निर्माण आदि कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराया जाए परन्तु स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-11/2019/20-एक रायपुर दिनांक 30.03.2009 द्वारा छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम से अध्ययन-अध्यापन सामग्री का मुद्रण कार्य हेतु सहमति प्रदान की गई थी तथा इसी पत्र में यह भी कहा गया था कि शेष मुद्रण कार्य राज्य के मुद्रणालय से कराये जायेंगे। यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की गई थी। अत: यह कहना सही नहीं है कि छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम एवं शासकीय मुद्रणालय से कराये गये मुद्रण के कार्य नियमों की अनदेखी करके की गई थी।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है विगत् 2013 से आज तक लगभग हजार करोड़ रुपये का काम इस संस्था के द्वारा मात्र तीन-चार फर्मों को ही

दिया गया है जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। क्या इस प्रकरण में और दूसरे फर्मों को भागीदार बनायेंगे और क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर निविदा निरस्त करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में अन्य फर्मों को भाग लेने का अवसर दिया जायेगा?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- यह शासकीय मुद्रणालय में दिया गया है, गवर्नमेण्ट प्रेस को दिया गया है, यह भी शासकीय संस्था है। किसी में कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और न इसका कोई भुगतान हुआ है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या संपूर्ण निविदा को निरस्त कर नई निविदा जारी करेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि शासकीय मुद्रणालय है, गवर्नमेण्ट का प्रेस है, शासन के निर्देश का पूरा पालन किया गया है और उसको अलग से निरस्त करने का कोई आचित्य नहीं है।

सभापति महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (19) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे :-

8. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य
9. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य
10. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
11. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य
14. श्री संतराम नेताम, सदस्य (व्यवधान)

समय :
12:56 बजे

<u>नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय</u>

सभापति महोदय :- नियम 267-"क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 09 मार्च 2021 को मैंने सदन में 06 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है । निम्नलिखित सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री बघेल लखेश्वर
2. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिए, आप लोग निलंबित हो गए हैं, आप निलंबित हैं । आपके बनाये हुए नियम हैं, आप कृपया बाहर जायें । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12:56 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

(1) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन

श्री बघेल लखेश्वर, सभापति :- माननीय सभापति महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(2) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन

श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति :- माननीय सभापति महोदय, मैं शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए नारे लगाये गये।)

(व्यवधान)

समय :
12:57 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री बघेल लखेश्वर
2. श्री पुरूषोत्तम कंवर
3. श्रीमती इंदू बंजारे
4. श्रीमती संगीता सिन्हा
5. श्रीमती छन्नी चंदू साहू

समय :
12:58 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(2) बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021)

जेल मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

जेल मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(1.00 से 1.11 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
1:11 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक 2021

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3, सन् 2021) पर विचार किया जाए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलोदा बाजार) :- धन्यवाद् सभापति महोदय । मैं छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करना चाहता हूं । सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कोरोना काल जैसे संकट के समय भी वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा और सर्व-वर्ग के लिए बजट में कोई न कोई प्रावधान रखा । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने इस कोरोनाकाल में भी इतना संतुलित बजट प्रस्तुत किया । सभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश कोरोना के कारण हर संस्था की, हर वर्ग की, हर परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है । उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हमारे मुखिया द्वारा इतना संतुलित बजट रखा गया तो यह निश्चित ही वे बधाई के पात्र हैं ।

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी न्याय योजना किसानों को न्याय दिलाने के नाम पर छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा आरंभ की गई यह योजना कोरोनाकाल में भी राज्य के किसानों का सबसे बड़ा सम्बल बनी हुई है । राज्य सरकार ने इस वर्ष 20 लाख 53 हजार किसानों का 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की । जो वास्तव में एक रिकॉर्ड है । इस छत्तीसगढ़ की सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का हर किसान गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हर छत्तीसगढ़िया को गर्व हो रहा है कि प्रदेशा में एक छत्तीसगढ़िया की सरकार है । सभापति महोदय, पूर्व में छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ी बोलने में झिझक होती थी, लोग छत्तीसगढ़ी बोली बोलने में शर्म करते थे । लेकिन आज हर छत्तीसगढ़िया छाती ठोंककर शान से बोल रहा है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं । बाहर प्रदेश से आए हुए लोगों को छत्तीसगढ़ी बोली सीखने के लिए ट्यूशन करना पड़ा । पहले हम देखते थे कि हमारे गांव के छत्तीसगढ़िया भाईयों को अपना त्यौहार मनाने में झिझक होती थी, छत्तीसगढ़ी बोलने में झिझक होती थी लेकिन आज हर संस्था में, हर जगह बड़े गर्व से छत्तीसगढ़ी बोली को बेहिचक बोलते हैं । आज छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान जागा, छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वाभिमान जागा, इसका मुख्य श्रेय छत्तीसगढ़ की सरकार को जाता है । आज हर छत्तीसगढ़िया गर्व से बोलता है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है । छत्तीसगढ़ की परम्पराओं को आप देखिए, तीजा, सुआ छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परम्परा को कायम करने में यह सरकार सफल रही है, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूं । गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ में एक ऐसी योजना की शुरूआत है, बहुत सारी सरकार आयी, बहुत लोग बोले कि गौ माता की रक्षा करेंगे। गौ हत्या बंद करेंगे। गौ की सेवा करेंगे, लेकिन आज तक कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा। आज छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के द्वारा अगर गोबर की खरीदी चालू की है तो भूपेश बघेल की सरकार इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज देखिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढियों को कोई मौका मिला, छोटे लेवल के लोगों को अपने आय का स्रोत बनाने का मौका मिला तो यह गोधन न्याय योजना के माध्यम से मिला। माननीय

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार गौठानों में हर प्रकार का रोजगार देने का काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी सरकार को भी यह बात कहना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में तो गौठान योजना बहुत अच्छे से संचालित है, लेकिन जहां-जहां संचालित नहीं है, उसको भी बहुत जल्दी से संचालित करके बहुत अच्छे से क्रियान्वयन करें और बहुत अच्छे से हमारे जो महिला समिति वाले हैं, उनको भी रोजगार का मौका मिला और आगे भी इस प्रकार का रोजगार मिलता रहेगा, इसके लिए भी बहुत अच्छी योजना के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत-बहुत तारीफ करूंगा। हमारे किसान भाइयों के लिए यह छत्तीसगढ़ की सरकार दिल खोलकर सहयोग कर रही है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अंतर की राशि का भुगतान हमारी सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, इसके लिए भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं साथ में आपके माध्यम से मंत्री जी को कुछ और अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो कुछ छोटी-मोटी समस्याएं हैं, जो इस बजट में छूट गयी है, उसे भी जुड़वाने के लिए प्रयास करेंगे और सुराजी ग्राम योजना, इस योजना के तहत सरकार के द्वारा स्थानीय संसाधनों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु जो प्रयास किया जा रहा है, कोरोना संकटकाल के दौरान राज्य के लिए संजीवनी सिद्ध हुआ। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । राज्य सरकार की इस योजना का मैं प्रबल समर्थन करता हूं। नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सृजन, पूर्व बजट में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट सृजन कलात्मकताओं की बहुलता को देखते हुए शहरी क्षेत्र में पौनीपसारी योजना की शुरूआत की थी। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा विस्तारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना एवं राज्य के उद्देश्य के चहुंमुखी विकास में सहायक होगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को परंपरागत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपरण हेतु सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होने की आशा है। साथ ही गांव के गरीब एवं उपेक्षित वर्गों के जीवन-स्तर में सुधार होगा। ऐसा मेरा आकलन है। मैं इस योजना के प्रारंभ किये जाने पर राज्य सरकार को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सभापति महोदय, परंपरागत कर्मकारों को न्याय, परंपरागत ग्रामीण कौशल के पुनरूद्धार तथा कर्मकारों के साथ न्याय करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, एवं रजककार विकास बोर्ड की स्थापना का जो निर्णय लिया गया है, वह कर्मकारों, गरीब एवं उपेक्षित वर्ग को सहारा देने का कार्य करेगा। इसे अब तक किसी भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया, न ही इसके विकास हेतु किसी प्रकार की ठोस पहल की गई है। इन विकास कार्यों के माध्यम से कर्मकारों को उचित सम्मान तथा इसका उचित हक देने का काम जो राज्य सरकार करने जा रही है, वह एक अनूठी पहल है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं।

शिक्षा - शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम है । इस विद्यालयों के माध्यम से सभी जाति एवं समुदाय के बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिल रही है । राज्य सरकार के द्वारा इस बजट में 119 नये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे सभी विकासखण्ड स्तर पर लोगों की पहुंच में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल रहेंगे । मेरे बलौदाबाजार जिले में वर्तमान में दो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अस्तित्व में आ चुके हैं, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के कक्षा 1 से 9 तक के 472 बच्चों को प्रवेश मिल गया है । वर्तमान में ये बच्चे कोरोना संकटकाल में इस स्कूल के माध्यम से ऑन लाईन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इस बजट में शासन ने बलौदाबाजार जिले में दो नये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिससे मेरे जिले के सभी विकासखण्डों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित होने लगेंगे। सभापति महोदय, इस सरकार के द्वारा इतने अच्छे-अच्छे कार्य किये जा रहे हैं, जिसकी मैं बहुत ही सराहना करूंगा ।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट में उत्पन्न हुई राजस्व की कमी के बावजूद भी राजस्व के विभाग के बजट में बढ़ोत्तरी की गई है, वह मुक्त कंठ से प्रशंसनीय कार्य है । सरकार ने आम जनता के लिए 09 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बायोलॉजी लैब की स्थापना का निर्णय लिया है, वह छत्तीसगढ़ की चिकित्सा सेवा एवं शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान देने में मददगार होगी । साथ ही राज्य सरकार द्वारा चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का निर्णय लिया गया, वह भी स्वागतयोग्य कदम है ।

कृषि और सिंचाई - छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा कृषि के विस्तार एवं संवर्धन हेतु नवीन सिंचाई योजनाओं के लिए नवीन मद में 300 करोड़ रूपए, नदियों के किनारे के खेतों को सिंचित करने की सुविधा के लिए विद्युत लाईन के विस्तार, सिंचाई के लिए चार वृहद परियोजना अरपा, भैंसाझार, राजीव समोदा एवं सोढ़ूर हेतु 152 करोड़ का प्रावधान किया गया है । साथ ही कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 125 करोड़ का प्रावधान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 5700 करोड़ का प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ के कृषि वनोपज एवं छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के उत्पादों एवं व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए सी मार्ट स्टोर की स्थापना का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है । यह राज्य सरकार के विकास में नया सोपान तय करता है, जो राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा । साथ ही राज्य सरकार ने इस बजट में किसानों को खेती के आवागमन की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा किसान योजना का प्रावधान किया गया, जो ग्रामीण अंचलों में खेतों तथा आवागमन की सुविधा को विस्तार प्रदान करेगा । राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में जो प्रावधान इस बजट में किया गया है, इससे राज्य में खुशहाली का माहौल बनेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोक निर्माण विभाग - राज्य सरकार द्वारा सड़कों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से 3900 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की जो योजना बनाई है, वह राज्य सरकार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जिले की 8 सड़कों के निर्माण का प्रावधान इस बजट में किया गया है । इससे सुदूर इलाकों में आवागमन की सुविधा का विस्तार हो सकेगा । राज्य के विकास के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 116 पुलों के निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है । यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास के प्रति राज्य सरकार की मंशा को प्रदर्शित करता है । राज्य सरकार द्वारा 9 बालक एवं 9 कन्या छात्रावास, 6 नवीन महाविद्यालय, 12 नये रेल्वे ओव्हर ब्रीज, 151 पुल, 158 सड़कों के निर्माण के लिए 104 करोड़ के नवीन मद का प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार को धुर प्रगति बढ़ने में सहायक होगा। मैं इसके लिये राज्य सरकार को साधुवाद देता हूं।

महिला विकास - महिला बाल विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के हित में कौशल्या मातृत्व धन योजना प्रारंभ की जा रही है जिसके माध्यम से द्वितीय बालिका संतान के जन्म लेने पर परिवार को पांच हजार रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने वाली स्वच्छता दीदीयों को जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश का स्वच्छतम राज्य होने का लगातार दो वर्ष से पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। स्वच्छता दीदियों का मान बढ़ाने के लिये स्वच्छता दीदियों का मानदेय 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 6 हजार रूपये किया गया। महिलाओं के संबल के लिये एकीकृत बाल संरक्षण के तहत बच्चों की देखरेख सुरक्षा हेतु 47 करोड़ का प्रावधान सरकार ने इस बजट में किया है, यह सराहनीय है। इसी तरह राज्य सरकार के बजट में पत्रकारों के लिये..।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। चलिये एक दो मिनट बोल लें।

श्री प्रमोद कुमा शर्मा :- मैं एकात घंटा बोलने को मिलेगा सोच रहा था। माननीय सभापति जी, पहले नंबर में बोलने का मौका मिला है, मैं भी आधा एक घंटा बोलने का रिकार्ड बना लूं। (हंसी)

सभापति महोदय :- आपका समय 10 मिनट का है लेकिन आपको बोलते 15 मिनट हो गया है। थोड़ा जल्दी बोलिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति जी, अच्छा बोल रहे हैं और पक्ष में बोल रहे हैं, थोड़ा समय दिया जाये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं-नहीं, अब विपक्ष में चालू कर देता हूं ना। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर यही बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार वास्तविक में किसानों की हित की सरकार है, मजदूरों के हित की सरकार है। इसमें एक छत्तीसगढ़ियावाद लोगों में जगा है, आत्मसम्मान जगा है। लेकिन मैं कुछ बातें इस सदन में कहना चाहूंगा। सरकार तो अपनी जगह अच्छी काम करती है लेकिन जो अधिकारी वर्ग हैं, ये पहले भी बेलगाम थे और आज भी बेलगाम हैं। इन सदन

में बोलने का अपशब्द न हो, अधिकारी को कहा जाये तो गिरगिट का जाये। जैसे ही सरकार का बदलाव होता है, अधिकारी भी अपने आपको चेंज कर लेते हैं। पहले भी अधिकारी मनमानी करते थे, आज भी मनमानी करते हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसी अधिकारी को कंट्रोल करके रख सकें। अधिकारी सिर्फ अपने जेब को भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ चिन्हिंत अधिकारी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बलौदाबाजार जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे बलौदाबाजार जिले में जिला पंचायत में अधिकारियों द्वारा सरपंच ऊपर दबाव डाल-डालकर जिस तरीके से 18 हजार रूपये के सामान को 45 हजार 50-50 हजार रूपये में ट्राईसायकल और फावड़ा बेलचा को बेचा जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। यह सरकार के ऊपर एक दाग लगाने वाली बात है। सरकार की एक अच्छी सोच है, सरकार की अच्छी कार्ययोजना है, अगर कार्ययोजनाओं का पालन करने में अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- शर्मा जी समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बोलकर समाप्त कर रहा हूं। जिला पंचायत बलौदाबाजार में इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं जो 18 हजार रूपये के ट्राईसायकल, फावड़ा, बेलचा सामान को 5 से 7 गुना रेट पर खुले आम सरपंच ऊपर दवाब डाल डालकर चेक को कटवा रहे हैं और ऊपर शिकायत करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार की अच्छी सोच है, अच्छी मंशा है, कम से कम ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ाई करके कार्रवाई करें और सचिव लोगों को ट्रांसफर करने का जो गोरखधंधा बनाकर रखे हुए हैं, इसको भी बंद कराये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बाकी जो भी एक्शन हो, लें । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

<u>सदन को सूचना</u>

आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ट्वीट किया गया है, मैं उस ट्वीट से अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूं :-

"वक्त कितना भी मुश्किल हो, रफ्तार नहीं थमने देंगे,
चुनौतियां लाख हो, छत्तीसगढ़ को रूकने नहीं देंगे,
आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़, गढ़ेगा नवा छत्तीसगढ़।"

मानननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की सोच, छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने की ओर इंगित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विनियोग प्रस्तुत किया और छत्तीसगढ़ के खजाने से खर्च करने की मांग की है, वह कहीं न कहीं उसमें दिखता है। यह सदन विनियोग विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के खजाने की चॉबी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब की सरकार को सौंपना चाहती है और विनियोग विधेयक पास करना चाहती है। हमने देखा कि हर विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और अनुदान मांगों में राशि प्रावधान किया गया। इस 26 महीनें की सरकार ने छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के लिए काम कर रही है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है, वह पूरा करती है। माननीय सभापति जी, माननीय नगरीय प्रशासन विकास विभाग की बात करें तो हमारी सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया कानून बनाते हैं, भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम लाया, जिसमें 19 नवम्बर, 1918 के पूर्व काबिज कब्जाधारियों को भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे मध्यप्रदेश में रही हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रही हो, जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है, नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमिहीनों को पट्टा देने का अधिकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया है। इस अधिनियम से राज्य के लगभग 2 लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें "मोर जमीन, मोर मकान" योजना में ढाई लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। "मोर जमीन, मोर मकान" योजनान्तर्गत 2015 से दिसम्बर, 2018 तक मात्र 8 हजार आवासों के निर्माण पूरे हुए थे। लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद इन 28 महीनों में 74,365 आवासों के निर्माण पूरे कराये। यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल और हमारी 27-28 महीनों के कार्यकाल में यह अंतर है। छत्तीसगढ़ का सालिड वेस्ट मैनेजमेंट माडल संपूर्ण देश में प्रसिद्ध हुआ है। इस योजना में प्रदेश के स्वसहायता समूहों की 9 हजार से अधिक महिला सदस्यों के लिए रोजगार के नवीन अवसर का सृजन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके लिए इस बजट में 1 हजार रूपये की राशि भी बढ़ोत्तरी की है। माननीय सभापति जी, इसका नतीजा यह हुआ कि शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019-2020 में स्वच्छतम राज्यों में छत्तीसगढ़ को 2 बार अवार्ड मिला है। कोविड-19 के देशव्यापी लाकडाऊन के समय में भी इन महिलाओं ने अपनी बखूबी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर एक मिशाल कायम की है। माह जनवरी, 2020 में भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देकर सम्मानित किया गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री और वित्त विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के मेहनत के बदौलत छत्तीसगढ़ राज्य स्वच्छतम राज्यों में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। माननीय सभापति महोदय, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इसके साथ ही प्रदेश के छोटे-बड़े अनेक शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की। पाटन नगर पंचायत को 25 हजार से कम जनसंख्या की श्रेणी में देश का स्वच्छ शहर होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 25 से 50 हजार की जनसंख्या की श्रेणी में जशपुर नगर, 50 से 1 लाख की जनसंख्या श्रेणी में धमतरी, 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में अंबिकापुर की सबसे स्वच्छतम शहरों की श्रेणी में इनके नाम की ख्याति प्राप्त हुई। प्रदेश के 10 अन्य शहरों भिलाई, अकलतरा, भिलाई- चरौदा, बीरगांव, चांपा, चिरमिरी, कवर्धा, नरहरपुर, पिपरिया एवं सारागांव को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा तंत्र चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी हों उन्हें सरकार की ओर से जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करके वह छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वच्छता, लाईवलीहुड अवार्ड 2018-19 में रायगढ़, अंबिकापुर, अमृतसर श्रेणी में जशपुर एवं सूरजपुर को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया। सुशासन की दृष्टि से भी शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के दैनिक समस्याओं का निराकरण उनके ही वार्ड में मिले एवं निकाय के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण कर रहे हैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालय की स्थापना कर दैनिक समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का एक अभिनव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ड कार्यालय के माध्यम से किया है। इसलिए निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वार्डों की समस्या का वार्डों में निराकरण हो ऐसी व्यवस्था माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, पौनी पसारी योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी बहनों को व्यापार, व्यवसाय करने का अधिकार और उसकी व्यवस्था, जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है, वह पौनी पसारी योजना छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं विलुप्त होती स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समस्त 166 नगरीय निकायों में पौनी पसारी योजना के अंतर्गत 30 लाख रूपये की लागत से कुल 255 पौनी पसारी बाजारों का विकास किया जा रहा है। इससे प्रदेश के इस परंपरा से संबंधित 12240 परिवारों के लिए रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। आज कहीं न कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए लगातार ऐसी योजनाएं बना रही है और वह जो करती है वह पूरा करती है। प्रदेश में कृषकों के कृषि कार्य हेतु ब्याजमुक्त अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने में समितियों को होने

वाले हानि की प्रतिपूर्ति हेतु बजट में सहायता का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-21 में भी 213 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2021-22 में 275 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने 6233 लाभ रूपये का ज्यादा प्रावधान किया है। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहाते हैं मगर हमारी सरकार जो कि किसानों के हित में निर्णय ले रही है, किसानों को ब्याजमुक्त अनुदान देने के साथ-साथ उनको जीरो प्रतिशत में कैसे ऋण मिले उसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12 लाख 50 हजार कृषकों को ब्याजमुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 हजार अधिक किसानों के लिए व्यवस्था की है।

माननीय सभापति महोदय, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देखते हैं। वर्ष 2017-18 में मात्र 10 लाख 60 हजार कृषकों के लिए ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण का प्रावधान किया गया था। मगर हमारी सरकार आने के बाद लगातार कृषकों के हित में जो जीरो प्रतिशत में उनको लोन मिले, ऐसी व्यवस्था की है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 27 महीने के कार्यकाल में कृषकों के लिए बेहतर निर्णय लिये हैं। अल्पकालीन ब्याजमुक्त कृषि ऋण माफ के लिए लगभग 2 लाख किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारी सरकार के निर्णय से कृषकों में भारी उत्साह है। आज देश भर के किसानों में 100 दिनों तक जो उन्नत कृषक हैं चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तरप्रदेश हों तमिलनाडु से लेकर 100 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मगर छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उन किसानों के लिए चलायी जा रही योजनाएं अंधेरे में उजाले की ओर, उजाले की किरण के समान है। जब किसान खुशहाल है मतलब देश खुशहाल है किसान समृद्ध होगा तो राज्य समृद्ध होगा। आज छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसानों की हितैषी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार है। आज छत्तीसगढ़ के किसान सरकार की नीतियों, योजनाओं से बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर छत्तीसगढ़ में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जी.डी.पी. अगर मजबूत है तो यह सरकार की नीतियों, योजनाओं के कारण है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खेती, किसानों को प्रोत्साहन देने का परिणाम है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी यहां की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो घड़ीयाली आंसू बहा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष माननीय धरमलाल कौशिक जी से पूछना चाहता हूँ कि अजा सचमुच में छत्तीसगढ़ के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसानों की हितैषी होते तो केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी थी कि आप छत्तीसगढ़ पुल से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सैद्धांतिक सहमति दी। आप अपने वायदे से क्यों मुकर रहे हैं ? अगर आप सचमुच में छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं तो आपको केन्द्र में बैठी हुए भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार से निवेदन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय न हो, छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ अन्याय न हो, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहिए। आज कहीं न कहीं हमारी सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में जो भी निर्णय लेना पड़े, सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, मगर किसानों के हित में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार निर्णय लेगी। आज केन्द्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की सरकार न हमारा चावल लेंगे, न हमारे धान से एथेनाल बनाने की अनुमति देंगे इसका क्या मतलब है ? या तो धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो या धान की खेती बंद हो, धान हमारी पहचान है, यह हमारी पहचान को खत्म करने की साज़िश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केन्द्र में बैठी मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ:-

"कहां ले जाओगे किसानों के हक का दाना।
इस दुनिया को एक दिन तुमको भी है छोड़ जाना।
भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने।
जो धान की कीमत दे न सके, वह जान की कीमत क्या जाने।"

यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है जो किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वर्ष 2014 में इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे इन्होंने कहा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की उपज का दुगना देंगे। आज चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी योजना बनाये हैं, जो तीन काले कानून लाये हैं कहीं न कहीं देश का अन्नदाता, देश का किसान जाग चुका है। देश के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य प्रदेशों के जो जागरूक किसान हैं, लाखों किसान धरना-प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल-चरित्र यह कहता है, बी.जे.पी. की सरकार खुद कांग्रेस की बनाई संपत्ति पर निर्भर है, बी.जे.पी. की सरकार जनता को कहती है कि आत्मनिर्भर बनिये। कांग्रेस की जो बनाई संपत्ति हैं, जो हमारी सरकारों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश में परिसंपत्तियां स्थापित कीं, उन परिसंपत्तियों को बेचकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माननीय सभापति जी, देश का ऐसा पहला उदाहरण है कि जो कारखाना, उद्योग लगने से पहले उसको बेचने की तैयारी की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विधानसभा में शासकीय संकल्प लाकर सरकार का नगरनार स्टील प्लाण्ट को बचाने का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। आज पूरे देश में रेल, एयरपोर्ट, भारत पेट्रोलियम, एल.आई.सी., बैंक बेचने से लेकर सबको बेचने का काम करती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के युवाओं का सपना है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरनार स्टील प्लाण्ट लगे और बस्तर और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले। ऐसे संपने को साकार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकारों द्वारा 60 सालों से स्थापित उद्योग धंधों को क्यों बेचना चाहते हैं ? 60 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया ? हमारी सरकार जो आज देश में है, देश में एक सुई तक का उत्पादन नहीं होता था, आज देश में बड़े-बड़े उद्योग भिलाई स्टील प्लाण्ट से लेकर कई ऐसे उद्योग हैं जो आज नवरत्न कंपनियों में स्थापित हैं। भारत पेट्रोलियम, एन.एम.डी.सी. से लेकर नवरत्न कंपनियां हैं जो हमारी सरकारों ने स्थापित किया है, उनको भी बेचने का काम किया है। मैं बस्तर से आता हूं। जो बातें सच्चाई हैं, इस सदन में सच्चाई को रखना चाहता हूं। नगरनार स्टील प्लाण्ट में भारत सरकार का एक रुपया भी नहीं लगा है। एन.एम.डी.सी. प्राफिट के बाद dividend जो केन्द्र सरकार को देता है, उसके बाद एन.एम.डी.सी. के पास जो रिजर्व फंड है, उस रिजर्व फंड से नगरनार स्टील प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है। नगरनार स्टील प्लाण्ट का demerger और विनिवेश की जो बात हो रही है, एन.एम.डी.सी. द्वारा नगरनार स्टील प्लाण्ट में लगभग 1980 एकड क्षेत्र में फैला है, लगभग 23140 करोड़ रुपये में स्थापित होना है जिसमें अभी तक नगरनार स्टील प्लाण्ट में एन.एम.डी.सी. ने 17,186 करोड़ रुपये पैसा लगा चुकी है, उसमें विनिवेश कर चुकी है। मात्र 524 करोड़ रुपये बॉण्ड से जुटाये जाने हैं। मात्र 524 करोड़ रुपये के लिए केन्द्र सरकार चंद उद्योगपतियों को बेचना चाहती है। आज कहीं न कहीं हमारी सरकार की नीतियां, योजनाओं के कारण ही नगरनार स्टील प्लाण्ट को बचाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। नगरनार स्टील प्लाण्ट बनने से उत्पादन स्तर पर काम करने के आधार पर इस संयंत्र में सालाना 14-15 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावनायें हैं। इसलिए केन्द्र की मोदी जी की सरकार की गिद्ध दृष्टि नगरनार स्टील प्लाण्ट पर पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, बस्तर वैसे भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है । जब हमने सरकारी उपक्रम को, नगरनार स्टील प्लांट को दिया था तो हमारे ग्रामीणजनों ने इस शर्त पर दिया था कि नगरनार स्टील प्लांट बनेगा, जिनकी जमीन गयी है, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, बस्तर के युवाओं को रोजगार मिलेगा इस शर्त पर ग्राम सभा के माध्यम से हमने नगरनार स्टील प्लांट को जमीन दी थी । आज भारतीय जनता पार्टी इस नगरनार स्टील प्लांट को भी छीनना चाहती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। कहीं न कहीं नगरनार स्टील प्लांट बनने से आज हमारी सरकार आगे बढ़ेगी । कांग्रेस की सरकार जब-जब हुआ करती थी, हमारे होनहार बच्चों के लिये, पढ़े-लिखे लोगों को आगे बढाना चाहती थी इसीलिये आज हमारे जो 85 अधिसूचित विकासखंड हैं, उन अधिसूचित विकासखंडों में मॉडल स्कूल बनाने का निर्णय तात्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने लिया था, हमारी सरकारों ने पूरे संसाधन उपलब्ध करा दिये थे । हमारी सरकार थी, उस समय 72 मॉडल स्कूलों के लिये संसाधन उपलब्ध कराया था ताकि गरीब और प्रतिभावान छात्र-छात्राएं पढ़ सकें । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि फिर से हर ब्लॉकों में

स्वामी आत्मानंद जी के नाम से इंग्लिश मीड़ियम स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है । कहीं न कहीं यह निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी ने उन 72 मॉडल स्कूलों को भी प्राईवेट हाथों में सौंप दिया था। आज उन स्कूलों में हमारे गरीब तबके के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं । आज कहीं न कहीं जो बात है, आज लगातार हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आगे बढ़ रही है । छत्तीसगढ़ राज्य के वन संसाधन, खनिज संसाधन, जल संसाधन, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कैसे हो उसके लिये कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है इसीलिए जो आंकड़े हैं, केंद्र सरकार ने जारी किये हैं । भारतीय जनता पार्टी की वर्ष 2018 तक सरकार रही है । यहां बेरोजगारी दर 22.7 थी, हमारी सरकार आने के बाद वर्ष 2019 में बेरोजगारी दर घटकर 5.2 हुई । इसका मतलब साफ है कि सरकार की नीतियां, योजनाएं छत्तीसगढ़ की जनता के लिये है ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा रही है । छत्तीसगढ़ के हमारे स्वप्नदृष्टा श्रद्धेय डॉ. खूबचंद बघेल जी हों, श्रद्धेय छेदीलाल बैरिस्टर जी हों, चाहे चंदूलाल चंद्राकर जी हों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अनगिनत स्वप्नदृष्टा थे । छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास होगा उस सपने को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया है । हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी जो परंपरा है, हमारी रीति है, हमारी नीति है, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरेली की छुट्टी, हमारे छत्तीसगढ़ की फसल उपजने के बाद हम लोग जो नवा खाई त्यौहार, विश्व आदिवासी दिवस का त्यौहार, छठ पूजा का त्यौहार इसके साथ-साथ हमारी बहनें जो तीजा का उपवास रखती हैं । उसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ के खेल भंवरा, गिल्ली, डंडा, पिट्ठुल से लेकर उसको भी ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे परमपूज्य गुरू घासीदास बाबा जी, परमपूज्य संत कबीर जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों की भलाई का जो सपना देखा था और सत्य के रास्ते पर चलने का जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चलने का काम हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक सरकार में रही है और भारतीय जनता पार्टी के तात्कालीन मुख्यमंत्री जी जब-जब भाषण देते थे, वित्तमंत्री के रूप में भाषण देते थे, तीन बार मुख्यमंत्री थे, जनादेश में उन्होंने इतना दम भर दिया था और इतना घमंड कर दिया था, वे हर भाषणों में कहते थे कि एक बार भाषण करते हैं तो कांग्रेस की एक सरकार गिर जाती है । इसी घमंड के कारण 15 साल सरकार में रहने के बाद भी आज 14 सीटों में सिमट गए हैं । अगर इन्होंने 15 साल काम किया होता, अगर 15 साल छत्तीसगढ़ के किसानों का हित किया होता तो यह हश्र नहीं होता । सभापति जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र को याद दिलाना चाहते हैं । मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के तीनों चुनावों के घोषणा पत्र हैं, 2003 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने कहा था हर जरूरतमंद 12वीं पास बेरोजगार युवक, युवतियों को 500 रूपए

बेरोजगारी भत्ता देंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 15 सालों में कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, मैं पूछना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में 23 लाख पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार थे, सभापति जी छत्तीसगढ़ में 85 लाख आदिवासी हैं, कितने आदिवासी परिवार के सदस्यों को नौकरी दी ? मैं पूछना चाहता हूं लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, कितने लोगों का कर्ज माफ किया । मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के 146 विकासखंडों के 1500 से अधिक दाल-भात सेंटर खोले जाएंगे और इन सेंटर्स में मात्र 5 रूपए में दाल भात मिलेगा । कितने ब्लॉक्स में इन्होंने दालभात सेंटर खोला ? प्रोफशनल टैक्स समाप्ति की बात कही थी । 1990 तक वन भूमि पर काबिल आदिवासियों को पट्टा देंगे, मगर किसी को नहीं दिया । हमारी सरकार ने वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के अनुसार 13 दिसम्बर 2005 तक जितने भी वन भूमि पर कब्जाधारियों को 4 लाख से अधिक प्रकरणों को निरस्तर कर दिया गया था, उन प्रकरणों पर भी पुनर्विचार करके हमारी सरकार वन अधिकार पट्टा व्यक्तिगत् रूप से भी दे रही है और सामुदायिक भी दे रही है । हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है तो मैं छत्तीसगढ़ में तो दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की नीतियों पर, उपलब्धियों पर उंगली उठाने का कतई अधिकार नहीं है । चाहे 2008 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो हमारे पास इनके संकल्प पत्र हैं, मगर इन्होंने कुछ किया नहीं । मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम से, उनके लोगों के पास विदेशों में खाते हैं उन खातों का क्या होगा । मैं पूछना चाहता हूं लगभग 36 हजार करोड़ के नान घोटाले के आरोप लगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप क्यों रहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि अंतागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी खरीद-फरोख्त में खुद उनके दामाद, उनके अभिन्न मित्र का नाम उसमें शामिल था, क्या वे उस दाग से छूट गए हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि झीरम घाटी में हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं थी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग इसी पवित्र सदन में की गई थी । भारतीय जनता पार्टी के नेता केन्द्र सरकार से दबाव कर सीबीआई जांच की मांग पर रोड़े क्यों अटकाना चाहते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो उनके चाल और चरित्र, आज किसानों के आत्महत्या की बात होती है, 2006 से 2010 तक हर साल औसतन 1500 किसान आत्महत्या कर रहे थे, 2009 से लेकर यहां आंकड़ा 1802 तक पहुंच गया और उसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 15 हजार किसानों ने आत्महत्या की । हमारी सरकार ने कुछ आत्महत्याएं जरूर हुई हैं मगर कारण कोई दूसरा हो सकता है । मगर किसी कर्ज के बोझ को लेकर हमारी सरकार के कार्यकाल में आत्महत्याएं नहीं हुई हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

2.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बात हो रही है। कानून व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉ. रमन सिंह के शासनकाल में इसी विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से उत्तर आया था। लगभग 50 हजार हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती के प्रकरण दर्ज हुए थे और हमारे छत्तीसगढ़ की 27 हजार बहु और बेटियां यहां से गायब हो गई थीं। माननीय सभापति जी, आज जो बात हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार एक वृहद कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। जो हमारी सरकार का ड्रिम प्रोजेक्ट है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी इससे साफ जाहिर होता है कि हम सतही जल को कैसे बचायें। बरसात के जल को हम कैसे बचायें। इसीलिए हम एक कार्ययोजना के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, तत्कालीन राजस्व मंत्री रहे हैं। जब हमारी कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्व मंत्री हुआ करते थे। उस समय यह कार्ययोजना बनायी थी। उस समय एक सोच के साथ आगे बढ़े थे। वर्ष 2000 से वर्ष 2003 के बीच का एक अमलीजामा अभी सरकार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है, को कार्यरूप में परिणत करने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज पूरे देश में माननीय सभापति जी, आप रायपुर से आते हैं, रायपुर के किसी भी क्षेत्र में जाइए, 600 फीट से ऊपर पानी नहीं मिलता। आज जमीन में पानी का जल स्तर कितना नीचे जा रहा है? इसलिए सतही जल को, बरसात के जल को, नदी-नालों को हम वैज्ञानिक ढंग से कैसे रिचार्ज करें, इसके लिए हमारी सरकार ने कार्य योजना बनायी है। हमारा राजस्व विभाग, वन विभाग से लेकर हर विभाग उसमें काम कर रहा है। इसकी प्रशंसा आज नीति आयोग कर रही है। इसकी प्रशंसा केन्द्र सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारी सरकार की उपलब्धियों को..।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- जी, सभापति जी मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति जी, आज लगातार ऐसी योजनाएं बना रही हैं तो उसमें काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज हमारे मेनिफेस्टो पर उंगली उठा रहे थे। कोई कहता है 24 योजनाएं, 36 में 24 पूरा किये। हमारी सरकार ने तय किया है। हमारी सरकार का जो बचा कार्यकाल है, उस कार्यकाल में 36 वादे हमें लगता है हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है, वह वादा पूरा करती है। हमें लगता है उन 36 वादों में से 36 के 36 वादे पूरे होंगे। मुझे विश्वास है और हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार जरूर पूरा करेगी। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो विनियोग प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सदन से मैं निवेदन करता हूं कि इस विनियोग को पास करे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ के 2

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करोड़ 80 लाख जनता के लिए यह विनियोग पास होना चाहिए। इसी निवेदन के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे जी।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय जी, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2020-21 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। साथ ही उन्होंने किसान भाइयों का धान समर्थन मूल्य में खरीदा है, उसके साथ-साथ उन्होंने जो राजीव गांधी पेंशन योजना दिया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन दूसरी ओर जो नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी की योजना है, उसमें जो गौठान निर्माण कराया गया है, उसमें सिर्फ गौठान के नाम पर एक तार को घेर दिया गया है और पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि कहीं भी गौठान को सही रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी पूरे प्रदेश में जो गौठान निर्माण कराया गया है, उसमें कहीं भी छप्पर की व्यवस्था नहीं की गई है। तो कहीं पर गायों के खाने के लिए पैरा की व्यवस्था नहीं की गई है । कहीं पर गायों के खाने के लिए पैरे की व्यवस्था नहीं की गई है, तो कहीं पर उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है । इस तरह से गौठान का निर्माण कराया गया है । जो गौ धन न्याय योजना है, जिसमें गोबर से कम्पोस्ट खाद बनाने की जो विधि है, उसमें भी जो गौठान निर्माण का कार्य है, उससे संबंधित किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है । कहीं पर गोबर सड़ रहा है, कहीं पर सूख रहा है, उसका कम्पोस्ट खाद बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा है । इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के करोड़ों रूपया के गौठान निर्माण कराने की जो योजना है, उसमें सिर्फ बंदरबांट करने का कार्य किया जा रहा है । किसी तरह से कोई योजना संचालित नहीं हो रही है । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, वह तभी सफल हो सकती है, जब उसमें कार्य सही रूप से संचालित हो, जिससे लोगों को लाभ हो ।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार सीना ठोककर कहती है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ । लेकिन आज परिस्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ को केवल अपराध का गढ़ समझा जा रहा है । आप देख लीजिए कि अभी बठेना की घटना हुई, मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कोड़ावाद की घटना हुई, जांजगीर जिले में घटना हुई । ऐसे ही पूरे प्रदेश में अनैतिक घटनाएं हो रही हैं । कहीं पर मर्डर हो रहा है, कहीं पर अपहरण हो रहा है, जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं । उनके साथ बलात्कार कर उनको जलाया जा रहा है । ऐसी अनैतिक घटनाएं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में घट रही है। पहले हमारे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ऐसा माना जाता था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है । पहले हमारी बोली, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारे पकवान जैसे अनर्सा, बबरा, ठेठरी-खुर्मी जो रोटियां होती हैं, वह हमारी पहचान होती थीं, वह हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर होती थीं, हमारी बोली,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारी भाषा, हमारा पहवाना छत्तीसगढ़ की पहचान होती थीं, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है । आज पूरे प्रदेश में भयावह की स्थिति हो गई है, आम जनता सुरक्षित नहीं हैं, न तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित हैं । हमारे छत्तीसगढ़ में पेपर या टी.वी. के माध्यम से देख सकते हैं कि हर दिन कोई न कोई अनैतिक घटना होती जा रही है । इन घटनाओं पर छत्तीसगढ़ सरकार को कानून व्यवस्था का शिकंजा कसने की जरूरत है । मैं हमारी बेटियों के बारे में भी बोलना चाहूंगी । आप लोग टी.वी. या पेपर के माध्यम से देख सकते हैं कि हर दिन बेटियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होती जा रही हैं । हम अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में भेजते हैं, जिसके कारण उनके साथ अनैतिक घटनाएं घटती रहती हैं, ऐसी घटनाओं के कारण हमारी बहन-बेटियों को पढ़ने के लिए भी खुली आजादी नहीं मिल पाती । हमारी बहन बेटियों की पढ़ाई बीच में रोक दी जाती है और कहीं परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई बीच में रोक दी जाती है । हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोली जाए, जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित रहें और उन्हें पढ़ाई करने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए । उन्हें पारिवारिक समस्या के कारण भी अपनी शिक्षा न छोड़नी पड़े ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह अत्यंत जर्जर स्थिति में है । मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो जर्जर हो चुकी है, उसका निर्माण कराया जाये । इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं । मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में परगांव से सेन्दरी रोड़, जो मुख्य रोड़ है, जो जिले को टच करती है तो मैं उसकी भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करती हूं । सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । छत्तीसगढ़ में पहली बार असली छत्तीसगढ़िया सरकार राज में आई है और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ में एक किसान पुत्र मुख्यमंत्री और एक किसान पुत्र कृषि मंत्री बना है । पिछले तीन कार्यकाल की सरकार में हमने किसानों के बारे में बहुत सुना । उन्होंने लगातार किसानों के साथ छल किया, असत्य वादा किया। माननीय सभापति महोदय, उनकी जो घोषणा पत्र में समिति बनी थी, उनमें से कई माननीय सदस्य आज भी यहां सदन के सदस्य हैं। हमारी सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ इस सदन में बैठी है और आज हमारा संकल्प था कि किसान समृद्ध हो, छत्तीसगढ़ की आम जनता समृद्ध हो, हमारी सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। हमारी सरकार, हमने जो कहा हम उस वादा को पूरा कर

रहे हैं। मैं कुछ बोलने से पहले एक बार पुराने दिन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज से 15, 20, 25 साल पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय धान खरीदी सरकार नहीं करती थी। उस समय धान खरीदी व्यापारी करते थे और 300, 400 रूपये बोरी में धान खरीदते थे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, उस समय धान के व्यापारी आते थे और किसान से औने पौने दाम पर धान खरीदते थे। उसके बाद जब पैसा देने की बारी आती थी तो बोलते थे कि अभी धान का भाव नहीं है तोर धान ला जावा में भर दे हंव, कम में तोला ज्यादा पैसा देहव, तै अभी रूक जा, बरसात के बाद तोला पैसा देहंव। उस समय किसान के पैसे से व्यापारी पूरा व्यापार करते थे। लेकिन कमोवेश लगभग 15 साल यही चला, किसान को अपने उत्पाद का वाजिब दाम नहीं मिला और जब हमारी सरकार आई सामने वादा किया था, हम धान की वाजिब कीमत देंगे, 2500 रूपये कीमत देंगे और हमने 2500 रूपये दिया। हमने यह नहीं कहा कि हम 2100 देंगे, 2000 देंगे और बोलने के बाद वादा पूरा नहीं किया, हमने ऐसा कदापि नहीं किया। मैं उस समय का उल्लेख करना चाहूंगा जब हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी। इन्होंने 2000 रूपये कीमत देने का वादा किया था, उस समय इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हमारी मांग को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है और केन्द्र में भाजपा की सरकार है, हमने यह नहीं कहा कि हमारी मांग या हमारी कीमत को केन्द्र सरकार नहीं मान रही है। हमने 2500 रूपये कीमत देने की बात कही थी तो 2500 रूपये कीमत दी। हमने हमारी 27 महीने की सरकार में वादा किया था कि हम कर्ज माफ करेंगे, हमने 17 लाख से अधिक किसानों का 9 हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण माफ किया। किसानों की जो सिंचाई कर थी, वह भी माफ किया। जो धान खरीदी का लक्ष्य था, उनके समय में लगभग 56 हजार मीट्रिक टन धान खरीदते थे। जैसे ही हमारी सरकार आई वह 56 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर एकमुश्त में 80 लाख मीट्रिक टन पहुंच गई। हम यहीं नहीं रूके, हमने वर्ष 2019-20 में 83 लाख 94 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा। वर्ष 2020-21 में 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश के मुखिया की संकल्प पत्र में दृढ़ इच्छा कितनी है, यह इस बात को दर्शाता है। हमने कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इनके कार्यकाल में लगातार बिजली बिल की दर में बढ़ोत्तरी हुई । हमने बिजली बिल हाफ किया और छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है उनको बिजली बिल में रियायत दी। गोधन न्याय योजना की चर्चा इस सदन में बार-बार हुई है, गोधन न्याय योजना न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश की बल्कि देश की ऐसी योजना है, जिससे हमारे गरीब पशुपालक और भूमिहीनों को रोजगार मिला और उनका परिवार समृद्ध हुआ है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

2:15 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, उनके कार्यकाल में 9 लाख 68 हजार सिंचाई का रकबा था, जबकि हमारे कार्यकाल में 12 लाख 30 हजार तक सिंचाई का रकबा बढ़ा है। हम लोगों ने इस विनियोग में जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने के लिए 59 सौ करोड़ रूपये की भी व्यवस्था की है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एक छोटी सी योजना आई, उसका स्वरूप, उसका महत्व कितना बड़ा है, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। मैं एक किसान हूं और किसान का पुत्र हूं। जब हम लोग खेत जाते थे, खेत में रास्ता खराब होता था, कच्चा रास्ता हुआ करता था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, जो किसान पुत्र हैं, मुख्यमंत्री धरसाही योजना लाये हैं। यह हमारे प्रदेश किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा में उल्लेखनीय कार्य किया है। पिछली सरकार में जहां बी.पी.एल. कार्डधारियों को नि:शुल्क ईलाज मिलता था, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने 56 लाख बी.पी.एल. परिवारों को लाभ पहुंचाया है। उनको एक साल में बी.पी.एल. लोगों को 5 लाख और ए.पी.एल. लोगों को 9 लाख तक के नि:शुल्क ईलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से हर व्यक्ति, चाहे ए.पी.एल. कार्डधारी हो या बी.पी.एल. कार्डधारी हो, उनको 20 लाख तक के उपचार की सुविधा देने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। मुख्यमंत्री स्लम सहायता योजना के माध्यम से हमारे शहरी गरीब लोगों को उनके ही वार्ड में इलाज संभव हुआ है। वहीं वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना से गरीब व्यक्तियों का ईलाज होना भी संभव हुआ है। चिकित्सा एवं दवाई वितरण भी नि:शुल्क हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने लोहण्डीगुड़ा में टाटा समूह द्वारा उद्योगलगाने हेतु अधिग्रहित 1760 आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीन वापस दिलाई। अभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य नहीं हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके सरकार में 90 हजार से अधिक कृषि भूमि उद्योगपतियों को हस्तान्तरित की गई थी। एक किसान की सरकार और एक बड़े लोगों की सरकार में यही अंतर है। हमारी सरकार एक तरफ किसानों को उनकी जमीन वापस करा रही है दूसरी तरफ उनकी सरकार किसानों की जमीन उनसे छीनकर उद्योगपतियों को दे रही थी। जो लोग वनाचंल में क्षेत्र में रहते हैं, उनको शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रति मानक बोरा राशि 2,500 रूपये से बढ़ाकर 4,000 रूपया प्रति मानक बोरा किया है। समर्थन मूल्य में खरीदे जाने वाला वनोपज की संख्या पहले 7 थी, अब वह बढ़कर 52 हो गई है और देश भर में हमारा प्रदेश वनोपज खरीदने वाले राज्यों में प्रथम रहा है। महुआ का समर्थन मूल्य पहले 17 रूपया था, उसको बढ़ाकर 30

रूपया किया गया है। इससे निश्चित रूप से हमारे आदिवासी भाईयों को फायदा मिला है और वे समृद्ध हुए हैं। उनके बच्चे, उनका परिवारों को एक अच्छी जिन्दगी जीने का माहौल बना है। हमारी सरकार ने वन अधिकार पट्टे का वितरण किया है और किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दिलाया है। मैंने अभी कहा कि ट्रायफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार लघु वनोपज खरीदने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सी-मार्ट की स्थापना की है। उससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी उसका विशेष स्थान होगा। प्रदेश की स्थानीय कृषि वन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य और राज्य के बाहर सी-मार्ट की स्थापना से परम्परागत ढेकी का कूटा चावल, धान से निकला खाद्य तेल, कोदो-कुटकी, मक्का, विभिन्न प्रकार के वनोपज जैसे हर्रा, बहेरा, आवला, इमली, महुआ इत्यादि से निर्मित उत्पाद जैसे टेराकोटा, बेल मेटल, बांस, चर्म सिल्क, कोसा सिल्क, लौह सिल्क तथा छत्तीसगढ़ के परम्परागत व्यंजनकी सुविधा मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे और बच्चों के पेट में दर्द होता था तो हमारी माताएं हमें हर्रा का घोल पिलाती थीं तब हमारे पेट का दर्द खत्म होता था। इस सी-मार्ट के माध्यम से हम हमारे जो प्राचीन उपचार के तरीके हैं हम उस तरफ जायेंगे। इसी मार्ट में हमारे जो छत्तीसगढ़ के व्यंजन हैं, छत्तीसगढ़ की जो कला है वह न केवल हमारे प्रदेश बल्कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन करेगी।

हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए जो 15 हजार रूपये की अनुदान राशि मिलती थी उसे बढ़ाकर 25 हजार रूपये किया है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाकर 50 हजार से 1 लाख रूपये किया गया है। निसंदेह इससे हमारे गरीब भाई बहनों को बहुत लाभ हो रहा है। सामूहिक कन्या विवाह के लिए जो राशि बढ़ाई गई है इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह सुगम हुआ है।

कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी बेटी के पैदा होने पर 5 हजार रूपये एकमुश्त देने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है यह निसंदेह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना में एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारे 27 महीने की सरकार में कुपोषित बच्चों की संख्या में 13.7 प्रतिशत की कमी आई है जो कि उल्लेखनीय कमी है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मध्यान्ह भोजन की रसोईयों और स्वच्छता दीदियों के मानदेय में जो वृद्धि की गई है यह निसंदेह हमारी सरकार की संवेदना को दिखाती है। हमारी सरकार गरीब और छोटे लोगों के साथ जिस संवेदना के साथ काम कर रही है यह इस बात का द्योतक है। 168 नगरीय निकायों में पौनी-पसारी योजना के तहत 60 प्रतिशत शेड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इससे हमारी महिलाएं निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में एक नया कदम उठायेंगी और अपने परिवार के आर्थिक स्रोत बढ़ाने में वह सक्षम होंगी।

माननीय सभापति महोदय, पिछला एक साल कोरोना से गुजरा है। इस कोरोना काल में हमारी सरकार ने मजदूरों को मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया और उनके मजदूरी का भुगतान भी किया। पूरे कोरोना काल में कोरोना के गाईडलाईन का पालन करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रोजगार देने में यह पूरे देश में प्रथम है। कोरोना काल में हमारे प्रदेश के जो श्रमिक थे, जो बाहर गये थे, उनके लाने की व्यवस्था भी की गई, उनके रहने की भी व्यवस्था की गई और उनके रोजगार की भी व्यवस्था की गई। यह निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की मानवीय पहल को दिखाता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा राजस्व विभाग के दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। इससे मौके पर ही अभिलेख मिलान एवं गिरदावरी के काम कम समय में सुविधाजनक तरीके से किया जा रहा है। हमारी सरकार नागरिकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से ऑनलाईन माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त बी-1, बी-2, नक्शा, पंजीयन पश्चात् नामांतरण की कार्यवाही मोबाईल एप, ई-कोर्ट, ई-नामातरण जैसी कई कार्यवाहियां संपादित हो रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों एवं आम नागरिकों को सुविधा देने का काम किया है। हमारी सरकार ने तहसील कार्यालयों में मॉडल रिकार्ड रूम की भी व्यवस्था की है। इसके लिए प्रति जिला 25 लाख रूपये के मान से जिला कलेक्टर को राशि आवंटित कर दी गई है और यह कार्य प्रगतिरत है। हमारे जो छोटे-छोटे भूखंड के मालिक थे उनकी पिछले समय रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी और वह परेशान रहते थे। हमारी सरकार ने छोटे भूखंडों के खरीदी-बिक्री की जो सुविधा दी है उससे लोगों में हर्ष व्याप्त है। प्रदेश में 11 नवीन तहसीलों और 5 अनुभागों का गठन किया गया है। इससे हमारे आमजन को जो तहसील के अभाव में दूर जाना पड़ता था उनकी दूरी कम हुई है। पेंड्रा मरवाही एक नए जिले का गठन हुआ है। पहले मरवाही की जनता को 4 घंटे का सफर तय करके बिलासपुर तक जाना पड़ता था। मरवाही के जिला बनने से वहां के हमारे आदिवासी भाईयों को कितना लाभ मिला है यह वही के लोगों से पूछें तो हमको मालूम होगा। वहां के लोग इतने हर्षित हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कोटी-कोटी धन्यवाद् दे रहे हैं मरवाही के जिले की मांग बहुत लम्बे समय से चल रही थी और उससमय वहां जिले की मांग थी तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां की जनता की मांग और वहां की जनता के दु:ख को समझकर, जिले का गठन किया। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। पिछले कार्यकाल में इनकी सरकार थी इन्होंने 3000 स्कूलों को बंद किया और जब हमारी सरकार आयी तो हमने 15 हजार से अधिक स्थायी चौकी, नई भर्ती प्रक्रिया की है और अभी पदस्थापना हो रही है। इनका शिक्षा क्षेत्र में क्या ध्यान था और हमारा क्या ध्यान है ? यह इससे पूरा पता चलता है। उच्च शिक्षा में हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 4000 से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिक सीट की बढ़ोत्तरी की है। पहले हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा में स्थान नहीं मिलता था हमारे शिक्षा मंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया है और 4000 से अधिक सीट की बढ़ोत्तरी की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के जो गौरव थे उनके नाम से रायगढ़ में शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद् देता हूँ। कांकेर, महासमुंद, कोरबा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और उसमें 100-100 सीट की व्यवस्था की गई है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। इनकी सरकार में यह सब नहीं हुआ। हमारी 27 महीने की सरकार ने 3-3 नये महाविद्यालय खोले और इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुसूचित जाति का जो आरक्षण होता है उसमें विशेष रूप से कमजोर जनजाति जैसे अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिहोर, बैगा, भुजिया, पण्डो के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण दिया। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ज्यादा, बहुत बढिया सराहनीय कदम है। इसके लिए हमारे माननीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इनके 15 सालों के कार्यकाल में लगातार किसान आत्महत्या किये। इनके कार्यकाल में 14 हजार किसानों ने आत्महत्या की और उस समय इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। आज जब हमारे किसान समृद्ध हैं, खुशहाल हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज जब हमारे किसान, पशुपालन समृद्ध हैं तो इनको यह रास नहीं आता। यह लगातार चर्चा से भाग रहे हैं। इनको सरकार की जो अच्छी बात है, इनको सुनने की हिम्मत नहीं है। हमारे मजदूर, किसान, यहां की जनता खुशहाल हैं, इनको सुनने की हिम्मत नहीं है। यह लगातार चर्चा से भाग रहे हैं। मैं आखिरी एक लाईन कहकह अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा इन्होंने वर्ष 2013 के घोषणापत्र में एक शायरी का उल्लेख किया था:-

"मैं जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है
आंखों में कभी मील का पत्थर नहीं देखा",

माननीय सभापति महोदय, इनका वही था कि जिस दिन से यह चले थे इनकी मंजिल पर नजर थी और कभी इनकी मंजिल समाप्त नहीं हुई। इसलिए यह लोग अर्श से फर्श में आ गये और आज 14 की संख्या में सिमट गये। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विनियोग का समर्थन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार का ध्यान लगातार छत्तीसगढ़ के कमजोर वर्ग, किसानों, आदिवासियों, पशुपालकों, छोटे-छोटे व्यापारियों, छोटे-छोटे कर्मचारियों पर बना रहे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एक बार पुन: माननीय मुख्यमंत्री जी के विनियोग का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे इतना समय बोलने के लिए दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिंहावा) :- माननीय सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक विभिन्न विभागों का है। उसके समर्थन के पक्ष में मैं अपनी बात रखूंगी। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुखिया ने जो कहा सो किया, जो सोचा उसको जमीन पर उतारने का प्रयास किया और उसकी संकल्पना "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़", उसको भी यर्थात् में लाकर खड़ा करने का प्रयास किया है और छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा देने की जो उनकी इच्छा थी, वह भी विकास अवस्था में दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के अगवा ने छत्तीसगढ़ की जो जनता है, छत्तीसगढ़ के जो विचार, भावनायें हैं, उनको समझकर के छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन कैसे बनाना है इसके लिए उन्होनें सुराजी ग्राम योजना, किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, पौनी-पसारी योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी-मार्ट स्टोर की संकल्पना को लेकर चले हैं। इससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का विकास दिखाई देगा और दे भी रहा है। सबसे पहले मैं पानी की समस्या को लेकर माननीय पी.एच.ई. मंत्री जी के विभाग के बारे में बात करूंगी। जनता को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जल है तो जीवन है। इसके लिए हमारी सरकार ने मिनीमाता अमृतधारा नल योजना में 11 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। जो गोठान बनाये गये हैं, उसमें भी मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन योजना के तहत 850 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नलकूपों के अनुरक्षण के लिए 106 करोड़ रुपये तथा पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना में 32 करोड़ एवं ग्रामों में पेयजल प्रदाय के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। पानी की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया है। क्योंकि सरकार का पहला कर्तव्य है कि लोगों को पानी दे, स्वच्छ जल दे ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस काम को सकारात्मक रूप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार चल पड़ी है। निश्चित तौर से सरकार का जो लक्ष्य है वह 2023 तक पूरा होगा। मैं इसका समर्थन करती हूं। इसके लिए उन्होंने राज्य के 45 लाख 48 हजार ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विनियोग में बजट दिया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा विभाग महिला एवं बाल कल्याण, समाज कलयाण विभाग है। निश्चित तौर पर महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनायें हैं। प्रदेश में महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक में सुधार करने के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किया गया है। उसी तरह से बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास करने के लिए उनको सही रूप से पोषण देने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किया गया है। उसके लिए बजट दिया गया है। संवैधानिक हितों की सुरक्षा के लिए, कानूनी रूप से महिलायें जागरूक रहें और सारी योजनाओं का लाभ ले सकें, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की जितनी भी योजनायें हैं, उसके लिए जो बजट दिया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। उसी तरह से समाज कलयाण विभाग में दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए, बौने व्यक्तियों के लिए, तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए समग्र पुनर्वास के लिए योजना क्रियान्वित की गई है, कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उसके लिए जो बजट प्रावधान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। जिसके माध्यम से हमारे बच्चों में कुपोषण की स्थिति वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा थी, उस कुपोषण को दूर करने के लिए सुपोषण योजना चलाई गई है। उसी तरह से महिलाओं और बच्चों के लिये और बहुत सारी योजनायें हैं, उसको भी पूरा किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी पेंशन योजनायें संचालित हैं, उसको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा क्षेत्र वन विभाग से संबंधित है, वनों से आच्छादित है। वनों की स्थिति अच्छी हो, इसके लिए भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बिगड़े वनों को सुधारने के लिये कार्य कर रही है, पर्यावरण वानिकी के लिये कार्य कर रही है, संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, साथ ही जल का संरक्षण हो रहा है, पुल-पुलिया, सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है और बांस रोपण और बांस के जो वन हैं उनके भी पुनरूद्धार का कार्य किया जा रहा है । पथरोपण, वृक्षारोपण किया जा रहा है । वनों में अतिक्रमण हो रहा है उसको भी बचाने का कार्य किया जा रहा है । औषधि जो वनों में मिलती है उसके लिये एक मंडल बनाया जा रहा है और लघु वनोपज जिसमें तेंदूपत्ता को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत् 4000 किया है और सामूहिक बीमा योजना एवं वन मार्गों में निरंतर सुधार की आवश्यकता है । सामाजिक वानिकी के तहत् भी जो बजट दिया गया है, हमारे लाख के जो पौधे हैं उसके लिये भी बजट दिया गया है, जो ग्रीन इंडिया मिशन चलाया जा रहा है, वन्य प्राणियों का संरक्षण जिसमें हाथियों और तेंदुआ का आतंक अभी मेरे क्षेत्र में है उसके लिये भी बजट दिया गया है, उनको भी सुरक्षा दी जा रही है, जो अभी-अभी हाथी आये हैं उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे तो एलीफेंट प्रोजेक्ट के तहत् और जैव विविधता के तहत् वन विभाग के अंतर्गत जो कार्य किये जा रहे हैं वह बहुत ही अच्छा है और जो बजट दिया गया है उसका भी मैं समर्थन करती हूं ।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग के क्षेत्र में देखें तो उद्योग मंत्रालय में 339 करोड़ 7 लाख 55 हजार की अनुदान मांगें हैं उसका भी मैं समर्थन करती हूं और राज्य के युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिये भी कार्य किया जा रहा है । 742 युवाओं के लिये यह कार्य किया जा रहा है । नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जिसमें 12 नये उद्योगों का विकास किया जा रहा है जिससे निश्चित रूप से संसाधन के साथ-साथ रोजगार भी मिलेगा । ग्रामीण उद्यमी विकास योजना के तहत् प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है । फूड पार्क की स्थापना भी की जा रही है जिससे निश्चित तौर से यह उद्योग लगेंगे तो बेरोजगारी की स्थिति खत्म होगी और कम करने में सहायक होंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय के बारे में यह कहना चाहूंगी कि 5 हार्सपावर का जो कृषि यंत्र लगाया जा रहा है, नि:शुल्क दिया जा रहा है और जो बिजली का बिल है उसको हाफ किया गया है, एकलबत्ती के लिये भी काम किया जा रहा है, विद्युतीकरण के लिये काम किया जा रहा है और माजरा-टोला को भी बिजली देने के लिये जो कार्य किया है वह बहुत ही अद्भुत योजना है । बॉयो एनर्जी

आधारित कार्यक्रम के तहत् ऊर्जा शिक्षा अनुदान, सौर उर्जा को भी बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के तहत् ई-जिला परियोजना और छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है । ई-गवर्नेंस के तहत् जो सुशासन चल रहा है उसके लिये भी बजट दिया गया है और छत्तीसगढ सेंटर ऑफ जिओ के लिये भी बजट दिया गया है, 28 जिलों को जोड़ा गया है । मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष को भी वाई-फाई सुविधा दी गई है, संचार क्रांति और भारत नेट योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत् जनता को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और निश्चित तौर पर मैं इन सब अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं । माननीय सभापति महोदय, नगरीय एवं प्रशासन विभाग के द्वारा भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत् बहुत ही सुंदर काम चल रहा है । स्वच्छ पेयजल के साथ-साथ नाली की सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है । इसके अलावा जो श्रमिक मजदूर हैं, बाल श्रम है, बंधुवा मजदूर हैं उनके पुनरूद्धार का काम किया जा रहा है और उनकी जो कानूनी सुरक्षा है उसको न्याय देने के लिये उपाय किये जा रहे हैं । सन् 1948 के जो कानून-नियम हैं उसको भी क्रियान्वित किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर हमारे यहां जो असंगठित श्रमिक भाई हैं उनको भी सुविधा मिलेगी और नगरों का भी विकास होगा इसलिये मैंने इन सारे विषयों के समर्थन में अपनी बात रखी और मैं इसका समर्थन करती हूं । इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद ।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ एक छोटी से कहानी से करूंगा । सभापति महोदय, चार भाई थे, एक था सत्बुद्धि, जिसके पास सौ दिमाग था । दूसरा सहस्रबुद्धि था जिसके पास हजार दिगाम था, तीसरा सत्सहस्रबुद्धि था जिसके पास लाख दिमाग था और चौथा केवल बुद्धि था, जिसके पास केवल एक दिमाग था । भाईयों ने तय किया कि तीर्थाटन पर चला जाए । तीनों ने तय किया कि एकल बुद्धि वाले को लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि तुम हमारे जितने विद्वान नहीं हो । एकल बुद्धि ने जिद किया तो उसे भी साथ में लेकर गए । जंगल में बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थीं । तीनो ज्यादा बुद्धि वालों में बहस चालू हो गई कि यह किस जानवर की हड्डी है, किसी ने कहा शेर की हड्डी है, किसी ने कहा यह भालू की हड्डी है, सबने मिलकर सोचा कि हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए । एकल बुद्धि ने कहा कि इसमें अपने ज्ञान का प्रयोग मत करो, यह ठीक नहीं है । लेकिन तीनों नहीं माने और उन्होंने कहा कि हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना ही है । एकल बुद्धि वाले ने कहा कि आप लोग अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए लेकिन मैं

तो जा रहा हूं । तीन ज्ञानवानों में से एक ने हड्डी के ढांचे को जोड़ दिया, दूसरे ने अपने ज्ञान से उसमें मांस-मज्जा लगा दिया और तीसरे ने उसमें जान फूंक दी तो शेर खड़ा हो गया। अब शेर खड़ा होकर क्या करेगा यह बताने की जरूरत नहीं है ।

सभापति महोदय, जब बजट की बात होती है तो पूंजीगत् व्यय क्या है, राजस्व व्यय क्या है ये सब बड़े-बड़े आंकड़ों की बात होती है । लेकिन मैं यह बोलना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुखिया हैं, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपनी एकल बुद्धि का प्रयोग करके किसानों की जेब में सीधे 2500 रूपया डालने का काम किया है । सभापति जी, इन्होंने अपनी एकल बुद्धि का प्रयोग करके 10 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया । अपनी एकल बुद्धि का प्रयोग करके बिजली का बिल आधा किया, पूरे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता इससे बहुत ज्यादा खुश हैं । गौ-धन योजना चालू करके सीधे गौपालकों की आय को मजबूत करने का काम किया है । सीधे, डायरेक्टट । सभापति महोदय, जब सरकार की बात होती है तो सरकार की नीयत की बात होती है । उसमें सरकार का विज़न दिखता है और जिस पार्टी की सरकार होती है, उसकी आइडियोलॉजी दिखती है । हमारी सरकार की यह आइडियोलॉजी है जो समावेशी विचारधारा के जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस की सरकार है वह समावेशी विकास चाहती है, जिसमें सबका विकास हो और डायरेक्ट विकास हो । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कई भाषणों में बोला है कि हमने जब नीचे पैसा डाला, जब हमने बॉटम में पैसा डाला, जब हमने आधार में पैसा डाला तो वही पैसा बाजार में भी आया और बाजार का व्यापारी भी खुश हुआ । वह व्यापारी सोने का व्यापारी हो, वह ट्रान्सपोर्टर हो या ऑटोमोबाइल व्यापारी हो । इस तरह से हमनेप्रावधान किया छत्तीसगढ़ में कि आज किसान से लेकर, खेतीहर मजदूर से लेकर, व्यापारी से लेकर सारे वर्ग खुश हैं । सभापति महोदय, ये जो सत्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि वाले लोग बड़े-बड़े ज्ञानवान लोग, जो बात करते हैं कि कैसे वित्तीय प्रबंधन करेंगे । इतना कर्जा कैसे माफी कर देंगे, आप किसी के खाते में 2500 रूपए कैसे डाल देंगे । सभापति महोदय, केन्द्र की जो सरकार है, जिसके विषय में पूर्व के वक्ताओं ने और मोहन मरकाम जी ने भी बोला, उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया। जब हम 2500 रूपए के अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् अपने किसान को, अपने अन्नदाता को दे रहे हैं तो यहां पर आपने एम.एस.पी. के ऊपर, बोनस के ऊपर रोक लगा दी । इसके बारे में पूरे बजट सत्र के दौरान विपक्ष के सहस्त्रबुद्धि ज्ञानवान साथियों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला । माननीय सभापति महोदय, 6 वर्षों में बोले थे कि किसानों की जो आय है, हम दोगुनी कर देंगे। आप किसानों की आय को दोगुनी कैसे कर देंगे? आप कैसे कर देंगे? आप तो 3 काले कानून लेकर आ गये। आज पूरे देश का अन्नदाता आज दिल्ली की सरहदों में बैठा हुआ है। 100 दिन से ऊपर हो गये हैं, लेकिन उन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने की बात केन्द्र की सरकार नहीं कर रही है। मैंने आपको अपने वक्तव्य में बोला कि सरकार की नीयत पार्टी की नीयत होती है। जब आपकी नीयत

आपकी आइडियोलॉजी हम दो और हमारे दो के लिए नहीं रहेगी और पूरे समावेशी विकास के लिए नहीं रहेगी, हमारे किसान के लिए नहीं रहेगी, हमारे मजदूर के लिए नहीं रहेगी, हमारे युवाओं के लिए नहीं रहेगी तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है? मैं यह बात बोलना चाहता हूं। बहुत सारे इस बार हमारे जो पूरे बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, मैं बहुत जल्दी-जल्दी अपनी बातों को खत्म करूंगा। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आप कम से 2-3 मिनट मुझे सुन लें। माननीय सभापति महोदय, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जो 119 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का जो प्रावधान किया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जो गरीब, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो कभी सपना देखते थे। आर.के.सी. कॉलेज देखते थे, डी.पी.एस. स्कूल को देखते थे, कभी डी.ए.व्ही. स्कूल को देखते थे। तो इनके लिए सपना था। मैं भी पेशे से चिकित्सक (डॉक्टर) हूं और मैं कोरिया के बहुत छोटे क्षेत्र चिरमिरी विधान सभा से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं भी पढ़ने में ठीक-ठाक था। मैं पढ़ाई-लिखाई में बुरा नहीं था। तभी आगे चलकर मैंने डॉक्टरी के लिए भी पढ़ाई की। मैं आपको अपना उदाहरण देते हुए यह बोलना चाहता हूं कि मेरे मां-बाप की भी इच्छा थी कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ायें, लेकिन उनकी हैसियत नहीं थी कि वे मुझे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा पाते। लेकिन मैं हिन्दी मीडियम में पढ़ा। सौभाग्यशाली था। तैयारी की और डॉक्टर बना, लेकिन डॉक्टरी की सारी की सारी जो पढ़ाई होती है, हम किसी भी उच्च शिक्षा की बात करें, डॉक्टरी की पढ़ाई की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें या आई.ए.एस., आई.पी.एस. की तैयारी की बात करें तो कहीं न कहीं माध्यम जो होता है, वह आड़े आता है। आज जब छत्तीसगढ़ का बच्चा, छत्तीसगढ़ के गरीब घर का बच्चा जब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगा, वह भी नि:शुल्क पढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वह छत्तीसगढ़ का भविष्य बनेगा। माननीय सभापति महोदय, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। यह समावेशी सोच है। यह सोच है। यह नीयत है। मैं आपसे यह बोलना चाहूंगा सी-मार्ट स्टोर की स्थापना का हमारी सरकार ने जो प्रावधान किया है, छत्तीसगढिया की बात तो सभी करते हैं कि छत्तीसगढिया सबले बढिया और जब हम गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी की बात करते हैं तो आप उसे हमारे राजकीय चिन्ह से उसकी तुलना कर देते हो। यह कैसी दोहरी बात है? आज सी-मार्ट योजना के तहत छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ का शिल्प चाहे बस्तर आर्ट की बात हो या सरगुजा आर्ट की बात हो, छत्तीसगढ़ के शिल्प से लेकर, छत्तीसगढ़ की कला से लेकर छत्तीसगढ़ के जो वनोपज है, उनको एक बाजार देने का काम सी-मार्ट का प्रावधान करके किया है तो हमारी सरकार ने किया है। यह बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। हमारे पत्रकार, जिन्हें हमारे देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है कि पत्रकार चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं, इनके लिए आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रूपये का जो प्रावधान हमारी सरकार ने किया है तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्रजातंत्र की खूबसूरती है। जहां आज मीडिया और पत्रकारों की स्थिति देश में क्या है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से सरकार का महिमामंडन किया जाता है और पूरे के पूरे बजट का प्रयोग केवल

एक व्यक्ति का आवरण बनाने में खर्च होता है, वहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की जो राशि हमारे पत्रकारों के लिए घोषणा की है, निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय कार्य है।

सभापति महोदय :- समाप्त करें।

समय :
2.50 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके के चिकित्सा शिक्षा एवं जो मेडिकल फैसिलिटी है, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है । हमारी सरकार ने आई.सी.यू. के बिस्तरों को बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से सारे के सारे काम सराहनीय है । सरकार ने 6 नवीन महाविद्यालयों का निर्माण, दो नवीन आई.टी.आई. की स्थापना, 12 नये रेल्वे ओव्हर ब्रीज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के लिए 504 करोड़ का प्रावधान किया गया है । कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की गई है । मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। ये सभी कार्य सरकार ने किया है, इससे सरकार की दशा एवं दिशा का बोध होता है कि हमारी सरकार कितने समावेशी विकास की सरकार है । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

डॉ. के. के. ध्रुव (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021-22 के विनियोग विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है । सरकार ने किसानों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान एवं अन्य फसलों को शामिल करके रकबों के आधार पर प्रोत्साहन राशि देकर उनकी लागत कम करके कृषि क्षेत्र में निवेश एवं फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है । इस वर्ष 20 लाख 53 हजार किसानों से 90 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो अब तक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है । राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु वर्ष 2021-22 में 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस साल फसल बीमा योजना में 606 करोड़ का प्रावधान किया गया है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकम्बरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो हर वर्ग के किसानों के लिए रोजगार के लिए अच्छी योजना है । पशु पालकों के लिए गोठानों को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है । गोठान में समितियों द्वारा पशुपालकों से दो रूपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी हेतु 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और स्व सहायता समूह द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं, जो उनके लिए रोजगार व उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु मोर जमीन, मोर मकान, मोर चिह्नारी योजना में किए गए कार्यों को भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2021 में पुरस्कृत किया गया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है । यह कांग्रेस की सरकार के हित में है । सबके लिए आवास योजना के तहत 2021-22 में 457 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इसी तरह महिला एवं बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें महिलाओं में एनीमिया एवं रक्त अल्पता की कमी एवं जिन बच्चों को कुपोषण था, उसमें कमी आई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का प्रावधान किया गया है । इस वर्ष 52 स्कूलों का संचालन शुरू हो चुका है एवं अगले बजट में 119 नये अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों का प्रावधान किया गया है । हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ नहीं पाते थे, उसकी पढ़ाई और उनके रोजगार के लिए सरकार ने अच्छा काम किया है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ धन के लिये हम लैब के नाम से एक योजना लागू की गयी है। इसमें रायपुर के जिला अस्पताल पंडरी में अत्याधुनिक ख्याति प्राप्त सी.डी.सी. शाखा की तहत से हमर आधुनिक लैब की स्थापना की गयी है। इसमें 90 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध की गयी है, भविष्य में 120 प्रकार की जांच सुविधा हो जायेगी। यह नई योजना है। पूर्व की सरकार में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा थी वह तो मिल रही थी लेकिन अत्याधुनिक मशीनों से जांच होगी, यह हमारी नई योजना है। यह सब के लिये एक अच्छा जांच का अवसर रहेगा और यहां इस लैब में सभी प्रकार की खून की जांच, बायोकेमेस्ट्री, ट्यूमर सभी प्रकार की जांच होती है एवं अन्य शासकीय संस्थानों से आये हुए सैंपलों का भी रिपोर्ट देकर उनकी संस्था को भेजने की भी सुविधा है ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉ. ध्रुव आप अच्छा बोलते हैं, अगली बार से और अच्छा बोलने की कोशिश करिये। पढ़ लिखकर आईये।

डॉ. के.के.ध्रुव :- जी। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा दो मिनट। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तत्काल खत्म करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- अध्यक्ष महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक (क्रमांक 2 सन् 2021) में अपनी बात रखने के लिये खड़ी हुई हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी कहते थे कि वे ऐसा भारत का निर्माण चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब लोग भी महसूस करें कि यह देश उनका है। आज हमने महसूस किया, आज छत्तीसगढ़ राज्य के किसान भाई और हमारे गरीब मजदूर लोग हैं, वे महसूस कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, हम छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। हमारी जो सरकार है, वह वादा निभाने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाली सरकार है। हमारे विपक्ष के साथी लोग घोषणा पत्र की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगी, विपक्ष के साथी लोग हमेशा घोषणा पत्र को पढ़कर आते हैं और दिखाते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार की घोषणा पत्र में चर्चा थी, जो प्रमुख मांग थी, वह कर्ज माफी की मांग थी। सबसे पहले कर्ज माफी की चर्चा थी, मैं उसमें कहना चाहती हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, दो घंटे के अंदर कर्ज माफ हुआ है। यह हमारे लिये बहुत गर्व की बात है। क्योंकि जो किसान भाई आत्महत्या कर रहे थे, उसमें कमी आई है। साथी ही 2500 रूपये समर्थन मूल्य के बारे में कहना चाहूंगी। जैसे ही हमारी सरकार बनी, 2500 रूपये समर्थन मूल्य देना शुरू किया है। यह भी हमारे लिये गर्व की बात है। बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी। ऐसी बहुत सी बातें जो हमने घोषणा पत्र में चर्चा की थी, वह सब पूरा हुआ है। यह हमारे लिये बहुत ही गर्व की बात है। किसानों की जो गोधन न्याय योजना है, उसके बारे में बात रखना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी-जल्दी खत्म करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, इस बार जो धान खरीदी हुई है, वह सबसे सर्वाधिक हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक धान खरीदी हुई है। हमारे लिये बहुत गर्व की बात है। 20 जुलाई, 2020 हरेली के दिन गोधन न्याय योजना की शुरूआत हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य में पता लगायें तो कहीं भी गोबर की खरीदी नहीं की जाती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर गोबर की खरीदी की जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके बाद अनिता योगेन्द्र शर्मा जी बोलेंगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण अभी शुरू ही हुआ है। मैं सिर्फ दो बातें केन्द्र की रखना चाहती हूं। हमारे विपक्ष के साथी इतना आवाज देकर चिल्लाते रहते हैं। मैं केन्द्र के बारे में कहना चाहती हूं। जब हमारी सरकार कोरोनाकाल से जूझ रही थी, पूरा विश्व कोरोना काल से जूझ रहा था, ऐसा उनको क्या सूझा की अध्यादेश ले आये, मैं यह बात भी रखना चाह रही थी। केन्द्र के मोदी जी कहते थे कि कालाधन लाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना ध्यान विपक्ष से हटाकर पक्ष की ओर लाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, जब वह बोलते हैं तो हमको भी बुरा लगता है। साथ ही मैं छत्तीसगढ़ के मुखिया के बारे में बात करना चाहूंगी, इसमें सबसे मुख्य बात सड़क की है। मैं सड़क योजना में कहना चाह रही थी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सड़कों की स्थिति जर्जर थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकड़ों के लिए काम किया है, मैं, उनको उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए जो समया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहती हूं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़वासियों के लिए कोई सोच, पुरखों की सोच और उनकी जो परिकल्पना की थी, अगर उनकी शुरूआत की है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" का एक उदाहरण पेश करके किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वर्ष 2021-22 के बजट में किसानों के लिए 5,703 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। हमारी सरकार के द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। आज किसान अति उत्साहित हैं। इस वर्ष 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऋण के लिए 5,900 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हमारे विपक्ष के साथी बार-बार किसान के हित की बात करते हैं। किसान 15 साल तक भटकते रहे, किसानों को कभी न्याय नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार अनेक योजनाएं बनाकर किसानों के हित में कार्य कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की सिंचाई के लिए 203 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों की खेती अच्छी हो, किसान समृद्ध हो, हमारी सरकार लगातार यह प्रसासकर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गौठान योजना के बारे में हमारे विपक्ष के भाई लोग काफी व्यंगात्मक ढंग से बोलते हैं कि आपके "नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी" का क्या होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी वर्ष 2021-22 के बजट में इसके लिए 175 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पशुपालकों के द्वारा 80 करोड़ का आय गोबर बेचकर प्राप्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का कम मौका मिलता है। मैं बताना चाहूंगी कि विपक्ष के साथी गोबर को लेकर कितनी सारी बातें करते हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहूंगी मेरे क्षेत्र के ग्राम-रायता के किसान यादव जो कि गरवा का चरवाहा है उसने टाटा एश और एक चरवाहा के द्वारा मोटरसाईकिल खरीदा गया। पथरी के कुछ किसानों को अभी हम लोगों ने 2 लाख रूपये का चेक दिया। एक किसान को 1 लाख रूपये का चेक दिया। गोबर की खरीदी से इस प्रकार की राशि दी जा रही है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी समस्या आ पड़ी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. जिस तरीके से बना है उससे वहां ग्रामीणों को खासकर स्कूली बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि मुरेठी ऐसा ग्राम पंचायत है जहां सिर्फ 8वीं तक ही स्कूल है और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए सिलतरा आना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का समाधन आपके माध्यम से हो यह मैं आपसे निवेदन करूंगी। अध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विनियोग के समर्थन में खड़े हौं। आज हमर छत्तीसगढ़ के सरकार महात्मा गांधी जी के विचार, गौतम बुद्ध जी के विचार, कबीर साहेब जी के विचार, रविदास जी के विचार अऊ छत्तीसगढ़ के पावन धरती में जनम करके रोटी, कपड़ा अऊ मकान ये तीनों हे सतलोक समान कहवईया गुरूघासीदास के विचार में इहां काम करत हे। आज विपक्ष के मन नई हे, सुनतिन लेकिन कहीं न कहीं आज ये बात ओमन तक पहुंचही कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होत रहिस तब हम जब आम आदमी के बीच में जाकर ओखर भावना ल देखत अऊ सुनत रहेन हम भी अपन क्षेत्र में जात रहेन त कहत रहिस कि ये 15 साल के सरकार ये धोखाबाज सरकार हे। ये दारी हमन इहां सरकार बनाबो जेह महात्मा गांधी जी के विचार में, जतका महापुरूष मन के विचार में चलिही अऊ छत्तीगढ़ ल आगे बढ़ाहीं ये सोचकर के सरकार में बैठाईन हे। आज मैं कहना चाहत हौं गरीब किसान, बड़े बड़े नेतामन 15 साल तक भाषण दीन कि हमर सरकार अंतिम छोर के सरकार हे। अंतिम छोर से महू चुनकर आये हों। हम गांव में जाकर पूछन, सुनन अंतिम छोर तक का योजन चलत हे, का ओखर परिणाम हे त कुछ नहीं। बस ऐमन घोषणा करय, बड़े-बड़े गाड़ी में ओती फर-फर-फर-फर, ओती फर-फर-फर-फर, धुर्रा माटी उधिरात येमन किंदरय, गरीब आदमी मन अपन आंखी ल मूंद दे रहिस लेकिन जैसे ही हमर सरकार बनिस सरकार बनते साथ आज गोबर -गोबर कथे। आज वो गरीब आदमी ल पूछकर देखव जेह आज गोबर ल बेचकर के ओखर लईका बर कपड़ा खरीदत हे। ओ गरीब आदमी ल पूछकर देखव जेह गोबर ल बेचके सईकिल लेवथे, मोटरसईकिल लेवथे। टीवी देखे बर नई पाय आज बड़का-बड़का रंगीन टीवी गोबर बेचके लेवथे, त ऐमन के पेट में दर्द होवथे। अध्यक्ष महोदय, आपे के तीर के हों, आपे के आशिर्वाद से बने हों मैं औ सौभाग्यशाली हों, सदन में भी कहना चाहत हौं कि माननीय अध्यक्ष के तीर में हों। कहे गेहे छोटे के संग में त कटाए दोनों कान अऊ बड़े के संग बन गे तो खाये बीड़ा पान। मैं आज माननीय अध्यक्ष जी के संग में रेंगकर आज पूरा प्रदेश के आम जनता कहत हे कि धन्य हे अईसने सरकार आज मोर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी हवय, मोर बात ला सुनही। आज मैं कहना चाहत हौं कि छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता मन के सपना रहिस। हमन फिलीम में अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी, श्रीदेवी ला देखन त हमरो छत्तीसगढ़ के मन कहय कि हमरो इहां फिल्म बनतिस त हमूं मन देखथेन, हमूं मन आतेन, हमूं मन हीरो बनतेन लेकिन ये 15 साल के मन कौन ल लानिस। त सलमान खान ला चिरहा पेंट में पहिन के लान दिस। और सलमान खान आईस चिरहा पेंट ल पहिन के और दो करोड़ रूपये ले गीस। ओखर बार करीना कपूर आ गे, एक घई अईसे कन्हीया ल मटकाईस उहू दो करोड़ रूपया धरके भाग गे। ओमन बर पईसा रहिस लेकिन मैं धन्यवाद दिहां आपला कि आपके अध्यक्षता में आज धन्य हे मोर मंत्री जी धन्य हे कि आज इहां फिल्म निगम बनाये हे, आज छत्तीसगढ़ के बस्तर के गरीब आदिवासी क्यों न हो? मोर सरगुजा के आदिवासी भाई क्यों न हो? चाहे रायगढ़ या राजनांदगांव के आदिवासी भाई क्यों न हो? आज उहू मन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़िया मन कहात हे कि हमु मन फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी बन पाबो, अइसे कहात हे। यह हरे हमर सरकार, एमन अतका दिन ला कहा गे रिहिन हे। मैं सुनत रहिथौ एमन के गोठ ला सुनकर मौका में हंसथौ, अतक लबारी नइ सकाय भई। लबारी के ऊपर लबारी। आज एमन गुलछर्रा उड़ावत हे, हमी मन के सरकार के पईसा से। जे रोड कभू नई बने रिहिस हे।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनने जा रही है और उसमें एक रोल माननीय रामकुमार जी को भी मिलेगा। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद्, माननीय रामकुमार जी को भी धन्यवाद्।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपन बात ला समाप्त करत हौं। कबीर साहब हा कहे रिहिस हे,

"जल में रहकर मीन प्यासी
मय सुन सुनावय हांसी"

माननीय अध्यक्ष महोदय, ए कबीर साहब के दोहा हे, ओ कहा कहिसे, एकर भावना का हे, पूरा मानव समाज ला संदेश देके काम करे रिहिस हे, आज छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहिथे, छत्तीसगढ़ में कोयला के भण्डार हे, छत्तीसगढ़ में आज चंदन जइसे पेड़, आपके दुनिया भर के पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत हे, इहां पानी हावय, लेकिन आज हमन वो पानी के हकदार नइ रेहेन। उही ला कबीर साहब हा किहिस हे कि कोई मछली हा पानी के भितरी में रही, अब मय प्यासा हो कही तो संसार हांसही। आज हममन छत्तीसगढ़ के आदमी हन। मोर तिर में महानदी कींजरे हे, उइ बर गे हावए, उड़ीसा मा गे रिहिस हे पूरा आवए तो छत्तीसगढ़ के आदमी बोहा के मर जावए, पूरा आवए तो घर हा फूटए तो हममन धंसक के कर जावन, लेकिन पानी कोन ला मिलए ? ओ बड़े-बड़े कंपनी वाला, हवाई जहाज में आतिस, कंपनी ला खोलकर तहान उहां पइसा ला कमा कर भागए। लेकिन मय धन्यवाद् देहौं माननीय रविन्द्र चौबे जी ला कि आज ओ पानी ला कबीर साहब जो कहे रिहिस हे वही ला ओला मानते हुए आज वह पानी ला छत्तीसगढ़ के किसान ला देत हे। अइसे सरकार ला तो मय कहना चाहत हौं कि जुग-जुग ला जियत राहव। बोले के मौका आए हे तो आप दया कर लेव तो आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्। पुन: एक बार मोर क्षेत्र के एक ठन मांग हे कि ओला बोलत हुए में अपन बात ला पूरा करिहौं। मोर क्षेत्र हर अनुभाग राजस्व सख्ती पड़थे, हममन ए छोर ला ओ छोर जाथन ता हम मन ला 40 किलोमीटर पड़थे तो मोला एक ठन अनुभाग दे दिया जाए, अउ मोर क्षेत्र में एक ठन गांव महुंआपाली हावए। आजादी के आज 70 साल होगिस लेकिन उहां रोड नइ गे हे ता मय ओखरो आपसे गोहार करत हौं कि ओ गांव ला रोड मिल जाए, काबर आने आदमी मन रोड ऊपर रोड बनाथे लेकिन आज तक उहां रोड के चिन्हा नइ परे हे। अइसे बहुत सारा मांग हे, गोठियाय के समय नइ हे, मैं आप ला लिखकर दे दिहौं, अइसी आशा अउ विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ में हमार मुख्यमंत्री जी जो विनियोग विधेयक पेश करे हे,

ओ ला सब पास करए। नइ तो छत्तीसगढ़ के जनता मन अपला देखत हे। आप मन इहां खाथौ नास्ता करथो अउ भाग जथो, ए सीट हा खाली हे, तेला सब देखत हे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मोला बोले के अवसर देव, ओखर बर आपला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद्।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक वर्ष 2021 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ जिन्होंने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाए। ये मूल मंत्र पर चलकर, सरकार के बजट को बनाया है और उसको सदन में प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय छाबड़ा जी, साढ़े 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा। 7 मिनट बचे हैं। आप साढ़े 3 मिनट ले लीजिए और साढ़े 3 मिनट पाण्डे जी लेंगे।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बोलने का कम अवसर मिलता है। आपका सानिध्य मिल जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए। आपको साढ़े मिनट है और उनके पास भी साढ़े तीन मिनट का समय है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ जो न कि जिस बात को उन्होंने कहा था, हमारी सरकार जिस बात को बोलती है उसको करती है, यह उन्होंने कर, कर भी दिखाया है। हमारी सरकार गांधी जी के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस बजट के माध्यम से सिद्ध किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपनों के भारत में उन्होंने यह बात कही थी कि अगर हमको भारत देश को समृद्ध बनाना है भारत देश को मजबूत बनाना है तो हमको सबसे पहले हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा और जब भी हम कोई योजना बनाएं तो उस योजना का लाभ एक अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचे। एक अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए योजना बनाये । उस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया है और उन्होंने सरकार की योजनायें लागू की हैं। कोरोनाकाल में भयानक परिस्थितियां थीं। अभी भी कोरोना कम नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, उनकी नीतियों के कारण हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे प्रदेश के जो व्यापार हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वह इस कोरोना काल के बावजूद अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अगर हम तुलना करें तो हमारे इस छत्तीसगढ़ का व्यापार अन्य प्रदेशों की अपेक्षा काफी अच्छा है। जिसका मुख्य कारण हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री

जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए न्याय की बात करते हैं बल्कि बात हीं नहीं करते उनके साथ न्याय भी करते हैं।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी न्याय योजना। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारे किसान हैं। जब किसान मजबूत, समृद्ध होंगे, हम किसानों को सुविधायें देंगे, हम किसानों को बिजली, पानी देंगे, किसानों के हित में योजना बनायेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो पायेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों के धान को 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करेंगे। यह माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि सरकार बनने के तुरंत बाद बहुत बडी चुनौतियां थीं, उसके बावजूद उन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, किसानों के साथ जो वादे किये थे, उस वादे को पूरा करने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस साल लगभग 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी व्यवस्थित तरीके से हुई है। कुछ बारदानों का अभाव था। आज विपक्ष के साथी नहीं हैं। लगातार बारदानों की बात हुई। पूरे प्रदेश के किसान जानते हैं कि बारदाने क्यों उपलब्ध नहीं हो पाये? इस कोरोना काल की परिस्थिति में भी रिकॉर्ड धान की खरीदी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। व्यवस्थित तरीके से किसानों के धान की खरीदी हुई। अगर मैं अपने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में 18 सेवा सहकारी समिति की नई सोसायटी और 02 धान खरीदी केन्द्र की स्वीकृति हुई है। किसानों को उससे लाभ मिला है। किसानों को पहले धान बेचने के लिए 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आसपास ही माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना से हम लोगों ने जो नई सोसायटियां बनाई हैं, किसानों को गांव के नजदीक में ही धान बेचने के लिए सहूलियत भी हुई और उन्होंने अपने धान को अच्छे तरीके से बेचा भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोधन न्याय योजना। मेरे साथियों ने गोधन न्याय योजना के बारे में बताया। मैं गोधन न्याय योजना की छोटी सी बात करना चाहूंगा। मैं परसों की बात करना चाहूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। झेरिया यादव समाज के सम्मेलन में माननीय कृषि मंत्री जी के साथ हम सब गये थे। यादव समाज के लोग काफी प्रसन्न हैं। उन्होंने दिल से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहा है। उनको यह अहसास हो रहा है कि जो हमारा परंपरागत व्यवसाय रहा है, अगर उसकी किसी ने चिंता की है, अगर किसी ने गौमाता की असली चिंता की है, किसी ने सोचा है तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी सोचा है। उन्होंने उस सम्मेलन के माध्यम से इस सरकार की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आज मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कवर्धा का एक उदाहरण था। एक माँ ने पत्रकारों को बताया कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से 18 हजार रुपये का गोबर बेचकर अपनी बेटी की शादी करने जा रही है। चूंकि उसकी बेटी की शादी कोरोना के नाम से नहीं हो पाई थी, लेकिन चूंकि गोधन न्याय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरूआत की, 18 हजार रुपये का गोबर बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पाण्डे जी, आप भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मेरे क्षेत्र की एक-दो मांगें हैं । चूंकि सदन में सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है, छोटा और नया जिला है । वहां विकास की अपार संभावनाएं हैं, हम लोग स्वास्थ्य के मामले में, मेडिकल के मामले में काफी पीछे हैं चूंकि पिछले 15 साल जो सरकार में रहे हैं उन्होंने कभी उसको प्राथमिकता नहीं दी, उस बारे में सोचा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी बार-बार विपक्ष की तरह जा रहे हैं, अपने पक्ष में बात करिए ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बेमेतरा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपके माध्यम से हो जाये, यह बेमेतरा जिलावासियों को आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात होगी । दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि मेरे बेमेतरा जिला मुख्यालय में आपने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की जो शुरूआत की है, एक गरीब का बच्चा चूंकि आज के समय में किसी परिवार के लिये यदि कोई सबसे बड़ी चुनौती होती है तो यह चुनौती होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दूं, कैसे मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े ? आपने जो मुफ्त में शिक्षा की नई योजना की शुरूआत की है उसके लिये मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि मेरे भिंभौरी ग्राम में स्वामी आत्मानंद जी के नाम से एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल स्वीकृत हो जाये, गांव वाले आये थे, उनकी मांग है क्योंकि भिंभौरी आपका अपना सब परिवार वहां है, परिवार वाले चाह रहे हैं कि कम से कम वहां एक स्कूल खुल जाये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी, तीसरा । हमारे यहां बेमेतरा में शासकीय कॉलेज है लेकिन देवरबिजा वालों की काफी लंबे अर्से से मांग है देवरबिजा पुराना माननीय कृषि मंत्री जी का भी क्षेत्र रहा है, माननीय लोकनिर्माण मंत्री जी का भी क्षेत्र रहा है, आप दोनों भी यहां उपस्थित हैं, जब आप दोनों भी देवरबिजा एक कार्यक्रम में गये थे तो उन्होंने निवेदन किया था कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे । कम से कम देवरबिजा में एक महाविद्यालय खुल सके । तीसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं । मैं

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर्यटन मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि दामाखेड़ा जो हम सबके आस्था का केंद्र रहा है, मैं जिस जगह से आता हूं दामाखेडा, हमारे कबीरपंथ के मानने वाले काफी लोग दामाखेड़ा से जुडे हुए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत पुरानी जो मांग थी कबीर सागर तालाब को पर्यटन के रूप में विकसित करने की उसके लिये आपने इस बजट में प्रावधान किया है उसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं निवेदन करूंगा कि यदि जल्दी से जल्दी उसकी प्रशासकीय स्वीकृति शुरू हो जाये ताकि हम सबको उसका लाभ भी मिल सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे । आप कविता छोड़कर सीधे बिलासपुर में पहुंचिए । (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं आज मौका खो चुका था, आपने मुझे फिर भी बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका अत्यंत आभारी हूं । मैं चार लाईनों से अपनी बात शुरू करूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं । (हंसी)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- लेकिन वह शायरी अध्यक्ष जी के ऊपर हो ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- वह पढ़ा हुआ न माना जाये।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- वह शायरी नियम और परंपराओं से चलता हुआ दिखना चाहिए । (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- होली के समय नियम और परंपरा का वह नहीं होता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरा खड़ा बजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती, न कोहू से बैर । (मेजों की थपथपाहट)

यह आपके लिये था । चूंकि मांग की गयी इसलिये मैंने यह माननीय अध्यक्ष जी के लिये पढ़ा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग की गई । वैसे मेरी लाईन दूसरी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या है तो उसमें केंद्र में कौन है, केंद्र का बिंदु कौन है जिसके लिये हम सब काम करते हैं, वह केंद्र का जो व्यक्ति है, वह हमारे छत्तीसगढ़ का किसान है । उसके लिये मैं अपनी चार लाईनें समर्पित करता हूं :-

धरा का चीरकर सीना, नये अंकुर उगाता है,
धरा का चीरकर सीना, नये अंकुर उगाता है,
उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है,
सदा जिसने मिटायी भूख, जन-जन की, जहां भर की,
वही हलधर अभाव में, गले फांसी लगाता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी माननीय मंत्रिगण, हमारे कृषि मंत्री जी जिन्होंने और हमारी सरकार ने इस बात को समझा कि 15 सालों में लगभग 14 हजार से

ज्यादा किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली उनको अपने गले लगाया, उनको आधारित करके अपनी योजनाएं बनायीं, उनको आधारित करके पूरा काम किया । अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो जब हमारे मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 13 परसेंट ही पूंजीगत् व्यय है, बाकी व्यय नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इनकी प्राथमिकता अधोसंरचना ही थी । विपक्ष नहीं है लेकिन फिर भी इस बात को रखूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में सिवाय बाथरूम के क्या बनाया । शौचालय बनाने के अलावा भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश में ऐसा कौन सा केपिटल एक्सपेंडीचर कर दिया, यह ज़रा बता दें । वह भी न जाने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 97 हजार करोड़ रूपए का जो बजट पेश किया है उसमें कोराना की महामारी के समय टैक्स नहीं आया, सरकार कैसे चलाते, ऊपर से 18 हजार करोड़ रूपए भी नहीं मिले । उसके बावजूद भी उन्होंने सभी विभागों को पर्याप्त बजट दिया, बहुत अच्छा बजट दिया । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूं । जबकि केन्द्र सरकार ने सभी विभागों के बजट में 23 परसेंट की कटौती की लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के विकास में कोई समझौता नहीं किया, यह बहुत अच्छी बात है । अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास की बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि छत्तीसगढ़ के केन्द्र बिंदु में किसान है तो वह किसान कहां रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है । हमारे प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत जनता आज की तारीख में भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । इसलिए ग्रामीण विकास बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है । जिसमें सबसे पहली बात है हमारा मनरेगा का काम । मनरेगा में 38 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और लगभग 25 लाख परिवारों को हम उनकी आजीविका चलाने के लिए इससे रोजगार देते हैं, यह सबसे बड़ा आधार है कि छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण व्यवस्था है, उसकी आजीविका कैसे चले, उसके लिए हमारी सरकार सबसे बड़ा काम मनरेगा में करती है । दूसरा, सबसे बड़ा काम ग्रामीण आजीविका मिशन का है । इसके अंतर्गत 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़ा गया है, जो अपने स्वरोजगार के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से अपनी जीविका पालन कर रही हैं और प्रदेश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नरवा, गरवा योजना, गोधन न्याय योजना । आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोबर की कीमत को इतना बढ़ा दिया है, उसका मूल्य इतना बढ़ा दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पीछे घड़ी है, मैं नहीं देख पा रहा हूं, मेरे पीछे घड़ी है।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- 3.30 से शुभ काल शुरू होने वाला है, उसमें मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू होगा । आप शीघ्र खत्म कीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि उच्च शिक्षा में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, मैं उनके समक्ष इस विषय पर बात करना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में लगभग 253 महाविद्यालय हैं, लेकिन हमारे प्रदेश का ग्रॉस इन्रोलमेंट रेश्यो अभी भी 18 परसेंट है । अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर अभी 26 परसेंट है । हमको और महाविद्यालय बढ़ाने की जरूरत है। एक समय था जब हमारे प्रदेश में लगभग 100 कॉलेज हुआ करते थे । आज 253 शासकीय कॉलेज हैं, लगभग 245 निजी कॉलेज हैं । आज हमें ग्रॉस इन्रोलमेंट बढ़ाने की जरूरत है । माननीय मंत्री जी ने 4 हजार सीटों की बढ़ोतरी की है । इन 4 हजार सीटों से हमारा प्रदेश में उच्च शिक्षा में जी.ई.आर. बढ़ेगा । हमारे प्रदेश का युवा पढ़ेगा, लिखेगा तो वह आगे बढ़ेगा । इसलिए और तेज गति से महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता है । इसमें हमारी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए । धन्यवाद् देने में भी 2-3 सेकेंड लग जाएंगे ।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, जो गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए नेक संस्था का एक्रेडिटेशन लगता है । उसके लिए प्राथमिक स्तर पर हमारी सरकार गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए । उसके लिए काम कर रही है । रूसा के अंतर्गत अधोसंरचना विकास के लिए, गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए शोध, नवाचार के लिए, नये कॉलेजेस के लिए फंड आता है, यह अच्छी बात है । इससे हमारे प्रदेश की उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ेगा । आपने बोलने का अवसर दिया और अभी 10 सेकेंड बचे है अध्यक्ष महोदय । मैं आपको धन्यवाद् देता हूं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यगण माननीय श्री प्रमोद शर्मा जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, माननीया श्रीमती इंदू बंजारे जी, माननीय श्री प्रकाश शक्राजीत नायक जी, माननीया डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, डॉ. विनय जायसवाल जी, डॉ. के.के. ध्रुव जी, माननीया श्रीमती संगीता सिन्हा जी, माननीया श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा जी, माननीय श्री रामकुमार यादव जी, माननीय श्री आशीष कुमार छाबड़ा जी, माननीय श्री शैलेश पाण्डे जी आप सब ने विनियोग पर बहुत ही बहुमूल्य अपने विचार रखे, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सुखद संयोग है कि हमारी संस्कृति और परंपराओं में 21 के अंक को शुभ माना जाता है। वर्ष 2021 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य के नवनिर्माण के तीसरे दशक की शुरूआत हुई है और इस साल हमारी सरकार का तीसरा बजट आया है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने संकटकाल में जीने का एक नया नजरिया दिया है, जिसमें मानवता ग्लोबल हो, लेकिन अपने परिवेश और अपने संसाधनों के विकास का नजरिया लोकल हो। ग्लोबल इंसानियत और लोकल जरूरत के बीच जितना अच्छा संतुलन होगा, न्यायसंगत विकास के हमारे प्रयास उतने ही सटीक होंगे। अध्यक्ष महोदय, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की हमारी सोच और उसे अमल में लाने की हमारी

रणनीति में ऐसी ही समानता दिखती है। पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद की दुनिया जिस रास्ते पर चलेगी, वह राह तो 17 दिसंबर, 2018 से अपनायी हुई है और हमारी यही तैयारी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत बन गई। वर्ष 2021-22 का बजट हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने वाली दीर्घकालिक नीति की आरंभिक कड़ी है। यह अपनी ताकत पर प्रदेश की बुलंद इमारत खड़ी करने की नींव है। इतिहास गवाह है, जब-जब देश के आंतरिक शक्ति का संधान होता है, तब-तब प्रतिक्रियावादी ताकतें सिर उठाती हैं। वे समाज और संस्थाओं को अपना निशाना बनाती हैं। नुकसान पहुंचाती हैं, पर जीत नहीं पातीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस पवित्र सदन में बीते दिनों वह हुआ, जो नहीं होना था। लेकिन इससे हमारा हौसला और इरादा और मजबूत हुआ है, क्योंकि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ना सिखाया है। ऐसे मोर्चों पर जीतना भी सिखाया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इस बजट के साथ हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में सेवा, अपने संसाधनों की रक्षा और सदुपयोग का नया अध्याय लिखना है। आज मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हम जिस अपनी नीति, योजनाओं, कार्यक्रमों के जिस धरातल पर खड़े हैं, वहां से रास्ता सिर्फ आगे की ओर ऊंचाई की ओर जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट पोस्ट कोविड दुनिया में हमारे राज्य की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का माध्यम बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मुझे याद है, जब हम लोग विपक्ष में थे तब इधर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ट्रेजरी बेंच में थे, वे हम लोगों को ताना मारते थे। हम तीन बेंच तक के हैं। चौथे बेंच तक है। यहां तक हमारे नेता लोग बैठते थे। वे कहते थे कि यह दो बेंच में सिमट जायेगा। आज इनकी स्थिति दो बेंच की भी नहीं रह गई है। यह गुरूर उनका टूटा नहीं है और जिस प्रकार से इस सत्र में इनका व्यवहार रहा है, वह कभी भी इस पवित्र सदन में ऐसा देखने को नहीं मिला है। अपनी बातों पर अड़े रहना, लगातार आसंदी पर आक्षेप लगाना और परंपरा और नीतियों की बात करके अपने अनुसार उसे मोड़ने की कोशिश करना, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। वे आते, सदन में चर्चा करते। हम हर अनुदान में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपने कोविड चलते जहां अन्य राज्यों में विधान सभा संक्षिप्त की गई, जहां लोकसभा में भी शीतकालीन सत्र नहीं हुआ, ऐसे में आपने साहसिक निर्णय लेते हुए आपने यहां व्यवस्था दी, उसके कारण न केवल हमने पावस सत्र एवं शीतकालीन सत्र संचालित किया, बल्कि आपकी अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में विशेष सत्र भी हुआ । (मेजों की थपथपाहट) इस बजट सत्र में भी हम लोगों की पूरी तैयारी थीं, लेकिन जो बातें हुई हैं, जो घटनाक्रम घटी है, उसमें प्रश्नकाल में विपक्ष के सदस्य आएंगे, शून्यकाल में रहेंगे, उसके बाद पलायन कर जाएंगे । यह बजट सत्र है, बजट सत्र में सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाता । इसमें सदस्यों को अपनी बात बोलने के लिए पूरे अवसर रहते हैं । यदि आज सत्र छोटा हुआ है तो यह विपक्ष की हठधर्मिता के कारण छोटा हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) और दूसरा कोई कारण नहीं है, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है । इस चर्चा से भाग रहे हैं, इनके पास कोई विषय भी नहीं है, कोई बात कह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि 15 सालों तक पूरे प्रदेश को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पीछे धकेलने में, प्रदेश को गरीबी की ओर धकेलने में, गरीब को और गरीब करने में, आदिवासियों की जमीन छीनने में, उनको उजाड़ने में, बस्तर में 600 गांव उजड़ गए हैं, वे आजतक वापस नहीं आ रहे हैं । हम कोशिश कर रहे हैं कि वे वापस आएं और हम उसके लिए लगातार वातावरण बना रहे हैं, ताकि वे अपने मूल स्थान पर वापस आएं, लेकिन इन लोगों की नीतियों के कारण यहां आदिवासी पलायन करने को बाध्य हुए, गरीब पलायन करने के लिए बाध्य हुए। इसी कारण हमारे तीन वर्षों के बजट में आपने देखा होगा कि हमने किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं के लिए और तो और हम सबके लिए न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं । जैसे हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया, उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना लाई और अब तो जो कृषक श्रमिकों के लिए भी हम इस बजट के माध्यम से न्याय योजना ला रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) हमने यह व्यवस्था की है, ताकि उन गरीबों को भी न्याय मिले । हमारे पुरूखों ने छत्तीसगढ़ का जो सपना देखा था, वह सपना हम साकार करें । वह सपने यहां के गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, किसान के लिए, यहां के मजदूर के लिए, यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए, उनके उत्थान, उनके विकास, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रोजगार की चिंता रही है, हमारी यह सोच रही है । उसको हम आगे बढ़ाएं, उसी दिशा में यह सरकार काम कर रही है । हमारे पुरखे जहां भी होंगे, वे हमारी सरकार को आशीर्वाद दे रहे होंगे । छत्तीसगढ़ बनने के 18 साल बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों के हित और विकास की योजनाएं बन रही हैं । (मेजों की थपथपाहट) लेकिन ये लोग लगातार अडंगा डाल रहे हैं । यहां कुछ बोलते हैं, वहां जाकर और कुछ बोलते हैं, उसके कारण आज भी एफ.सी.आई. में चांवल जमा नहीं हुआ है । मेरे साथ दो मंत्री गए थे, एफ.सी.आई. में पुराने बारदाने में भी चांवल जमा कर देना है, यह सहमति बनी थी, लेकिन आज तारीख तक वहां से आदेश नहीं आया । इससे ज्यादा अडंगा और क्या हो सकता है ? हमारे 18 हजार करोड़ रूपए केन्द्र ने रिलीज़ नहीं किये हैं । एक विकासशील राज्य के लिए 18 हजार करोड़ रूपये बहुत मायने रखता है । हम उससे बहुत सारी योजनाएं संचालित कर सकते थे, उससे पेंशन बढा सकते थे, हम और ज्यादा स्कूल, ज्यादा हॉस्पिटल खोल सकते थे, रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान कर सकते थे, लेकिन इनको केवल राजनीति सूझती है । इनको छत्तीसगढ़ से कोई लेना-देना नहीं है । उनका वरदहस्त छत्तीसगढ़ के शोषकों के साथ रहा है और यही कारण है कि वे सत्ता के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं सोचते । सत्ता कैसे भी हासिल हो, इसके लिए वे लगातार लगे रहते हैं, लेकिन हमारी सोच यह है कि हम छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना चाहते हैं । छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी-बेटियों की उन्नति और विकास करना चाहते हैं । यह हमारी सोच है और यह हमारी परम्परा, हमारे बुजुर्गों की परम्परा है, जो हमको हमारे बुजुर्गों ने बताया है । उसके अनुरूप हम लोग चल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विनियोग विधेयक, 2020-21 के व्यय के बारे में बात रखना चाहता हूं । विनियोग 2020-21 का आकार 1 लाख 5 हजार 213 करोड़, कुल व्यय बजट 2021-22

का, शुद्ध व्यय 97,106 करोड, राजस्व व्यय 83,027 करोड, पूंजीगत व्यय 13,839 करोड़। प्राप्तियां कुल प्राप्तियां 97,145 करोड, राजस्व प्राप्तियां 79,325 करोड, पूंजीगत प्राप्तियां 17,820 करोड़।

वित्तीय संकेतक - राजस्व घाटा 3,702 करोड, वित्तीय घाटा 17,461 करोड, वर्ष 2021-22 के लिये अनुमानित जी.एस.डी.पी. 3 लाख 83 हजार 98 करोड, जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के अनुरूप वित्तीय घाटा 4.56 प्रतिशत, बजट में अनुसूचित जनजाति के लिये 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 13 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र के लिये 38 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 39 प्रतिशत, कृषि बजट का आकार 18,466 करोड़।

राज्य की आर्थिक स्थिति - माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 के प्राविधिक अनुमान अनुसार स्थिर भाव पर राज्य के जी.एस.डी.पी. में 1.77 प्रतिशत की कमी संभावित है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 7.7 प्रतिशत की कमी की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 4.61 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में (-5.28) प्रतिशत कमी और सेवा क्षेत्र में 0.75 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर 3.4 एवं (-9.6) प्रतिशत और (-9.8) प्रतिशत की तुलना में बेहतर है।

पुलिस प्रशासन - बस्तर संभाग के सभी जिलों में 'बस्तर टाइगर्स' के नाम से विशेष पुलिस बल का गठन किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये 2800 नवीन पदों की स्वीकृति हेतु बजट में 92 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बल में अंधरूनी गांव के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी। उनके अंधरूनी क्षेत्र जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को मिले। इस उद्देश्य से विशेष बल का गठन किया जा रहा है।

कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा के लिये महिला होमगार्ड के 2200 पदों की स्वीकृति हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरसिक लैब की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 20 नवीन पद सृजन सहित बजट में 1 करोड़ 33 लाख का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्र में विस्तार को देखते हुए बेहतर नागरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु रायपुर-पश्चिम एवं जांजगीर-चांपा में तथा नक्सल ऑपरेशन को गति प्रदान करने हेतु मानपुर जिला राजनांदगांव, बीजापुर (नक्सल ऑपरेशन) एवं भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में कुल 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नवीन कार्यालय की स्थापना किये जायेंगे।

राजस्व - इस वर्ष के बजट में 11 नवीन तहसील एवं 5 नये अनुविभागों का गठन किया जायेगा। नई तहसीलें सारागांव, नांदघाट, सुहेला, सीपत, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथपुर, सरिया, छाल, अजगरबहार, बरपाली तथा अनुभाग कार्यालयों में लोहांडीगुड़ा, भैयाथान, पाली, मरवाही एवं तोंकापाल में गठन किया जायेगा।

पटवारियों को देय मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रूपये की वृद्धि की जायेगी। इसके लिये बजट में 3 करोड, 48 लाख का प्रावधान किया गया है।

स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित सर्वे किया जाकर धारित भूमि का नक्शा तथा अधिकार अभिलेख रहवासियों को वितरित किया जायेगा। ताकि इससे कोई भी अतिक्रमण की शिकायत या पटवारी किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर पायेगा और इससे नक्शा मिलेगा। पहले हम लोग भुईया कार्यक्रम संचालित किये थे, अब ड्रोन से घरों के नक्शे उनको उपलब्ध कराया जायेगा।

सामान्य प्रशासन - अध्यक्ष महोदय, जैसे केन्द्र सरकार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है, उसी प्रकार से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सिविल पदक एवं राज्य पुलिस सेवा पदक से पुरस्कृत करने की योजना शुरू की जायेगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हेतु 119 स्कूल्स खोले जायेंगे। कांकेर में बी.एड. कालेज की स्थापना की जायेगी। पढ़ना-लिखना अभियान के अन्तर्गत 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान किया गया है। ग्राम-नागपुर जिला कोरिया, ग्राम-सन्ना जिला जशपुर, ग्राम-बांकीमोंगरा जिला-कोरबा, ग्राम-नवागांव नवा रायपुर, रिसाली जिला दुर्ग, सारागांव जिला- जांजगीर चाम्पा, पेण्ड्रावन जिला-दुर्ग में नवीन महाविद्यालय तथा सूरजपुर, बलरामपुर एवं गोबरा नवापारा जिला- रायपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) 15 महाविद्यालय में स्नातक स्तर के तथा 15 महाविद्यालय में पी.जी. स्तर के नवीन पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे। नारायणपुर, कोण्डागांव, महासमुन्द, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में एक-एक बालक एवं कन्या छात्रावास की स्थापना हेतु 2 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया है। निकुम जिला- दुर्ग, भांठागांव जिला-रायपुर, बटकन जिला- बलौदाबाजार, आमदी जिला-धमतरी, चिरकुल जिला- महासमुन्द तथा नरहरपुर जिला-कांकेर में महाविद्यालयों के भवन के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। ग्राम टेकारी विकासखण्ड आरंग तथा ग्राम नेवरा विकासखण्ड तखतपुर में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना की जायेगी। छत्तीसगढ़ में रीजनल साईंस सेन्टर परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना हेतु 1 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत रायपुर जिला अस्पताल में संचालित अत्याधुनिक "हमर लैब" में 90 तरह की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 30 और जांच सम्मिलित की जायेगी। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु 63 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ रूपये का प्रावधान है। ग्राम सन्ना जिला-जशपुर, शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चाम्पा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा भिलाई के रिसाली में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ पेयजल, राज्य के 45 लाख 48 हजार घरों को 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदाय हेतु 102 करोड़ का प्रावधान किया गया

है। मिनीमाता अमृत जलधारा योजना के लिए 11 करोड़ का प्रावधान और गौठानों में जल प्रदाय हेतु नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को पुनजीर्वित करने के लिए 4 विकास बोर्डों का गठन, जिसमें अभी भाई आशीष छाबड़ा ने गौठान, गोधन न्याय योजना के बारे में हमारे यादव भाईयों की खुशी और उत्साह के बारे में सदन में चर्चा किए, उसी तरह से हमारे परम्परागत व्यवसाय से जुड़े हुए लोग उनकी उन्नति और विकास के लिए तेलघानी बोर्ड, चर्मशिल्पकार बोर्ड, लौह शिल्कार बोर्ड एवं रजककार बोर्ड का भी गठन किया जायेगा ताकि हमारा जो ग्रामीण पारंपरिक व्यवसाय है, उसे पुनर्जीवित किया जा सके। नवा रायपुर में स्ववित्तीय माडल एवं सर्वसुविधायुक्त राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जायेगी। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज कोई भी राजनेता हो, अधिकारी हो अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ये एक भी ऐसा स्कूल नहीं खोल पाये, जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसीलिए प्रत्येक ब्लाक में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल रहे हैं, उसी प्रकार से नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल शुरू करेंगे, इसकी स्थापना की जायेगी। स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के संचालन हेतु 371 करोड़ एवं विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए 281 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में केवल धान का उत्पादन नहीं होता। बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे परम्परागत रूप से खेती करने वाले लोग हैं, जो कोदो-कुटकी का भी उत्पादन करते हैं। रागी का उत्पादन करते हैं, टाऊ का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको रेट नहीं मिलता है। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि कोदो-कुटकी एवं रागी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जायेगी, जैसे अन्य लघु वनोपज खरीदी की जाती है, उसी प्रकार से इसकी भी खरीदी की व्यवस्था दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण आवेदक को भी ई-श्रेणी के पंजीयन हेतु पात्रता दी गई है। बलरामपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए एक नवीन प्री-मेट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास तथा पाटन जिला दुर्ग में प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की स्थापना की जायेगी। अंबिकापुर क्षेत्र को शीघ्र ही वायुमार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बिलासपुर में वायु परिवहन शुरू हुआ है। हमारी कोशिश है कि अब अंबिकापुर में भी हवाई जहाज उतरे। उसके साथ ही साथ कोरिया जिले में भी हवाई पट्टी निर्माण करने का काम इस बजट में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग में द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को एकमुश्त 5 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। पहली बार प्रदेश में बच्चों के विकास, संरक्षण, पोषण, शिक्षा एवं समग्र कल्याण हेतु बजट में 6 विभाग में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संचालित योजनाओं को चिन्हित कर चाईल्ड बजट के रूप में पृथक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसमें बच्चों के लिए केन्द्रित योजनाओं के कुल 3523 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, असंगठित श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने हेतु एप निर्माण तथा राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना का प्रावधान है। राजीव किसान न्याय योजना के दायरे का विस्तार कर ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की जायेगी। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम सह पुनर्वास केंद्र के लिए 76 लाख रूपये का प्रावधान है। देश में यह अपने प्रकार का पहला केंद्र होगा। दिव्यांगजनों हेतु माना स्थित विभिन्न संस्थाओं के नवीन एकीकृत भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपये का प्रावधान, सभी 05 संभागीय मुख्यालयों में आदर्श पुनर्वास केंद्र की स्थापना हेतु 1 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान, मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए रायपुर एवं दुर्ग में हॉफवे होम की स्थापना हेतु 03 करोड 13 लाख का प्रावधान, छत्तीसगढ़ी कला-शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए सी-मार्ट योजना की स्थापना की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) शहरी क्षेत्र में पौनी-पसारी योजना के समान ही ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो तेलघानी बोर्ड, चर्म शिल्पकार बोर्ड, रजककार बोर्ड तथा और सारे बोर्डों की स्थापना की है तो वहां जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा और जो वहां उत्पादन करेंगे, जो वनांचल में हमारे वनौषधि और लघुवनोपज की प्रोसेसिंग करेंगे, हमारे मरवाही क्षेत्र में जो ढेंकी से कूटा हुआ चावल है, हमारे कोरिया, जशपुर, सरगुजा में जो जवांफूल होता है उसकी पैकेजिंग करके, अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में कोसा कंचन का क्षेत्र है, कांसा का जिला कहलाता है इन सारे उत्पादों को हम इस सी-मार्ट में लायेंगे और इसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग और कृषि मंडी को दी जायेगी। हमारी बहुत सारी पुरानी मंडी खाली पड़ी हैं, उस जगह में सी-मार्ट बनाया जायेगा और हमारे जो उत्पादन हैं चाहे वह वन विभाग का हो, चाहे वह कृषि विभाग का हो, चाहे वह खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का हो चाहे ये जितने बोर्ड बनाये हैं ये सारे उत्पाद उसी छत के नीचे विक्रय होंगे और एक ही छत के नीचे हमारे ग्राहकों को मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट) इससे एक तरफ हमारे उत्पादकों को उसका दाम मिलेगा, नये रोजगार के अवसर मिलेंगे और वहीं छत्तीसगढ़ के लोगों और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को क्योंकि हम केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि इसका विस्तार हम दिल्ली और अन्य महानगरों में भी करके सी-मार्ट बनायेंगे ताकि हमारे ग्राहकों को एक ही छत के नीचे छत्तीसगढ़ के उत्पाद मिल सकें। यह हमारी कोशिश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के खेतों तक आवागमन सुविधा हेतु कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलने के लिए मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया

है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये लोग कितना भी अड़ंगा डाले, फिर भी हमारे मंत्रिमण्डल ने, इस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए फिर से 5 हजार, 703 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) किसानों के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और इसके लिए फिर से मंत्रि मण्डलीय एक उप समिति बनायी जायेगी। उनको किस प्रकार से वितरण किया जायेगा, कब-कब किया जायेगा? उसके बारे में वह फैसला लेगी। जैसे पिछले साल हम लोगों ने एक साल के लिए किया था और उसकी अंतिम किश्त अभी 31 मार्च के पहले ही सब किसानों के खाते में 1200 करोड़ रूपये पहुंच जायेगा। अगले आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वह कार्ययोजना बनाने की जिम्मेदारी भी मंत्रि-मण्डलीय उप समिति को होगा। किसानों को शून्य ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण हेतु 5 हजार, 900 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया है। कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु 275 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पम्पों पर नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2 हजार 500 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, सौर सुजला योजना हेतु 530 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु 95 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 606 करोड़ रूपये, चिराग योजना के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, कृषक समग्र विकास योजना हेतु 81 करोड़ रूपये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एवं शाकम्बरी योजना हेतु 123 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है और इस वर्ष 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान, 4 हजार 500 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन तथा 1 हजार 300 हेक्टेयर में फूलों की खेती हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है । गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। गोठान योजना के लिए 175 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जायेगा, (मेजों की थपथपाहट) अब हमारे जो मछुआरे हैं उसको भी निजी क्षेत्र में जो मछली उत्पादन करते हैं उसको भी कृषि में जो सुविधा, छूट मिलती है उसी प्रकार से छूट और ऋण दिया जायेगा। सिंचाई के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें वृहद परियोजनाओं अरपा-भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय हेतु 203 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 4 सूक्ष्म सिंचाई योजना, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं 08 उद्वहन सिंचाई योजना हेतु नवीन मद में प्रावधान है। वृहद, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु 70 करोड़ रूपये का प्रावधान है। अहिरन-खारंग लिंक, छपराटोला, फीडर जलाशय, रेहर-ऐटम (झिंक) लिंक परियोजना हेतु ई.आई.ई.डी.सी. को 5 करोड़ का प्रावधान है। भू जल संरक्षण का भी कोष की स्थापना की जाएगी। पंचायती राज में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में 1 हजार 603 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु 1 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गया है। ओडिएफ प्लस पंचायतों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें हमको परफारमेंस ग्राण्ट के रूप में 68 करोड़, 42 लाख रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार 67 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास में कहना चाहूंगा कि यह गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ को देश का स्वच्छतम् राज्य होने का पुरस्कार लगातार दो वर्षों से प्राप्त हो रहा है (मेजों की थपथपाहट) इस सफलता का श्रेय स्वच्छता दीदीयों को समर्पित करते हुए, उनके मानदेय को 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 6 हजार रूपये किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं विभाग के अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने लगातार दो साल तक के यह पुरस्कार लिया है। एस.एल.आर.एम. सेन्टर्स का उन्नयन करते हुए नगरीय निकायों में 377 गोधन न्याय सह गोबर क्रय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु "मोर जमीन मोर मकान" तथा "मोर मकान मोर चिन्हारी" योजना में किये गये कार्यों का भारत सरकार के द्वारा वर्ष जनवरी 2021 में पुरस्कृत किया गया। सबके लिए आवास योजना हेतु बजट में 457 करोड़ का प्रावधान है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए 17 नवीन गांव जो जुड़े हैं उसके भी पेयजल के लिए इसमें व्यवस्था की गई है।

समय :
4:00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, 110 विकासखंडों में नवीन फुड पार्क की स्थापना हेतु बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्य में 350 करोड़ रुपये की लागत से पंडरी जिला रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर "जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क" की स्थापना की जायेगी। नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 65 करोड़ तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना की जायेगी। राज्य के पुरातात्विक धरोहरों के अध्ययन, खोज एवं संधारण कार्यों को गति देने के लिए पुरातत्व विभाग के पृथक पुरातत्व संचालनालय का गठन किया जायेगा। श्रीराम गमन पथ पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पत्रकारों की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को सहायता राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जायेगी। पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के तौर पर हंसदेव बांगों जलाशय सतरेंगा जिला कोरबा में विश्व स्तरीय साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन प्रारंभ करने की योजना है। भविष्य में इसे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में सभी प्रावधान " गढ़बो नवा छततीसगढ़" की मूल भावना के अनुरूप है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में 12 नये रेलवे ओव्हर ब्रिज, 151 नवीन पुल तथा 585 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 504 करोड़ रुपये का नवीन मद में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 16 पुल निर्माण के लिये बजट में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान है। छत्तीसगढ सड़क एवं अधोसरंचना विकास निगम द्वारा 5 हजार 225 करोड़ लागत के 3900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुल-पुलिया निर्माण हेतु बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान और ए.डी.बी. फेस-3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है। वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों एवं ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन कर "सड़क सुरक्षा निर्माण योजना" के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूरे सदन से आग्रह करता हूं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल भावना के अनुरूप तथा किसान, श्रमिक, महिलायें, बच्चों, युवाओं एवं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों के कल्याण हेतु समर्पित है। मैं सदन से विनियोग की राशि को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :-अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) पारित किया जाय।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 3 सन् 2021) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(4) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा संशोधन है । जिसमें अभी तक के जो हमारे बड़े विद्युत उपभोक्ता हैं और जिससे ऋण वसूली में थोड़ी सी परेशानी होती है और अभी तक जो बकाया राशि है, वह लगभग 7 हजार 859 करोड़ रूपये की वसूली लंबित है और इसलिए इसको थोड़ा सा संशोधन करके जो हमारे अधिकारियों को इसके अधिकार देना है जिसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के तहत् सख्ती प्राप्त करेगा और जिसमें वसूली की जाएगी । यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके कारण से बहुत विलंब होता है और यह सख्ती प्राप्त होने से वसूली करने में आसानी होगी । जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े उपभोक्ता हैं उसके लिये यह प्रावधान है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

(5) बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021)

जेल मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा संशोधन है । पहले मध्यप्रदेश के जमाने के जेल का अधिनियम है इसमें हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं ताकि कैदियों की मानसिकता में थोड़ा सुधार हो, पहले 1 साल में 21 दिन की छुट्टी होती थी उसको हम लोग 42 दिन कर रहे हैं और 3 बार उसको छुट्टी दी जा सकती है ताकि वह अपने परिवार के साथ मिले, उसकी मानसिक स्थिति ठीक रहे । वह किसी भी प्रकार से अवसाद में न आये इसलिए छोटे-छोटे संशोधन हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जेल मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :
4:11 बजे **लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन**

अध्यक्ष महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये क्रमश: नौ-नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि चारों समितियों के लिये क्रमश: नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं :-

लोक लेखा समिति

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री शैलेश पाण्डे
4. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
5. श्री मोहन मरकाम
6. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
7. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
8. श्री अजय चन्द्राकर
9. श्री शिवरतन शर्मा

मैं श्री अजय चन्द्राकर सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्राक्कलन समिति

1. श्री मोहन मरकाम
2. डॉ. विनय जायसवाल
3. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. श्रीमती संगीता सिन्हा
6. श्री गुलाब कमरो
7. श्री शैलेष पाण्डे
8. श्री पुन्नूलाल मोहले
9. श्री रजनीश कुमार सिंह

मैं श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री मोहन मरकाम
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री बघेल लखेश्वर
5. श्री कुलदीप जुनेजा
6. श्री राजमन बेंजाम
7. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
8. श्री बृजमोहन अग्रवाल
9. श्री नारायण चंदेल

मैं श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति

1. श्री बघेल लखेश्वर
2. श्री बृहस्पत सिंह
3. श्रीमती देवती कर्मा
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

5. श्री पुरूषोत्तम कंवर
6. श्री रामकुमार यादव
7. श्रीमती संगीता सिन्हा
8. श्री डमरूधर पुजारी
9. श्री सौरभ सिंह

मैं श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कलयाण संबंधी समिति के लिये नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देश प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं :-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
3. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
4. श्री भुनेश्वर शोभा राम बघेल
5. श्री मोहित राम
6. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
7. श्री रामकुमार यादव
8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
9. श्री डमरूधर पुजारी

मैं श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

नाम निर्देशित समितियों का गठन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1), 208 के उप नियम (1), 213, 217 के उप नियम (1), 224 के उप नियम (2), 225 के उप नियम (1), 231 के उप नियम (2), 232 के उप नियम (1), 233 के उप नियम (1), 234-(ग), 234-घ के उप नियम (2) एवं 234-ज के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2021-2022 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं :-

<u>कार्य मंत्रणा समिति</u>

1. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
2. श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
3. श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री
4. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री मोहम्मद अकबर, विधि मंत्री
6. डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री
7. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
8. डॉ. रमन सिंह

<u>विशेष आमंत्रित सदस्य</u>

1. श्री मनोज सिंह मंडावी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल
5. श्री धर्मजीत सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

<u>गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति</u>

1. श्री धनेन्द्र साहू
2. श्री बृहस्पत सिंह
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री विक्रम मंडावी
5. डॉ. विनय जायसवाल
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री विद्यारतन भसीन

मैं श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>याचिका समिति</u>

1. श्री अरूण वोरा
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
5. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
6. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
7. श्री सौरभ सिंह

मैं श्री अरूण वोरा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

<u>प्रत्यायुक्त विधान समिति</u>

1. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
2. श्री राम पुकार सिंह ठाकुर
3. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्री संतराम नेताम
6. श्री पुन्नूलाल मोहले
7. श्री देवव्रत सिंह

मैं श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

<u>शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति</u>

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्री पुरूषोत्तम कंवर
5. श्री शैलेश पाण्डे
6. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
7. श्री डमरूधर पुजारी

मैं श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विशेषाधिकार समिति

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्री अमितेश शुक्ल
3. श्री अरूण वोरा
4. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
5. श्री राजमन बेंजाम
6. डॉ. रमन सिंह
7. श्री बृजमोहन अग्रवाल

मैं श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

नियम समिति

1. श्री खेलसाय सिंह
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
5. श्री ननकी राम कंवर

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
2. श्री बघेल लखेश्वर
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
5. श्री देवेन्द्र यादव
6. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
7. श्री अजय चन्द्राकर
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. श्री धर्मजीत सिंह

मैं श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

पुस्तकालय समिति

1. श्री खेलसाय सिंह
2. श्री देवेन्द्र यादव
3. श्री शैलेश पाण्डे
4. श्रीमती ममता चन्द्राकर
5. श्री रामकुमार यादव
6. श्री रजनीश कुमार सिंह
7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
8. श्रीमती इंदू बंजारे

मैं श्री खेलसाय सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. डॉ. प्रीतम राम
2. श्री चक्रधर सिंह सिदार
3. श्री विक्रम मंडावी
4. श्री विनय भगत
5. श्री मोहित राम
6. श्री ननकी राम कंवर
7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

मैं डॉ. प्रीतम राम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री दलेश्वर साहू
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री अनूप नाग
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्री गुलाब कमरो
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री शिवरतन शर्मा

मैं श्री दलेश्वर साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>आचरण समिति</u>

1. श्री किस्मत लाल नंद
2. श्री अनूप नाग
3. श्री राजमन बेंजाम
4. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
5. श्री चंदन कश्यप
6. डॉ. रमन सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

<u>महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधनी समिति का गठन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों को वर्ष 2021-2023 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

1. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
2. श्री लालजीत सिंह राठिया
3. श्री संतराम नेताम
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्रीमती ममता चन्द्राकर
6. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
7. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
8. डॉ. रेणु अजीत जोगी
9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

मैं डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

समय :
4:20 बजे

<u>प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव</u>

सभापति महोदय (श्री मोहन मरकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.219 पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.219 को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समय :
4:21 बजे

नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- मैंने माननीय सदस्य श्री धनेन्द्र साहू द्वारा श्री कुंभन दास अड़िया एवं श्री अमरीश अड़िया के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 24/2020 दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया है ।

समय :
4:22 बजे

नियम 239 के अंतर्गत विचाराधीन सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- मैंने माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय सदस्य श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020 ।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/2020 दिनांक 23.10.2020.

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

समय :

4:23 बजे **नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राहृता की सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री नारायण चंदेल द्वारा माननीय सदस्य श्री शैलेश पांडे के साथ घटित दुर्व्यवहार के संबंध में प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 26/2021 दिनांक 16 फरवरी, 2021 ।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री नारायण चंदेल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 27/2021 दिनांक 16 फरवरी, 2021

को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राहय कर दिया है ।

समय :

4:24 बजे **सदन में घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2019 एवं 2020 के उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों का चयन किया गया है :-

वर्ष 2019 के लिए :-

1. उत्कृष्ट विधायक के रूप में

सत्ता पक्ष से - श्री अरूण वोरा (मेजों की थपथपाहट)

प्रतिपक्ष से - श्री सौरभ सिंह

2. उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में

श्री सुरेन्द्र शुक्ला, संवाददाता हरिभूमि

3. उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में

श्री मोहन तिवारी, संवाददाता-बंसल न्यूज एवं श्री दीपक साहू, कैमरामेन

वर्ष 2020 के लिए :-

1. उत्कृष्ट विधायक के रूप में

सत्ता पक्ष से - श्री कुलदीप जुनेजा (मेजों की थपथपाहट)

प्रतिपक्ष से - श्री नारायण चंदेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2. उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में

श्री राजा दास, संवाददाता-द हितवाद

3. उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में

श्री आर.के. गांधी, संवाददाता-साधना न्यूज एवं

श्री दिलीप कुमार सिन्हा, कैमरामेन

मेरी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं ।

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर गर्भ गृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे। उनका निलंबन समाप्त करता हूं।

समय :
04:25 बजे

सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

बजट सत्र 2021 का निर्धारित अवधि के पूर्व आज समापन हो रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह विनम्र आग्रह है कि इस सत्र में सदन में चर्चा के दौरान आरोप-प्रत्यारोप, गतिरोध और आक्रोश के गुजरे पलों को भूल कर सदन को इन परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करें और इस बात का विशेष रूप से विचार करें कि हमें प्रदेश की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर यहां बैठाया है। उनका हित और उनका कल्याण ही हमारा प्रथम और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।

आपने सदन संचालन का दायित्व मुझे सौंपा है, मैं भी आप ही की तरह इस सदन का एक सदस्य ही हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं, मेरे भी विचार हैं।

आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि संसदीय सदन की सर्वोच्चता के लिए आसंदी के प्रति सम्मान और विश्वास का भाव बना रहना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा और द्वेष से सदन को मुक्त रख कर ही हम संसदीय लोकतंत्र की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं।

मेरा यह विश्वास है कि हमें अपने जीवन में सदैव आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाये रखते हुए बेहतर कल की अपेक्षा से आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थितिजन्य कारणों से भले ही इस बजट सत्र में विषम स्थिति निर्मित हुई परन्तु यह भी सत्य है कि हमारी संसदीय संस्कारों की जड़ें इतनी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मजबूत हैं कि हम इन परिस्थितियों से भी आगे निकलकर संसदीय मूल्यों को किन्हीं भी परिस्थितियों में भविष्य में प्रभावित नहीं होने देने का संकल्प लें।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (J) के नेता श्री धर्मजीत सिंह एवं बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता श्री केशव चंद्रा, सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इस सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता और सहयोग के लिये मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस सत्र समापन अवसर पर मैं राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस **बजट सत्र** के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

आज प्रदेश और देश कोविड के गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। सदन के माननीय सदस्य श्री टी.एस. सिंहदेव जी माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय श्री अरूण वोरा जी, माननीय श्री देवव्रत सिंह जी मौजूदा सत्र अवधि में ही कोविड संक्रमित हुए हैं, ईश्वर से कामना है कि वे जल्द ही संक्रमण मुक्त हों, स्वस्थ हों और आप सब भी सुरक्षित और स्वस्थ रहें।

सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की पंरपरा रही है तद्नुसार आगामी सत्र जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है। आने वाले पर्व होली, हिन्दु नव वर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आईये, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

समय :
04:30 बजे

राष्ट्रगान

"जन-गण-मन"

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन किया गया)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(4 बजकर 31 मिनट पर विधान सभा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 09 मार्च, 2021 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं